तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४८

सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३
२ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित* प्रश्न संख्या ६६६ से ६६८, ६७० से ६७३, ६७५ से ६७७ और ६७९ से ६८२ . ४७८३—४८११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६९, ६७८ और ६८३ से ६८५ . . ४८११—१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२३ से २१२८, ३१३० से २१५८ और २१६० से २१६९ ४८१३—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४८३२

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . ४८३२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६३–६४ ४८३२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ४८३२

प्राक्कलन समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन ४८३३

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य ४८३३–३४

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर में शुद्धि ४८३४–३५

समिति के लिए निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र दल को केन्द्रीय सलाहकार समिति . ४८३५

कार्य मंत्रणा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन ४८३५—३८

अधिलाभ-कर विधेयक, १९६३—

विचार करने का प्रस्ताव . ४८३८—८०

श्री दाजी ४८३८–३९

श्री रंगा ४८३९—४१

श्री हेडा ४८४१–४२

श्री मुरारका ४८४२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए]

लोक-सभा वाद-विवाद

दिनांक २२ अप्रैल, १९६३ । २ वैशाख, १८८५ (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ ४८७७ पर नीचे से :-

(१) पंक्ति ५ में दूसरी सूची के स्थान पर दूसरी अनुसूची पढ़िये

(२) पंक्ति ४ में अध्यक्ष महोदय के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय पढ़िये ।

(३) पंक्तियों ३ और ४ के बीच में संशोधन किये गये शब्द जोड़ दीजिये ।

लोक-सभा

सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३

२ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

+

*९६६. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के गठन में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) बोर्ड की पिछली बैठक में जो निर्णय हुए थे, उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) बोर्ड की पिछली बैठक अभी हाल में ही २१ मार्च, १९६३ को हुई थी। इसके निर्णय तथा उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ११८२/६३**]।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि इस बोर्ड को क्यों नहीं बनाया गया है, मुख्य कारण क्या हैं तथा बोर्ड को अन्तिम रूप देने और इसके कृत्यों का स्पष्टीकरण करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : २४ मदें हैं और बोर्ड ने कई एक पर निर्णय कर लिया है। बहुत सी मदों पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । और उन्हें केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

†मूल अंग्रेजी में

515 (Ai) LSD—1.

के पास भेज दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि योजना रुकी पड़ी है। वह चल रही है। वे केन्द्रों तथा प्रशिक्षण पाने वालों की भी संख्या बढ़ा रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि प्रारंभिक योजना के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने श्रमिक प्रशिक्षित किये जाने थे तथा वह योजना कहां तक क्रियान्वित की गई है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : लगभग ४७,००० को प्रशिक्षण दिया जाना है। अन्ततः कुल संख्या एक लाख के लगभग होगी। आंकड़े इस प्रकार हैं : १९६१-६२ में प्रशिक्षित अध्यापक ८१७ और १९६२–६३ में यह संख्या ९७४ होगी। १९६१–६२ में प्रशिक्षित श्रमिक १५,४४५ थे और १९६२–६३ में २७,७४४। कुल संख्या ४३,००० से अधिक हो जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : समस्या के विस्तार को देखते हुए क्या सरकार कह सकती है कि अभी अभी सदन को इसका जो काम बताया गया है वह इतना है कि उसकी प्रशंसा की जाये ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जी नहीं, गति को तेज करना आवश्यक है और गति को तेज करने के लिये हम प्रत्येक उपाय कर रहे हैं। परन्तु वास्तविक कठिनाई तो इन प्रशिक्षार्थियों के लिये श्रमिक अध्यापक प्राप्त करने की है। सदन को यह जानने में रुचि होगी कि इन में से कुछ प्रशिक्षार्थियों ने, विशेषतः हैदराबाद और आसाम और कोयला क्षेत्रों में, अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से तैयार किया है और वे श्रमिक संघों के नेता बन गये हैं, तथा भारत में श्रम आन्दोलन में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि संगठित उद्योग में यह श्रमिक प्रशिक्षण कहां तक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें प्रदान की गई हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जहां तक भाषा के प्रश्न का संबंध है, विविध भाषाओं में बहुत सी पुस्तिकायें जारी की जाती हैं, श्रव्य-दृश्य साधन हैं तथा फिल्में दिखाई जाती हैं। शिक्षा प्रभावोत्पादक तथा व्यापक है। जहां तक प्रशिक्षार्थियों का संबंध है --मैं नहीं जानता कि प्रश्न भत्तों के बारे में पूछा गया था अब--केवल प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये लगभग १५ रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं उन श्रमिक अध्यापकों की संख्या जानना चाहता हूं जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है तथा जिनके नाम केन्द्रीय श्रम संघ संगठनों द्वारा भेजे गये थे और क्या उन सब को नौकरियां दे दी गई हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हो सकता है उन में से कुछ उस व्यवसाय में न रहें जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। परन्तु सब मिला कर हमने देखा कि उनमें से अधिकतर उसी व्यवसाय में रहे हैं तथा श्रम आन्दोलन में सहायता देते रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक अफसरों की कमी

†*९६७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्रिय गुप्त : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में सैनिक अफसरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कारवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी हां। ऐसा मुख्यत: सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत नई वृद्धि और पुनर्गठन के कारण है।

(ख) पदों को भरने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(१) आपातकालीन आयोग दिये जाने की योजना को चलाना।

(२) विशेष सूची पदाली में सम्मिलित पदों की संख्या में वृद्धि जो कि अनुभवी और चुने गये जे० सी० ओज़/एन० सी० ओज़ द्वारा भरे जा सकते हैं।

(३) रक्षित दायित्व वाले सेवा-निवृत्त/छोड़े गये अधिकारियों को फिर से बुला लेना।

(४) उपयुक्त होने पर फिर से नौकरी में लगाये गये अधिकारियों को ५५ वर्ष के बाद ५७ वर्ष की आयु तक रखे रहना।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि अफसरों की कमी को पूरा करने के लिये देहरादून मिलिटरी अकादमी तथा खड़गवासला में प्रशिक्षण अवधि कम कर दी गई है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : श्रीमान्, इस वर्ष के लिये अपेक्षित अफसरों की संख्या को पूरा करने के लिये आई० एम० ए० तथा नई अफसर प्रशिक्षण कक्षा दोनों ही में प्रशिक्षण अवधि को घटा दिया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : आपातकालीन आयोग दिए जाने के लिये भर्ती किये गये लोगों की संख्या क्या है और उन से कमी कहां तक पूरी होगी ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : अब तक ४००० से अधिक व्यक्तियों को चुना गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य श्रेणियों को अफसर ग्रेड में शीघ्रता से पदोन्नति देने के लिये किसी नियम में परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : पदोन्नति के कोई नियम नहीं बदले गये हैं।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : अभी हमारे देश के सामने जो संकट का समय है, और बराबर इस बात को दोहराया जाता है कि यह संकट लम्बे दिनों तक चल सकता है, उस को ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में

में रखते हुए क्या सरकार ने कोई ऐसी लांग टर्म प्लैन बनाई है जिस में अफसरों की कमी न हो? यदि हां, तो उस के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण**: पहले तो सेना की सामान्य संख्या तथा अफसरों के अनुपात का निर्णय करना है। अब बनाये जाने वाले अफसरों की संख्या निश्चय ही उस वृद्धि के लिये उपयुक्त है जो कि करने का इरादा है।

श्री ओंकारलाल बेरवा: मैं जानना चाहता हूं कि जो शेड्यूल मिलिटरी का बना हुआ है लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, क्या उस के अन्दर भी कुछ परिवर्तन किया गया है?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: नहीं।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान वैदेशिक कार्य मंत्रालय में प्रतिरक्षा मामलों के विशेष अधिकारी, श्री पटनायक, द्वारा हाल ही में देहली विश्वविद्यालय में दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि चीनी जनरल हमारे जनरलों से बहुत अच्छे हैं? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे जनरलों को ऐसा प्रशिक्षण देने अथवा यह देखने का कोई गंभीर उपाय किया गया है ताकि वे चीनी जनरलों के बराबर हो जायें, जैसा कि सुझाव . . . .

†**श्री त्यागी**: वह वक्तव्य कहां है?

†**श्री हेम बरुआ**: वह वक्तव्य मेरे पास है। यह स्टेट्समैन में छपा है।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह इस प्रश्न पर अनपूरक नहीं पूछ रहे हैं बल्कि एक नाम जो वह यहां लाना चाहते थे, केवल उसे ला रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: श्रीमान्, क्या मैं यह कह सकता हूं कि वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय में विशेष अधिकारी हैं?

†**अध्यक्ष महोदय**: वह जो कुछ भी हों, कोई भूमिका या कोई निचोड़ जरूरी नहीं है। वह सीधा-सादा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हमारे सनिक अफसरों की क्षमता या कार्य-कुशलता को सुधारने के लिये कोई कदम उठायें गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: श्रीमान्, जो कुछ मैंने कहा है क्या उसके प्रकाश में वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे जनरलों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई विशेष उपाय किये गये हैं?

†**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय उत्तर देंगे परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है उसे देखते हुए नहीं बल्कि उसे भूलते हुए। वह बता सकते हैं कि क्या हमारे जनरलों की कार्यकुशलता को सुधारने के लिये कोई खास कदम उठाये गये हैं।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण**: मैं समझता हूं कि हमारे जनरल पहले ही बहुत अनुभवी अफसर हैं और अपने व्यवसाय में बड़े निपुण जनरल हैं।

†**श्री त्यागी**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री उस वक्तव्य से सहमत है?

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं पहले ही उनसे इसकी उपेक्षा करने को कह चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । श्री कामत ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में "जी हाँ" से उठते हुए, सशस्त्र सेनाओं के ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो चीनियों द्वारा पकड़ लिये गये थे ? क्या मुक्त किये गये अफसरों से शारीरिक ह्रास अथवा मानसिक सिद्धांतबोधन का कोई संकेत मिलता है जो कि उन्हें भविष्य में सशस्त्र सेनाओं में नौकरी के अयोग्य बना सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संगत नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने कहा था कि कमी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय से बहुत दूर की चीज है ।

†**श्री रंगा** : क्या हिमालय श्रेणियों को अफसरों के रूप में नियुक्त किये जाने के योग्य बनाने के लिये अब तक कोई उपाय किए गए हैं ?

†**यशवन्त राव चह्वाण** : अफसर पद के लिए भर्ती देश के सभी लोगों में से की जाती है जिसमें आदिम क्षेत्रों के अर्हता प्राप्त लोग भी आ जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सवाल यह था कि क्या हिमालय प्रदेश के उन लोगों को जो कि मौसम के अभ्यस्त हैं अफसरों के पदों पर भर्ती करने के लिये खास कदम उठाये गये हैं ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं कह रहा था कि जहां तक अन्य श्रेणियों का सम्बन्ध है, उन इलाकों से लोग लेने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । परन्तु जहां तक अफसरों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उन्हें प्रदेश-वार भर्ती करने के लिये कोई विशेष प्रयास किये जा सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चुनाव केवल मात्र वैयक्तिक गुणावगणों के आधार पर होता है ? यदि हाँ, तो "चुनावकर्ताओं" की प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि चुनाव निश्चय ही वैयक्तिक योग्यता के आधार पर किये जाते हैं तथा किन्हीं भी प्रादेशिक अथवा साम्प्रदायिक चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता ।

†**श्री कपूर सिंह** : "चुनावकर्ताओं" की प्रवत्तियों के बारे में क्या विचार है ? यह तो मैं जानता हूं कि सिद्धान्त हैं परन्तु "चुनावकर्ताओं" की प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जाते हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : बोर्डों या समितियों में बहुत ही सक्षम और निष्पक्ष अफसरों को नियुक्त किया जाता है ताकि उल्लिखित नियमों का उचित ढंग से पालन किया जाए ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अफसरों की कमी को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो उपाय बताए, उन में दूसरा उपाय यह है कि जे० सी० ओज़० और एन० सी० ओज़०

†मूल अंग्रेजी में

को स्पेशल लिस्ट कैडर में रखा जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उन लोगों को पूरी तरह से, पूरे रैंक या पूरे अधिकार का अफसर नहीं बनाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या इस पर पुनर्विचार किया जा सकेगा ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : यह तो मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि जे० सी० ओज० तथा एन० सी० ओज़० की श्रेणियों में से भी उन्हें अवसर दिया जाता है । मैंने देखा कि अधिकारी पदों में चुनाव पाने वाले इन लोगों की प्रतिशतता १७ से लगभग २४ प्रतिशत तक बढ़ गई ।

†**श्री त्यागी** : इस बात को देखते हुए कि अभी अभी सदन में एक भाषण उद्धृत किया गया था जिसमें कहा गया था कि हमारे जनरल ......

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है ।

†**श्री त्यागी** : . . . चीनी जनरलों से घटिया हैं, मैं चाहता हूं कि आप माननीय प्रतिरक्षा मंत्री को इसका खंडन करने की अनुमति दें क्योंकि इस बात को बिना खंडित किये नहीं रहना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रश्न के उस भाग पर ध्यान नहीं दिया है । शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हेम बरुआ** : व्यक्तिगत व्याख्या के रूप में क्या मैं कह सकता हूं, श्रीमान् . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : व्यक्तिगत व्याख्या क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** : जब मैंने श्री पटनायक, विशेष अधिकारी, के देहली विश्वविद्यालय में दिये गये भाषण की ओर इशारा किया तो लगता है--हो सकता है मैं गलत हूं--कि आपने मेरी नेकनियती पर सन्देह किया है । यह है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कितनी बार आश्वासन दिया है कि मुझे उनकी नेकनियती के बारे में कोई शक नहीं है । श्री अ० प्र० जैन ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं पढ़ दूं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं देता । शान्ति, शान्ति ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : नेफा की लड़ाई में प्राप्त अनुभव को देखते हुए, जहां कि हताहत अफसरों का अनुपात बहुत ऊंचा कहा जाता है, क्या सरकार ने अफसरों तथा जवानों के बीच अनुपात को बदलने के प्रश्न की जांच की है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर में मुझे हां कह देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या आपका यह विचार नहीं है कि देश के हितों में सरकार द्वारा इसका खण्डन अवश्य होना चाहिये ? हमारे देश के हितों में--किसी के विरुद्ध मुझे कोई व्यक्तिगत पूर्वग्रह नहीं है । आप मानेंगे . . . . . .

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जब एक चीज अनावश्यक रूप में यहां लाई गई है और मैंने प्रश्न के उस भाग को अस्वीकृत कर दिया है, तो फिर उनसे कोई उत्तर क्यों मिलना चाहिये ?

†श्री हेम बरुआ : यह बहुत खतरनाक वक्तव्य है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात हो सकती है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

†श्री त्यागी : श्रीमन्, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि इसे कार्यवाही सारांश में न जाने दिया जाए । यह हमारे जनरलों के प्रति अपमान है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है । मैं समझता हूं कि इतना ही काफी होना चाहिये ।

†श्री स० मो० बनर्जी : तब यह अखबारों में छपता है । प्रश्न ही नहीं होना चाहिये ।

†श्री कपूर सिंह : यदि मैं..... (अन्तर्बाधा)

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

†श्री त्यागी : मुझे चिन्ता केवल यह है कि यह अखबारों में नहीं आना चाहिये । यह हमारे जनरलों पर आक्षेप है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं हैरान हूं कि इसे अखबारों में ही न जाने देने से श्री त्यागी को क्या मिलता है । वह अखबार में से पढ़ रहे हैं । वहां तो यह है ही । एक आदमी ने वक्तव्य दिया है और वह पहले ही अखबारों में छप चुका है । मैंने इसके यहां उठाये जाने की अनुमति नहीं दी है । इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय को इसका खण्डन करना चाहिये । वह यह कह दें कि जनरल अच्छे हैं ।

†श्री कपूर सिंह : अब जबकि इस बात का उल्लेख हो चुका है और सदन में भी इसे उठाया जा चुका है तो प्रतिरक्षा मन्त्री के केवल इतना कहने में क्या कठिनाई है कि यह सच नहीं है ? बस दो शब्द ?

†श्री हेम राज बरुआ : इसका हमारे जनरलों के मनोबल पर असर पड़ेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : उस वक्तव्य का तो नहीं लेकिन सदस्यों के बार बार आग्रह करने का असर जरूर पड़ सकता है । मैं समझता हूं कि सभी तरफ सदस्यों के इस तरह सोचने से शायद असर पड़े वरना मैंने जब इसे रद्द कर दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है । क्या मन्त्री महोदय कुछ कहना पसन्द करेंगे ?

†श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि मैंने यह कहा था कि हमारे जनरल बड़े अनुभवी हैं और व्यावसायिक दृष्टि से बड़े सक्षम हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : उनकी तुलना चीनियों से की गई है ।

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में ये तुलनायें बड़ी अभद्र हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी के जरिये हिन्दी का प्रचार

†*६६८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के लिए आकाशवाणी क्या कर रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में आकाशवाणी के केन्द्र कई प्रकार के हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिनमें वार्तायें, नाटक तथा संगीत होते हैं । इनमें से कुछ केन्द्र विशिष्ट श्रोताओं जैसे कि महिलाओं, बच्चों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिये भी हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । वे सभी हिन्दी समाचार प्रसारित करते हैं तथा कुछ हिन्दी समाचार-दर्शन भी प्रसारित करते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मैं जान सकता हूं कि आकाशवाणी द्वारा इस कार्यक्रम का सूत्रपात किए जाने के बाद कितने अहिन्दी रेडियो स्टेशनों ने हिन्दी समाचार प्रसारित करने बन्द कर दिये हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इशारा हिन्दी समाचार-सारों के प्रसारण की ओर है । जहां तक अहिन्दी केन्द्रों का सम्बन्ध है, वे प्रतिदिन एक समाचार-सार रिले करते हैं । हिन्दी समाचार प्रत्येक श्रोता तक पहुंचे इस प्रयोजन के लिये समाचार-सार विविध भारती सेवा में भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न और था । आकाशवाणी में इस कार्यक्रम के शुरू किये जाने के बाद क्या किसी अहिन्दी केन्द्र ने वह हिन्दी कार्यक्रम बन्द कर दिया है जो कि पहले हुआ करता था ?

†**श्री शाम नाथ** : जी नहीं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि क्या इस योजना के शुरू होने के बाद आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र ने हिन्दी समाचारों का प्रसारण बन्द कर दिया था ?

†**श्री शाम नाथ** : जी नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सच है कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में कुछ दिनों पहले इस आशय की मांग की गई थी कि आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से हिन्दी पाठ पढ़ाने की कुछ व्यवस्था की जाये ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और इस पर कुछ अमल किया जा रहा है ?

श्री शाम नाथ : हिन्दी लेसन्ज़ तमाम नान-हिन्दी स्पीकिंग एरियाज़ के स्टेशन्ज़ से ब्राडकास्ट होते थे, लेकिन इमर्जेंसी के शुरू होने के बाद कुछ इम्पार्टेन्ट आइटम्ज़ ब्राडकास्ट करना ज्यादा मुनासिब समझा गया । इसलिए फिलहाल उनको बन्द कर दिया गया है ।

†**श्री मुत्तु गोंडर** : क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या 'आल इण्डिया रेडियो' का नाम बदल कर 'आल हिन्दी रेडियो' रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न हिन्दी के प्रचार के बारे में है । वह एक अलग प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूटा सिंह** : क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से कोई ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आकाशवाणी के जरिये हिन्दी ठोंसे जाने के प्रति विरोध का आभास मिलता है ।

†**श्री शाम नाथ** : जी नहीं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार इस लोकप्रिय व्यंग्योक्ति को जानती है कि "हिन्दी में समाचार सुनिए" का अर्थ है "समाचारों में हिन्दी सुनिए" ? यदि हां, तो इस प्रकार उपलक्षित रुकावटों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : श्रीमान्, मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बड़ा चुस्त प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि जब यह कहा जाता है कि 'हिन्दी में समाचार सुनिये", तो उसका असल मतलब यह होता है कि "समाचारों में हिन्दी सुनिए ।"

†जोर हिन्दी को लोकप्रिय बनाने तथा उसका प्रचार करने पर है, समाचारों पर नहीं ।

†**श्री त्यागी** : दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री शाम नाथ** : जो समाचार-सार प्रसारित किये जाते हैं, उनमें सरल भाषा का प्रयोग होता है और मेरे विचार में हर कोई उसे समझ सकता है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं उनके प्रति अहिन्दी भाषी लोगों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ? यदि हां, तो क्या कार्यक्रमों का समय कुछ और बढ़ा देने के कोई और सुझाव आये हैं ताकि हिन्दी को लोकप्रिय बनाया जाये ?

†**श्री शाम नाथ** : यह विषय सदा प्राधिकारियों के सामने रहता है । हिन्दी कार्यक्रमों का यथा-सम्भव विस्तार करने के लिये पूरा ध्यान रखा जाता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : राष्ट्रीय गीत क्योंकि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं, क्या आकाशवाणी के प्राधिकारी इन राष्ट्रीय गीतों को अधिक समय तक प्रसारित करने का निर्णय कर पाये हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : जहां तक राष्ट्रीय गीतों का सम्बन्ध है, व अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के केन्द्रों से भी प्रसारित किये जाते हैं । हमारे पास राष्ट्रीय गीतों का एक संग्रह है । राष्ट्रीय गीतों के रिकार्ड एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को भेजे दिये जाते हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण प्रसारणों के हिन्दी कार्यक्रमों में कुछ मिनटों की वृद्धि की जायेगी ?

†**श्री शाम नाथ** : श्रीमान्, इस समय तो नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शस्त्रास्त्र कारखानों के लिए विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण

+

†*९७०. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शस्त्रास्त्र कारखानों के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों को विशषोपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के युद्धसामग्री तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानों में कई प्रशिक्षण कक्षाएं चालू की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसी कितनी संस्थाएं खोली गयी हैं; और उनमें कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) इस योजना के अधीन दिये जाने वाले प्रशिक्षण के शिक्षा क्रम का विषय-क्षेत्र क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आयुध कारखानों सहित प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिये आवश्यक उच्चतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जुलाई १९६१ में प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में ऐसे विद्यार्थियों को, जो सरकारी कर्मचारी हों अथवा कोई और, प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण कक्षायें चालू की गई थीं ।

(ख) केवल इसी प्रयोजन के लिये कोई संस्थायें नहीं खोली गई हैं; वर्तमान प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों का उपयोग किया जा रहा है । प्रशिक्षण कक्षायें २८ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में लगाई जाती हैं तथा प्रशिक्षण पा रहे विद्यार्थियों की संख्या ३,३०० है ।

(ग) निम्नलिखित परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है :—

(१) इंजीनियर संस्था (भारत) की सह-सदस्यता परीक्षा ।

(२) भारतीय वैमानिक संघ की सह-सदस्यता परीक्षा ।

(३) दूर संचार इंजीनियर्स संस्था (भारत) की स्नातक परीक्षा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो प्रशिक्षार्थी हमें मिलेंगे वे कब तक अग्रेतर उत्पादन के लिये प्रतिरक्षा कारखानों में पुनः लगा लिये जायेंगे ?

†**श्री रघुरामैय्या** : इस बारे में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है । हमारा प्रयोजन उन लोगों को प्रशिक्षण देना है जो पहले ही प्रतिरक्षा विभागों तथा बाहर नौकरी में लगे हुए हैं । तथ्य यह है कि दाखिले की एक शर्त यह है कि वे पहले ही नौकरी में अवश्य होने चाहियें । परन्तु इस प्रशिक्षण के बाद, यदि वे उपयुक्त पाये जाते हैं, अर्हताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में ले लिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: आयुध कारखानों में बहुत से शिशिक्षु पाठ्यक्रम हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जो व्यक्ति इस शिशिक्षुओं के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें भी विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा और यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं इस मामले में प्रशिक्षण की अवधि लगभग ३ से ३ १/२ वर्ष होगी। हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इन्टरमीजियेट में विज्ञान का विषय है और जिसने विज्ञान में पास कर लिया है तथा पहले ही नौकरी में लगा हैं, कुछ अन्य अर्हतायें होने पर पात्र होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या शिशिक्षुओं को भी शामिल किया जायेगा।

†श्री रघुरामैया : जो वास्तव में नौकरी में हैं वे इसके लिये पात्र होंगे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : शायद मेरे प्रश्न को गलत समझा गया है . . . .

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या शिशिक्षुओं को नौकरी में लगा समझा जाता है या नहीं

†श्री स० मो० बनर्जी : ऐसे शिशिक्षु हैं जो पहले ही कुछ प्रशिक्षण पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे भी पात्र होंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या वे शिशिक्षु भी इस प्रशिक्षण के लिये पात्र हैं।

†श्री रघुरामैया : मुझे सूचना चाहिये ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे शस्त्रास्त्र उद्योग के निर्माण के लिये धातु-काटना तथा धातु-रचना को भी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ?

†श्री रघुरामैया : जैसाकि मैंने उत्तर में बताया है, हमारा विचार उन्हें मुख्य उत्तर में वर्णित तीन सदस्यता परीक्षाओं में से किसी एक के लिये तैयार करने का है। स्वभाविक है कि जो विषय इन परीक्षाओं के लिये है वह पढ़ाया जायेगा।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निर्धारण किया गया है कि क्या इस विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक हुआ है तथा कार्यकुशलता भी सुधरी है ?

†श्री रघुरामैया : वास्तव में योजना लगभग १९६० के आसपास शुरू की गई थी तथा कुछ व्यक्तियों ने दूर संचार इंजीनियर्स संस्था की स्नातक परीक्षा तथा भारतीय वैमानिक संघ की सह-सदस्यता परीक्षा भी पास कर ली है। अभी निर्धारण करना समय से बहुत पूर्व है ।

†श्री बूटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षार्थियों को इन आयुध कारखानों की ओर आकर्षित करने के लिये कोई विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

†श्री रघुरामैया : मैंने जो अर्हतायें बताई हैं वे जिसके पास भी होंगी वह पात्र होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रैक्टरों तथा ट्रकों का उत्पादन

+

†*९७१. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर तथा ट्रक का उत्पादन लक्ष्य से बहुत पीछे है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये क्या लक्ष्य रखे गये हैं; और

(ग) इनकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्ररिक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । मैसर्स रामट्सु मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के लाइसेन्स के अन्तर्गत ट्रैक्टर बनाने का करार सितम्बर, १९५८ में किया गया था । ट्रैक्टरों का निर्माण १९५९ में आरम्भ हुआ था और यह योजना थी कि उत्पादन के तीसरे वर्ष में उत्पादन की दर १९० ट्रैक्टर प्रति वर्ष होगी । इस प्रकार तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में उत्पादन-लक्ष्य ९५० ट्रैक्टरों का था । तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में २३५ ट्रैक्टर बनाये गये जबकि लक्ष्य ३८० ट्रैक्टर बनाने का है। कमी होने का एक कारण यह था कि १९६१–६२ में मैसर्स कोमाट्सु ने माडल में परिवर्तन कर दिये तथा नई ड्राइंग बनवानी पड़ी तथा उत्पादन का आयोजन करना पड़ा । अस्त्रशस्त्रों के उत्पादन को प्राथमिकता देने से पिछले ५-६ महीनों में ट्रैक्टरों का उत्पादन कम हुआ है । असैनिक उद्योग-क्षेत्र से ट्रैक्टरों के पुर्जे प्राप्त करके ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है ।

२. भारत में शक्तिमान ट्रक बनाने का करार सितम्बर, १९५८ में हुआ था । भारत में ट्रकों का निर्माण जून, १९५९ में आरम्भ हुआ था और योजना यह थी कि निर्माण के तीसरे वर्ष में उत्पादन की दर १५०० ट्रक हो जायेगी और इसे बनाये रखा जायेगा । तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में उत्पादन-लक्ष्य ७२०० ट्रकों का निर्धारित किया गया था । तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में सेना को १९६२ ट्रक दिये गये हैं । इस कमी का कारण यह है कि उसी आयुध कारखाने में १९६१–६२ में १ टन के निसान ट्रकों का निर्माण आरम्भ किया गया और १९६२–६३ से पैट्रोल से चलने वाली निसान गाड़ियों का निर्माण किया गया । १९६३–६४ के लिए कुल ४०० गाड़ियां प्रति मास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संख्या में ३ टन के शक्तिमान, १ टन के निसान और पेट्रोल से चलने वाली १ टन की गाड़ियां शामिल हैं । ट्रैक्टरों के मामले की भांति ट्रैक्टरों के पुर्जों के निर्माण के लिए असैनिक उद्योग क्षेत्र की सहायता लेने का विचार है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : आयुध कारखानों में बने ट्रकों तथा ट्रैक्टरों में कितने प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी हैं और क्या तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ?

†**श्री रघुरामैया** : वास्तव में ट्रकों का निर्माण जुलाई १९५९ में आरम्भ हुआ । १९६१-६२ में ट्रकों में ४३.४ प्रतिशत स्वदेशी पुर्जे थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह हमारे लक्ष्यानुकूल है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : मैं यह बता दूं कि ट्रकों के मामले में स्वदेशी पुर्जों का प्रतिशत निर्मित ट्रकों की संख्यानुकूल निर्धारित किया गया था। वह निश्चय ही किसी कालविशेष के बारे में न था। हो सकता है कि कुछ कारणों से प्रथम वर्ष जितने ट्रकों का विचार था, वे उस वर्ष नहीं बनाये गये, और या उनका निर्माण अगले वर्ष के लिए हटा दिया गया। अतः स्वदेशी पुर्जों का प्रतिशत भी बढ़ जायेगा परन्तु यह इस पर निर्भर होगा कि आने वाले वर्षों में क्रयादेश कितना पूरा किया गया।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : ट्रैक्टरों का शत प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों से निर्माण के उद्देश्य कब प्राप्त होगा ?

†**श्री रघुरामैया** : कुछ पुर्जे तो सदैव ही आयात करने होंगे, परन्तु साधारणतया मार्च, १९६४ में ट्रकों में स्वदेशी पुर्जों का प्रतिशत बढ़ कर ६८ प्रतिशत और मार्च, १९६५ में ७७ प्रतिशत हो जायेगा।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किसी विदेशी कम्पनी से बातचीत हुई है और अगर हां, तो किस से ?

†**श्री रघु रामैया** : ट्रकों का निर्माण जर्मनी के 'मन' के सहयोग से हो रहा है।

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने लोक लेखा समिति को यह उत्तर दे दिया है और उसके बाद ही लोक लेखा समिति ने संसद् को रिपोर्ट दी थी कि मंत्रालय वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है जो स्वयं उस ने सम्बन्धित कारखाने के लिए निर्धारित किया था और वह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सका है जो संसद् को बताया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो विवरण में ही स्वीकार किया गया है।

†**श्री रंगा** : अतः उत्तर असन्तोषजनक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पुर्जों के बारे में बता रहे थे।

श्री रंगा : पुर्जों के बारे में भी लोक लेखा समिति ने कहा था कि सफलता लक्ष्य से कम है और उन्होंने वही उत्तर दिया था जो अब दिया है। उन्होंने वह उत्तर पहिले ही लोक लेखा समिति को दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि शक्तिमान ट्रक जिसका उद्घाटन इतनी धूम-धाम से तीन या चार वर्ष पहिले किया गया था, बाद में निर्माण में दोषयुक्त पाया गया और दण्डकारण्य प्राधिकार को दिये गये ट्रैक्टर भी दोषयुक्त थे; यदि हां, तो ट्रकों तथा ट्रैक्टरों के दोष दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : ट्रेक्टरों के मामले में, पुनर्वास मंत्रालय क्या यह बता सकेगा कि स्थिति क्या है। यह सच है कि कुछ शिकायतें थीं। बाद में, कुछ पुर्जे बदल दिये गये थे। ट्रकों के बारे में मैं जांच करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : मंत्री महोदय ने कहा था ट्रकों में ४३ प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी हैं और यह प्रतिशत ६८ हो सकता है। इनमें से कितने पुर्जे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कार्बोरेटर जो नितान्त आवश्यक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : हम ट्रकों के इंजनों के कुछ पुर्जे बना रहे हैं परन्तु अब भी इंजन के मुख्य पुर्ज़े आयात होते हैं । इसकी प्रतिशत काफी है ।

†श्री उ० मु० त्रिवेदी : शक्तिमान ट्रकों के निर्माण में अब तक कैसी प्रगति होती रही है ? क्या हमने इनके निर्माण का विचार एकदम छोड़ दिया है ?

†श्री रघुरामैया : हमने केवल ३ टन के शक्तिमान ट्रक ही न बनाने का विचार नहीं छोड़ा है अपितु हम वहां ही एक टन वाले निसान ट्रक और निसान जीप भी बना रहे हैं ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : १९६२ के लिए ट्रकों तथा ट्रेक्टरों के उत्पादन का सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है क्या वे लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इनका उल्लेख विवरण में है ।

†श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : स्वदेशी तथा विदेशी पुर्जों के मूल्य में क्या अनुपात है ?

†श्री रघुरामैया : यदि उल्लेख समान श्रेणी के आयात होने वाले ट्रक के मूल्य की अपेक्षा इसके मूल्य का है, तो हमारा मूल्य लगभग ४०,००० रु० है जब कि आयातित ट्रक का मूल्य लगभग ५०,००० रु० है ।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

+

*९७२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस स्कूल को स्थापित करन के बारे में किन-किन स्थानों के सुझाव दिए गए हैं ;

(ग) राज्य सरकार ने इस संबंध में किस प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है ; और

(घ) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (घ) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई सैनिक स्कूल्ज़ योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक स्कूल स्थापित करने का अब निर्णय किया है, और चालू वर्ष के बजट में उन द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रबंध कर दिया गया है । स्कूल के स्थान तथा अन्य संबंधित मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जहां तक मैं जानता हूं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और प्रतिरक्षा मंत्रालय के बीच लगभग पिछले दो वर्षों से पत्र व्यवहार चल रहा है, और आज भी यह नहीं बतलाया जा रहा है कि वह कब तक स्थापित हो जायगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि देरी होने के क्या खास कारण हैं, और क्या अड़चनें पड़ रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** मैं केवल यह कह सकता हूं कि राज्यों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के बीच पत्र-व्यवहार उस सैनिक स्कूल को अपने हाथ में लेने के बारे में था जो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में चला रही है। दूसरे सैनिक स्कूल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और प्रतिरक्षा मंत्रालय के बीच पत्र-व्यवहार का विषय नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस सम्बन्ध में जो वाद विवाद हुआ था उस का उत्तर देते हुए वहां के मुख्य मंत्री जी ने यह घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश में सब से अधिक सैनिक जिस क्षेत्र से मिले हैं, यानी गढ़वाल जिले से, वहां यह सैनिक स्कूल स्थापित किया जायगा ? अतः क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को कोई सूचना है, और क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने इस मामले पर विचार किया, मेरा ख्याल है कि यह निश्चय ही सरकार के विचाराधीन है । इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस स्कीम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सैनिक स्कूल में कितने विद्यार्थियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध रहेगा ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** यह इस पर निर्भर है कि वे क्या उपबन्ध बनाते हैं परन्तु यह सामान्यतया ३०० या इससे अधिक है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** सैनिक स्कूल खोलने में सरकार किन बातों पर विचार करती है ? क्या अन्तिम निश्चय राज्य सरकार करती है या केन्द्रीय सरकार ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** सभी व्यावहारिक दृष्टि से निश्चय राज्य सरकार को करना होता है ।

बर्मा में भारतीय

†*९७३. **श्री कोया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा के उन भारतीयों की कठिनाई की जानकारी है जो अत्यावश्यक कार्यों के कारण भारत आते हैं परन्तु बर्मा सरकार जिनको बर्मा में पुनः प्रवेश का वीसा नहीं देती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ; भारत सरकार को विदित है कि जब भी बर्मा में रहने वाले भारतीय थोड़े समय के लिए भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें पुनः वापस जाने के लिए बर्मा प्राधिकारियों से प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है । फिर भी, बर्मा सरकार ने लौटने पर प्रवेश-पत्र जारी करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । हां सरकार अब ऐसे प्रवेश-पत्र कम देती है । कम प्रवेश-पत्र देने की नई नीति बर्मा में सभी विदेशियों पर लागू होती है ।

(ख) बर्मा में भारतीय राजदूत बर्मी विदेश-कार्यालय से वार्ता कर रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : भारतीयों के विरुद्ध कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की गई हैं क्योंकि उनमें से कुछ ने ब्याज की दर के बारे में कदाचार अपनाया था । वहां भारतीयों का एक वर्ग और है जो उचित ढंग से रह रहा है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : यह सभी विदेशियों पर लागू है, केवल भारतीयों पर ही नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि रंगून में तमिल संस्कृति संघ ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन में सुझाव दिया है कि बर्मा सरकार द्वारा ये नये नियम तथा विनियम लागू होने से उत्पन्न हुई स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल भेजा जाये और यदि हां, तो इस ज्ञापन पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इन नियमों की कार्यान्विति का अध्ययन करना हमारा या संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल का काम नहीं है । ये नियम बर्मा सरकार बनाती है । हम इन लोगों की कठिनाई के बारे में बर्मा सरकार से अभ्यावेदन कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे कोई स्मरण नहीं है । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह अखबारों में छपा था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसकी जांच की जाय ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या भारतीयों के लिए यह कठिनाई पिछले केवल छः महीने में उत्पन्न हुई है और क्या इसका संबंध उस दबाव से है जो चीनी लोग बर्मा सरकार पर डाल रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह केवल भारतीयों के विरुद्ध नहीं है ।

कलकत्ता गैस कम्पनी

†*९७५. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कलकत्ता गैस कम्पनी के आधुनिकीकरण की योजना का अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):** (क) योजना आयोग ने संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कलक्ता गैस कम्पनी के आधुनिकीकरण की योजना संबंधी प्रस्ताव की जांच की थी ।

(ख) और (ग). अपेक्षित विदेशी मुद्रा तथा रुपया राशि उपलब्ध करने का प्रश्न योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के बीच विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : वर्तमान गैस संभरण व्यवस्था के मुख्य दोष क्या हैं और इस योजना की क्या मुख्य विशेषतायें हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : योजना के उद्देश्य हैं : एक, यथाशीघ्र वर्तमान गैस-भार को ५० लाख थर्मस से बढ़ा कर एक करोड़ थर्मस करना ; दो, विद्यमान वितरण व्यवस्था को पुनः बनाना तथा विस्तार करना ताकि वह विद्यमान उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरी कर सके और कलकता के नये भागों में भी वितरण व्यवस्था का विस्तार किया जा सके । विद्यमान व्यवस्था के नवीकरण से 'मेनस' में गैस रिसने के कारण होने वाली बड़ी हानि कम हो जायेगी और इसके विस्तार से विद्यमान वितरण व्यवस्था में संभरण स्थिति में सुधार होने के अतिरिक्त उपक्रम नगर के नये क्षेत्रों में गैस से स्थानों की मांग को पूरी हो सकेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि योजना एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थी और यदि हां, तो इस मामले में अभी तक कोई निश्चय न करने का क्या कारण है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : यह काफी बड़ी और व्यापक योजना है । इस में दुर्गापुर से कलकत्ता तक पाइप लाइन बनाना शामिल है । यह नये औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी है और इसलिए इसके अध्ययन तथा परीक्षा की आवश्यकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या योजना में घरेलू प्रयोग के लिए गैस का दिया जाना शामिल होगा और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जहां तक घरेलू प्रयोगों का संबंध है, शायद ६० मील लम्बी और पाइप लाइन बनानी होगी । परन्तु इसमें कलकता के आस पास औद्योगिक कार्य भी शामिल होंगे ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : निश्चय करने में कितना समय लगेगा ? चार वर्ष पहिले ही निकल गये हैं । कुछ काम आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ? क्या कुछ बता सकते हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : सिद्धांत रूप में निश्चय पहिले ही किया जा चुका है, और मेरा विचार है कि यह निश्चय ऐसे समय पर नहीं हो पाया कि इसे इस बार आय-व्ययक में शामिल किया जा सकता । संभव है कि अनुपूरक आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये ?

योजना आयोग के सलाहकार का आंध्र प्रदेश का दौरा

†*९७६. **श्री पें० वेंकटसुब्बया** : क्या योजना यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन) ने हाल में ही आन्ध्र प्रदेश का दौरा के० सी० नहर तथा राजोली बुन्दा परियोजनाओं के लिए पानी का उपयोग करने के कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या ११८३/६३]**

श्री पें० वेंकटरासुब्बया : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि राजोली बुन्दा योजना के अन्तर्गत, स्थापित की गई ५४७०० एकड़ सिंचाई संभाव्यता में से केवल २२५८२ एकड़ का उपयोग किया गया है और विवरण में कारण ये बताये गये हैं कि आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की सरकारों के बीच जल देने तथा इसके समय के बारे में समन्वय का अभाव है। यदि ऐसी बात है, तो समय पर जल देने और कृषकों को दिये जाने वाले जल की मात्रा निश्चित करने के बारे में दोनों सरकारों के बीच पूर्ण समझौता करवाने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह मुख्य रूप से दोनों राज्य सरकारों का मामला है। निस्संदेह केन्द्रीय सरकार की सद्भावनायें हैं और हम समझौता करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया**: के सी० नहर परियोजना के अन्तर्गत, सिंचाई किये जाने वाले २·७८ लाख एकड़ में से, अभी ९८००० एकड़ में सिंचाई नहीं होती । क्या संबद्ध राज्य सरकारों के दो विभागों के बीच समन्वय का अभाव है, और यह किसान का दोष नहीं है और यदि हां, तो क्या यहां से भेजे गये योजना आयोग के दल ने राज्य सरकार के ऊपर इन सब कठिनाइयों की समीक्षा करने की वांछनीयता पर जोर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्न इतना लम्बा नहीं चाहिये, सीधा होना चाहिये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सब कठिनाइयों को दूर करने के सब प्रबंध किये गये हैं, जो सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताये गये हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों को मालूम होना चाहिये कि जल कब आएगा । हमने तिथियों की अग्रिम सूचना देने के लिये अनुदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त फसलों का स्वरूप भी बदलना होगा उदाहरणार्थ कपास की काली मिट्टी में नई किस्मों की फसलें उगानी होंगी । हम हमेशा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें इस विषय में शिक्षित किया जाए ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार के पास अपेक्षित सरकारी व्यवस्था है कि वह समय पर इस बात की व्यवस्था करें कि सिंचाई संभाव्यता बेकार न जाए और दोनों सरकारों के बीच समन्वय हो और उचित समय पर अपनी सद्भावनाओं का उपयोग कर सके ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हम हमेशा यह कर रहे हैं ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : जो अफसर वहां जाते हैं वे पूर्णतया सज्जित होते हैं ; वे अपना काम समझते हैं । उनके जाने के परिणामस्वरूप कुछ सिफारिशें हुई हैं, जो त्रुटियों को दूर करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रेड्डा** : क्या यह सच नहीं है कि के० सी० नहर परियोजना के अधीन राज्यों को आवंटित जल की मात्रा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित जल क्यों नहीं दिया जा रहा, विशेषकर जब कि ऊपर वाले राज्य ने अपने अभ्यंश का उपयोग नहीं किया ?

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं क्षमता के घनफुट बताने में असमर्थ हूं । किन्तु संभाव्यता तथा उपयोगिता के संबंध में, मैं आंकड़े दे सकता हूं । जहां तक संभाव्यता का प्रश्न है, दूसरी योजना के अन्त में यह ६.,३७ लाख थी । १९६१-६२ में ६·६४ लाख और १९६२-६३ के अन्त में ८·५७ लाख थी । उपयोगिता के आंकड़े, क्रमश: ५·४४ लाख और ७·०१ लाख हैं । आधुनिकतम स्थिति लगभग १३·४४ लाख होने की संभावना है । यह धीरे धीरे सुधर रही है ।

पश्चिम एशिया को आकाशवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण

†*९७७. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान ४ अप्रैल के "स्टेट्समैन" में "पश्चिम एशिया को आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण मीडियम वेव्स पर प्रसारित किये जाने की आवश्यकता" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम एशिया के श्रोताओं के लिये प्रसारणों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पश्चिम एशिया के संबंध में भारत की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से क्या प्रचार कार्य एवं मध्यम तरंग ट्रांसमिशनों की सीमाओं की दृष्टि से, भारतीय क्षेत्र में स्थापित एक मध्यम तरंग ट्रांसमिटर पश्चिम एशियाई देशों में प्रसार करने के लिए सक्षम नहीं है । इस बाधा को दूर करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह बात सही है कि पश्चिमी एशिया को आकाशबाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया तो ६ महीने तक वहां बिलकुल आवाज सुनाई नहीं पड़ी और उस के बाद जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये तो वे भी साफ सुनाई नहीं पड़ते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार ने और ट्रान्समीटर्स लगाये हैं या ऐसा कोई अन्य उपाय सोचा है जिससे कि यह कार्यक्रम साफ सुना जा सके और हमारा पैसा बेकार न जाय ?

श्री शाम नाथ : यह बात सही नहीं है कि ६ महीने तक यहां जो ब्राडकास्ट हुए वह सुनाई ही नहीं दिये लेकिन इस की जांच की गई है और यह बात जरूर सही है कि वैस्ट एशियन कंट्रीज़ में रिसैप्शन उतना अच्छा नहीं है जितना कि अन्य कंट्रीज़ में है । जहां तक गवर्नमेंट के कदम उठाने का सवाल है यह काफी कम्पलीकेटेड मामला है और फिर मीडियम ट्रान्समीटर लगाने से ही उसका हल नहीं निकल सकता है । इस में और भी बहुत सी चीजें करनी हैं और उन के ऊपर गवर्नमेंट गौर कर रही है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि केवल मीडियम वेव से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पश्चिमी देशों से हमारा संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी

†मूल अंग्रेजी में

है तो ऐसी हालत में और दूसरे कौन से कदम सरकार उठा रही है या अभी नहीं उठाये हैं तो कब तक उठायेगी ?

श्री शाम नाथ : सबसे बड़ा सवाल इसमें फोरेन एक्सचेंज का है। जब तक कि बहुत बड़ा एक ट्रान्समीटर न लगाया जाय और उसके साथ साथ मैडिटेरियन लोकेशन में कोई ट्रान्समीटर न लगे उस वक्त तक प्रोग्राम का बिलकुल साफ और अच्छे तरीके से सुनना वहां नामुमकिन है फौरेन एक्सचेंज की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधा है। वैसे रिसैप्शन को सुधारने की कोशिश हो रही है और ५, ६ ट्रान्स-मीटर्स जिनका कि प्राविजन थर्ड फाइव इयर प्लान में है उनको जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश हो रही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आकाशवाणी के पश्चिमी एशियाई भाषाओं के एकांशों में कितने विदेशी काम करते हैं और पुर्तगाली तथा चीनी भाषाओं एकांश में पहले काम करने वाले कर्मचारियों का जो बुरा अनुभव हुआ है क्या उसके पश्चात् सरकार ने आकाशवाणी के अपने सभी भाषा एकांशों में भारतीय लोगों को लेने का काम तेज कर दिया है, क्योंकि भारतीय संसार में सर्वोत्तम भाषा ज्ञानी हैं ?

†**श्री शाम नाथ :** हम हमेशा ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं; किन्तु इस समय हम और कुछ नहीं कर सकते।

†**श्री जोकीम आल्वा :** आपात काल शुरू होने के पश्चात्, क्या हम अरबी एकांश के काम से संतुष्ट हैं ? क्या यह काफी तेजी से काम कर रहा है या क्या हम ने अरबी एकांश अथवा पश्चिम एशियाई एकांश में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है ?

†**श्री शाम नाथ :** मैं समझता हूं कि यह एकांश संतोषजनक कार्य कर रहा है और हमें इसकी कोई शिकायत नहीं मिली।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या श्रोता अनुसंधान एकांश ने संसार के इस भाग की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो हमें प्रति मास कितने पत्र मिलते है और उन पत्रों में किस प्रकार की बातें हैं ?

†**श्री शाम नाथ :** हमें कई बार हमारे राजदूतावासों से हमारे प्रसारण की स्थिति के बारे में सूचना मिलती है और हमें अरबी एकांश की कोई शिकायत नहीं मिली। हमारे पास विदेशों से श्रोताओं के पत्र प्राप्त नहीं होते।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** इस पश्चिमी एशियाई एकांश में किन भाषाओं में प्रचार किया जाता है ?

†**श्री शाम नाथ :** अफगानिस्तान के लिये पश्तो, पश्चिम के लिये फारसी, सऊदी अरब, मिश्र आदि के लिये अरबी और पश्चिम एशिया के अन्य भागों के लिये फ्रांसीसी।

बेकार जनशक्ति

†*९७९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या योजना आयोग ने बेकार जनशक्ति का उपयोग करने के लिये ४५० परियोजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) और (ख) योजना आयोग ने निश्चय किया है कि ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के लिए निर्माण परियोजनाएं आरम्भ करने की योजना १९६३–६४ में लगभग ५०० और खंडों में लागू कर दी गई हैं जब कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में २२८ खंड नियत किये गये थे। इस योजना के ब्यौरे बताने वाला एक नोट सभा पटल पर रख जाता है।**[पुस्तकालय में रखी गयी। कृपया देखिये संख्या एल० टी०—११८४/६३]**।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या देश में बेकार जनशक्ति का कोई अनुमान लागया गया है?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह बहुत कठिन है। अधिकांश ग्रामीण लोगों को पूरा पूरा रोजगार नहीं मिला है। मैं भावी जनशक्ति के बारे में आंकड़े दे सकता हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इस योजना के बारे में राज्यों से परामर्श किया गया है, और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** जी हां, राज्यों से परामर्श किया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** विवरण के परिशिष्ट में बताया गया है कि आन्ध्र में पहले दौरे में ३ और और दूसरे दौर में १५ परियोजनाएं हैं। सभी राज्यों के संबंध में ५०२ परियोजनाएं थी जब कि पहले क्रम में ३२ और दूसरे क्रम में १९९ थीं।

†**श्री मानसिंह पू० पटेल :** क्या वर्तमान राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में या बाद के खंडों में ये खंड मंजूर किये गये थे।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** वह उन खंडों के साथ साथ हैं लेकिन कार्यक्रम बदल दिया गया है।

†**श्री पु० र० पटेल :** एक साल में खंडों में जनशक्ति के कितने घंटे प्राप्त किये गये हैं?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** मैं घंटे नहीं बल्कि काम की मात्रा बता सकूंगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि खंड-वार नियतन की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित न करने और उसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ देने का सरकार ने निश्चय किया है। क्या सरकार ने उन नियतनों की छानबीन करने और उनके पूरे पूरे उपयोग का कोई तरीका निकाला है?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्:** हर समय रिपोर्टें मांगी जा रही हैं और योजना आयोग के अफसर निरीक्षण करते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** शायद एक दो साल पहले प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि योजना आयोग प्रशिक्षित तकनीकी लोगों का एक रजिस्टर रखेगा, उसके बारे में क्या हुआ है और यदि ऐसा रजिस्टर रखा जा रहा है तो क्या उससे यह दिखायी पड़ता है कि काफी तकनीकी लोग आज बेकार हैं और यदि हां तो जनशक्ति का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह प्रश्न ग्रामीण जनशक्ति के संबंध में है। यह प्रश्न नगरीय

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा ग्रामीण दोनों के ही बारे में है। औद्योगिक जनशक्ति, प्रशिक्षण और कुशल कारीगरों के बारे में मैं एक बार पहले आंकड़े बता चुका हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** औचित्य प्रश्न के संबंध में, श्रीमान्, यह बेकार जनशक्ति के बारे में है उसमें ग्रामीण या नगरीय जनशक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। मैं उनकी आपत्ति नहीं समझ पा रहा हूं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह बेकार जनशक्ति की ४५० परियोजनाओं के संबंध में है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** बस।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह वास्तव में ग्रामीण जनशक्ति के बारे में है।

†**श्री बड़े:** जिन मजदूरों के पास जमीन नहीं है और जो साल में आठ महीनों तक बेकार रहते हैं उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार क्या विशेष कार्य कर रही है?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** उस बेकार जनशक्ति का उपयोग छोटी सिंचाई, भू-संरक्षण, पुरानी जमीन को कृषि योग्य बनाने और कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों के में किया जा रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सँबँध में, मैं इस विषय में आपका पथप्रदर्शन चाहता हूं। प्रश्न ग्रामीण परियोजनाओं के लिए अनुमति के बारे में है। मैं समझता हूं—मुझे विश्वास है कि आप भी मुझे से सहमत होंगे——कृषि जनशक्ति ग्रामीण जनशक्ति से बाहर नहीं है। जनशक्ति चाहे तकनीकी हो अथवा नहीं मैंने तकनीकी की जनशक्ति बारे में पूछा था कि उनका क्या बन रहा है——क्या उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिला हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों की तकनीकी जनशक्ति आ जाती है। यह बहुत व्यापक प्रश्न था। यदि उन्होंने केवल ग्रामीण जनशक्ति के बारे में ही पूछा होता तो वह उत्तर दे देते।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** तो अब आप कृपया उनको इसका उत्तर देने के लिये कह दीजिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री दे० जी० नायक।

†**श्री दे० जी० नायक :** जहां तक इस योजना के अन्तर्गत नियतन का संबंध है, क्या अनुसूचित क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा):** जिस किसी क्षेत्र में किसी कार्य में बेकारी अधिक होती है, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आधार केवल बेकारी का अधिक होना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत ने ग्रामीण तकनीकी जनशक्ति के बारे में प्रश्न पूछा है। यदि आंकड़े उपलब्ध हैं तो बता दिये जायें।

†**श्री नन्दा :** यदि उस क्षेत्र में कुछ लोगों के पास तकनीकी जानकारी हो, तो उन्हें भी वहां उन कार्यों में लगाया जा सकता है लेकिन मुख्यत वे कार्य खेती के कामकाज हैं। उस ढंग के काम में, बहुत ऊंची कुशलता की जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या सरकार गांव वालों को नहरें खोदने का काम दे रही है, और न कि उद्योग स्थापित करने का ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : दिसम्बर, १९६२ तक ७७.६८ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और ३७ लाख लोगों को रोजगार दिया गया है।

†श्री त्यागी : वह रोजगार किस ढंग का है ? खंडों में शहरी लड़के क्लर्क के रूप में जाते हैं; ग्रामीण लड़कों को नहीं लिया जाता।

†श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। काम चुनने की कसौटी यह है कि जब कि उससे रोजगार मिलता है और कुछ आय भी होती है तो दूसरी ओर उस क्षेत्र में कृषिशक्ति भी बढ़े ताकि अधिक उत्पादन के आधार पर अधिक रोजगार कायम रखा जा सके। इस लिए भूसंरक्षण, छोटी सिंचाई, कृषिकरण जैसे काम चुने जाते हैं। जहां पर्याप्त संचार साधन अर्थात् सड़कें नहीं हैं वहां वे उत्पादन की निकासी में मदद देंगे और इसलिए यह भी शामिल है।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि ये योजनाएं अभी बनायी जा रही हैं और माननीय मंत्री अपने विभाग के लाभ की चीजें तैयार करने में अब भी व्यस्त हैं ?

†श्री नन्दा : योजना के अधीन कार्यक्रम और श्रम प्रतिरक्षा बैंक दो बिलकुल अलग अलग चीजें हैं।

†श्री त्यागी : किस प्रकार का रोजगार दिया गया है ?

†श्री नन्दा : मैं केवल योजना से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

†श्री रा० गि० दुबे : जमीन को खेती लायक बनाने, जंगल लगाने आदि को इस योजना का एक अंग बनाने की कोई दीर्घकालीन योजना है ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : जी हां।

श्रमिक भरती डिपो, गोरखपुर

+

†*९८०. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में श्रमिक भरती डिपो की कार्यप्रणाली की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या होंगे ; और

(ग) कौन-कौन सदस्य होंगे ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी नहीं।

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस के पहले श्री विष्णु सहाय की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनी थी और उस ने गोरखपुर में जा कर जांच की और जांच में यह पाया कि वहां की कार्य-प्रणाली अच्छी है ?

श्री र० कि० मालवीय : उन की एक रिपोर्ट आई थी उस के बाद से कई इनक्वायरीज़ और हो चुकी हैं और उन इनक्वायरीज़ में बहुत से डिसीशंस लिये गये । इस के अलावा एक इनफौरमल कमेटी मैम्बर्स पार्लियामेंट की भी बैठी थी जिस ने कि जांच की और उस ने जो सिफ़ारिशें कीं उन सिफ़ारिशों के ऊपर आजकल अमल हो रहा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : उस क्षेत्र में काफी संख्या में मजदूरों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए क्या भरती की व्यवस्था में किसी सुधार पर सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी हां । कोयला खानों के अलावा, लौह अयस्क जैसे खनन उद्योगों के लिए भरती की जा रही है । अभी हाल में प्रतिरक्षा सेनाओं में भरती की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के इस दफ्तर के कार्य से वे अथवा सरकार संतुष्ट हैं, यदि नहीं, तो इस का स्तर ऊंचा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक दफ़तर का ताल्लुक है अभी तक प्रान्तीय सरकार उस को ऐडमिनिस्टर करती थी । सन १९६१ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अपने चार्ज में लिया है और जैसी ज़रूरत पड़ती है उस के मुआफ़िक उस में रद्दोबदल करती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या भरती का यह विशिष्ट डीपो समाप्त करने की कोई योजना थी और यदि हां तो क्या डिपो रखने के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निश्चय किया है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : १९५० में यह डीपो समाप्त करने का निश्चय किया गया था । लेकिन बाद में कई बैठकों में उस पर विचार किया गया । अब माननीय मंत्री ने गोरखपुर में साफ कह दिया है कि वह जारी रहेगा ।

संयुक्त अरब गणराज्य को भारतीय शिष्ट मण्डल

९८१. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के विशेषज्ञों का एक शिष्टमंडल संयुक्त अरब गणराज्य में हेलवान का विमान कारखाना देखने जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक लौट आयेगा ;

(ग) क्या शिष्टमण्डल अन्य स्थानों का भी दौरा करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ । संयुक्त अरब गणतंत्र को एक आफिसर दल भेजने का सुझाव विचाराधीन है जिस में हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लि० के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) से (घ). विस्तार अभी तक निश्चित नहीं किए गए ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो शिष्ट-मंडल जायेगा, उस में कितने सदस्य होंगे और क्या उस में कोई विदेशी सदस्य भी होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डीटेल्ज़ अभी तय नहीं की गई हैं । उन पर ग़ौर किया जा रहा है ।

बलिहारी कोयला खान में दुर्घटना

+

†*९८२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप्रैल, १९६३ को धनबाद की बलिहारी कोयला खान की छत गिर जाने के कारण ३ मजदूर मर गये थे ;

(ख) क्या दुखद दुर्घटना की जांच की गई है ;

(ग) जांच प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक शोकग्रस्त परिवारों को अन्तरिम सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) घायल मजदूरों को शीघ्र चिकित्सा सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) ६ अप्रैल, १९६३ को १–३० बजे दक्षिण बलिहारी कोयला खान में एक दीवार गिर जाने के कारण एक मजदूर मर गया, दो को काफी चोटें आयीं और दो को मामूली चोटें आई ।

(ख) जी हां ।

(ग) खान के प्रबन्धकों ने दो मृत मजदूरों को अन्तरिम सहायता दी है । तीसरे के आश्रित ऐसी सहायता के लिये आगे नहीं आये हैं । कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए और कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि से सहायता देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) ४ आहत मजदूरों को तुरन्त ऊपर लाया गया और कोयला खान के अस्पताल में भेजा गया । जिन दो मजदूरों को मामूली चोटें आयीं उन्हें प्राथमिक सहायता दे कर अस्पताल से रिहा कर दिया गया । बाकी जिन दो मजदूरों को गहरी चोटें आई थीं उन्हें प्राथमिक सहायता दिये जाने के बाद धनबाद के सेंट्रल हास्पिटल में भेजा गया जहां वे एक घंटे के बाद मर गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह भी सुरक्षा सप्ताह के दौरान हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अमेरिका और राष्ट्रमण्डल का संयुक्त वायु सेना शिष्टमंडल

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७.** { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि अमेरिका और राष्ट्रमण्डल के संयुक्त वायु सेना शिष्टमण्डल (एयर मिशन) की सिफारिशों का कुछ ब्यौरा हाल में भारत तथा विदेशों के कुछ समाचार-पत्रों में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब उस रिपोर्ट और उस में की गई सिफारिशों का सारांश बताने की स्थिति में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) सरकार ने शिष्टमंडल की सिफारिशों के बारे में कुछ समाचार देखे हैं ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : १३ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स ने वाशिंगटन पोस्ट का एक समाचार दिया है जिस में लिखा है :

> "अमरीका में बने लड़ाकू विमानों का, चाहे वे पराध्वानिक हों अथवा अवध्वानिक, अभी कोई प्रश्न ही नहीं है ।"

इस में आगे कहा गया है कि :

> "अल्पकालीन भारतीय सहायता कार्यक्रम पर भी तब तक अमरीकी स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना नहीं है जब तक कि प्रधान मंत्री नेहरू कुछ ऐसे नये प्रस्ताव प्रस्तुत न करें जिन से कि २२ अप्रैल को पाकिस्तान से फिर होने वाली बातचीत में काश्मीर प्रश्न को तय करने की कोई आशा हो सके ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान वाशिंगटन पोस्ट के सैनिक संवाददाता के नाम में छपने वाले इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या इस से उत्पन्न होने वाली गलतफहमी का स्पष्टीकरण करने का कोई प्रयास किया गया है अथवा क्या सरकार इस वक्तव्य की सच्चाई की पुष्टि करने की स्थिति में है '?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : हम ने वे समाचार देखे हैं लेकिन कोई राय जाहिर करना थोड़ा कठिन है क्योंकि हमें शिष्टमण्डल की ओर से कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण है कि प्रेस को और दुनिया

---

†मूल अंग्रेजी में

को तो पता लग गया, लेकिन इस हाउस को अभी तक इस मामले में बिल्कुल अनजान रखा गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह गवर्नमेंट के अख्त्यार की बात नहीं है। यह इन्फ़र्मेशन तो दूसरी जगह से यहां आई है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित समाचार से इस बात की पुष्टि होती है कि हम चीनी हवाई हमले के मुकाबले के लिए सुपरसोनिक और सबसोनिक हवाई जहाज नहीं चाहते, और उस से वाशिंगटन में श्री पटनायक के कथन की पुष्टि होती है। उन्होंने यह भी कहा . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य बार बार एक ही नाम का उल्लेख कर रहे हैं. . . . . .

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने ऐसा कहा था. . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री रंगा** : श्री पटनायक ही सब कुछ नहीं हैं। प्रधान मन्त्री ने उन्हें विशेष रूप से भेजा था। क्या आपका ख्याल है कि हमें उनकी ओर निर्देश करने का भी कोई हक नहीं है ?

†**श्री हेम बरुआ**: मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को श्री पटनायक के नाम का उल्लेख किया जाना ही अच्छा नहीं लगता। मैं तो केवल यह जानना चाहता था। श्री पटनायक प्रधान मन्त्री के विशेष दूत की हैसियत से गये थे। उन्होंने वाशिंगटन में यह वक्तव्य दिया था कि हमें चीनी हवाई आक्रमण का मुकाबला करने के लिये इन विमानों की ज़रूरत नहीं हैं। अखबारों में अब जो छपा है उससे उस बात की पुष्टि ही होती है जो प्रधान मन्त्री के विशेष दूत ने कही है। मैं यह जानना चाहता था ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : श्री पटनायक ऐसी कोई बात नहीं कही है जो माननीय सदस्य बताते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अमरीकी सरकार को यह बिल्कुल स्पटष्ट कर दिया गया है कि भारत ऐसी कोई सहायता या शस्त्रास्त्र सहायता नहीं चाहता जो काश्मीर की समस्या के साथ जुड़ी हुई हो ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** जहां तक सहायता का सम्बन्ध है वह अन्य बातों पर आधारित नहीं है। गुणदोषों के आधार पर ही उस पर विचार किया जाता है। जो शिष्टमण्डल अमरीका जा रहा है वह इन सब ब्यौरों पर विचार कर रहा है ।

†**श्री त्यागी** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो प्रश्न युद्ध सम्बन्धी विशेष मामलों—खास तौर से हथियार आदि लेने, दूसरे देशों के साथ जारी बातचीत वह हमारी व दूसरे देशों की सरकारों की प्रतिक्रियाओं—के बारे में हों उनके इस सदन में पूछे जाने की अनुमति न दी जाये उनसे बातचीत में कठिनाई आ जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: परन्तु जब प्रश्न पूछा जाता है तो मन्त्री इस आधार पर उत्तर देने से इंकार कर सकते हैं कि उत्तर देना लोकहित में न होगा। यह तो वही जानते हैं कि क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

बताना लोकहित में होगा और क्या नहीं होगा । यदि वह उत्तर देने के लिये तैयार हों तो मैं कैसे नामंजूर कर सकता हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या सरकार जानती है कि अनेक शिष्टमण्डल दिल्ली से वाशिंगटन जाने पर भी चीनी आक्रमण के मूल प्रश्न के बारे में कुछ गलतफहमी है? उस सम्बन्ध में क्या सरकार का ध्यान सदन विनियोग समिति के सामने जनरल मैक्सवेल टेलर के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि (क) मुझे मालूम नहीं कि पहले किसने किसके ऊपर हमला किया कौन किसके इलाके में घुस आया और (ख) वह जमीन नेफा में उचित ढंग से रेखांकित नहीं की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह स्पष्ट किया जा चुका है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, बाद के स्पष्टीकरण से मालूम होता है कि जनरल टेलर का वक्तव्य काफी लम्बा था । लेकिन किसी कारणवश केवल पहले एक दो वाक्य ही प्रकाशित किये गये थे । बाद में अमरीकी सरकार ने सारे वक्तव्य को प्रकाशित किया जिससे यह अर्थ नहीं निकलता कि उन्होंने ये शब्द कहे थे फिर भी बाद की चीजों से काफी स्पष्ट हो जाता है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यह समाचार है कि ब्रिटिश सरकार हमारी रक्षा के लिए सब सैनिक हवाई जहाजों पर जोर दे रही है जबकि अमरीकी सरकार सुपरसोनिक हवाई जहाजों के लिए जोर दे रही है क्या सरकार की यह राय है कि सुपरसोनिक हवाई जहाज हमारी रक्षा के लिए आवश्यक हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** :मैं समझता हूं कि वह श्री त्यागी से परामर्श कर लें क्योंकि उन्होंने ठीक इसी ढग का प्रश्न उठाया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अमरीकी सरकार ने जनरल मैक्सवेल टेलर की बातों का स्पष्टीकरण किया था अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि उसका खण्डन या स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अमरीकी सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उसका ध्यान उस ओर दिलाया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसने अपने मन से ही स्पष्टीकरण किया है । हमने इस विषय पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है ।

भारत में अमरीकी 'टास्क फोर्स'

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८.** { **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** / **श्री यशपाल सिंह :** }

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी 'टास्क फोर्स' के लिये भारत में कोई विशेष कार्य और कर्तव्य तय हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) और (ख) भारत में कोई अमरीकी टास्क फोर्स नहीं है और इसलिए कोई खास काम सौंपने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अमरीकी एयर फोर्स का सी १३० ट्रांसपोर्ट हवाई जहाजों का एक स्क्वैड्रन है जो मोर्चे के कुछ इलाकों में आवश्यक प्रतिरक्षा सप्लाई की चीजें पहुंचाने में मदद दे रहा है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या अमरीकी टास्क फोर्स की कल्पना पर अभी भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और क्या उस सम्बन्ध में कोई शर्तें मंजूर की गयी हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी नहीं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए अमरीका से टास्क फोर्स भेजने के लिए हमारी ओर से अमरीकी सरकार से कोई प्रार्थना की गयी है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तरिक्ष भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी

†*९६९. **श्री श्रीनारायण दास** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय समिति के तत्वावधान में हाल में अहमदाबाद में आयोजित अन्तरिक्ष भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी ने सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने के लिए अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी किसी कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) अहमदाबाद में अन्तरिक्ष भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी का प्रयोजन यह था कि अन्तरिक्ष अनुसन्धान में रुचि रखने वाले भारतीय वैज्ञानिक ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों से इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल सकें और बातचीत कर सकें। ऐसी दशा में इक्वेटोरियल साइडिंग राकेट लाचिंग साइट सहित अन्य संस्थाओं में निकट भविष्य में ऐसा आयोजन उपयुक्त और व्यावहारिक होगा। गोष्ठी में साउडिंग राकेट स्टडीज, सैटेलाइट बेस स्टडीज आदि के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

कांगो में भारतीय सैनिक

†*९७८. **श्री याज्ञिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन भारतीय सैनिक यूनिटों के कार्य के बारे में संयुक्त राष्ट्र से कोई रिपोर्ट मिली है जिन्होंने हाल में ही कांगो में काम किया था ; और

(ख) क्या उन सैनिकों अथवा यूनिटों को कोई पदोन्नति अथवा पुरस्कार दिया जा रहा है जिन्होंने कांगो में सेवा में वीरता दिखाई थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कांगो स्थित हमारी टुकड़ी के काम की प्रशंसा की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कांगो में हमारी सेना के सैनिकों को बहादुरी और सेवा के लिए उन व्यक्तियों को उपयुक्त इनाम दिये गये हैं कुछ को नकद भत्ते और नकद इकट्ठी रकमें भी दी गयी हैं, सेना के यूनिटों को कोई इनाम नहीं दिये गये हैं।

पदोन्नति सामान्य नियमों के अनुसार की जाती है और कांगो में की गयी सेवा के लिए खास तौर से कोई तरक्की या पदोन्नति नहीं की गयी है।

नेफा में निष्क्रांत व्यक्तियों का पुनर्वास

†*९८३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में असैनिक प्रशासन पुनः स्थापित होने से नेफा के सभी निष्क्रान्त व्यक्ति अपने घरों को वापस लौट गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितने अभी तक वापस नहीं लौटे हैं ; और

(ग) जो निष्क्रान्त व्यक्ति वापस लौट आये हैं उनको किस रूप में पुनर्वासित किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग) :** (क) जी हां, विभिन्न शिविरों से नेफा के सभी निष्क्रान्त व्यक्ति अपने अपने गांवों तक लौट आये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आसाम में शिविरों पर किये गये खर्च के अलावा पुनर्वासकार्यवाही पर १,९३,००० रुपया खर्च किया गया है नेफा में उस कार्यवाही में अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि का वितरण, और कुछ मामलों में, मकानों की मरम्मत के लिए नकद अनुदान शामिल है। बीज, पशु और सामान भी उन्हें दिया जा रहा है।

'जमुना कोलियरी' में दुर्घटना

†*९८४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश की 'जमुना कोलियरी' में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में खानों के अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** खानों के अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक की सिफारिश के अनुसार, कोयलाखान के एजेन्ट के खिलाफ दांडिक कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य

†*९८५. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महा-सभा द्वारा सदस्य राष्ट्रों के अंशदान के बकाया धन के सम्बन्ध में नियुक्त कार्य कारी दल को भारत ने अन्य छः देशों के साथ मिल कर एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बकाया धन की वसूली के लिए किन उपायों का सुझाव दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन भेजी गई सैनिक तथा चिकित्सा टुकड़ियों के लिए भारत को प्रतिकर दिये जाने का आशा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी हां । कार्यकारी दल के पांच सदस्य तथा भारत ने इस विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया था । उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि संगठन की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए सदस्य राष्ट्र बकाया रकमों के भुगतान के लिए आवश्यक संवैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्था करेंगे और इस बीच वे अपना इरादा जाहिर करेंगे । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को बुलाया था कि वह तुरन्त स्थिति की सामान्य परीक्षा करें और सदस्य राज्यों के परामर्श से उपयुक्त व्यवस्था करें । इस विषय पर अगले महीने उसे महासभा को एक प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश करने और अगले सितम्बर में महासभा के १८वें अधिवेशन में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

(ग) कांगो में सेवा के लिए सैनिक देने के सम्बन्ध में भारत ने जो असाधारण खर्च किया है वह वापिस करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर ली है ।

कनाडा से सैनिक सहायता

†२१२३. **श्री राम हरख यादव** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने प्रशिक्षक विमानों के रूप में भारत को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां ।

(ख) कनाडा सरकार ने अनुदान के रूप में ३६ हार्वर्ड प्रशिक्षक विमान देना स्वीकार कर लिया है । भारत को कनाडा से विमान लाने का भार तथा व्यय हमें करना पड़ेगा ।

बिहार के लिए तीसरी योजना के लक्ष्य

†२१२४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के बिहार के लक्ष्य आपातकाल अथवा अन्यथा परिवर्तित कर दिये गये हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने बिहार सरकार को लक्ष्य पर दृढ़ रहने के लिए सहायता देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में विकास योजनायें

†२१२५. **श्री उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया तथा कितना रद्द किया गया; और

(ख) धन के रद्द होने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है ।

नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय को सहायता

२१२६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय को कितनी सहायता, वित्तीय अथवा अन्य, अभी तक दी गई है;

(ख) उस में कितने भारतीय नागरिक अभी भी अध्यापकों के रूप में काम कर रहे हैं; और

(ग) भविष्य में किस प्रकार की सहायता दिये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अब तक जो सहायता दी गई है वह इस प्रकार है :—

(१) रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री) भवन के निर्माण के लिए अब तक ५.५४ लाख रुपये दिये जा चुके हैं । इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(२) संदर्भ पुस्तकालय (रैफ़रैन्स लाइब्रेरी) के लिए ५०,००० रुपये दिये गये हैं ।

(३) स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) छात्रवृत्तियों के रूप में ३०,००० रुपये दिये गये हैं ।

(४) स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के लिए हिन्दी पुस्तकालय का प्रबंध किया गया है ।

(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय में २४ भारतीय नागरिक निम्नलिखित पदों पर काम कर रहे है :—

(अ) प्रोफेसर . . .	७
(आ) रीडर . . .	३
(इ) लेक्चरर . .	१३
(ई) विशेषाधिकारी . . . (विश्वविद्यालय के कार्यालय के लिए)	१

(ग) (१) विश्वविद्यालय के अहाते में नीचे बताई गई इमारतें बनाई जा रही हैं :

(१) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की इमारत ।

(२) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास ।

(३) अध्यापकों के लिए क्वार्टर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) आशा की जाती है कि इस वर्ष २ प्रोफेसर, २ रीडर और ३ लैक्चरर और नियुक्त किये जायेंगे ।

उड़ीसा में विकास कार्य

†२१२७. **श्री उलाका : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राज्य में स्थानीय विकास कार्यों के लिए उड़ीसा को कितना धन दिया गया था; और

(ख) १९६२-६३ में राज्य द्वारा कितने धन का उपयोग किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) और (ख). १९६२-६३ के लिए स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को २३ लाख रुपया दिया गया था । राज्य सरकार ने यह कहा था कि राज्य (कुछ जिलों के अतिरिक्त) अप्रैल १९६२ से दिसम्बर, १९६२ के लिए २.३८ लाख रुपया व्यय किया गया था तथा जनवरी से मार्च, १९६३ के लिए अनुमानित व्यय २०.६२ लाख रुपया था । १९६२-६३ के लिए १८.४० लाख रुपये तदर्थ अनुदान दिया गया था तथा पूरे वर्ष के लिए व्यय आंकड़े मिलने पर आवश्यक समायोजन किया जायेगा । क्योंकि वित्तीय वर्ष ३१ मार्च को बन्द हो गये परन्तु किये गये व्यय के बारे में जिलों से अन्तिम आंकड़े इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा ।

भारत का पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा तथा पाकिस्तान का भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा दौरा

†२१२८. { **श्री उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना: }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे; और

(ख) इसी अवधि में कितने भारतीय पाकिस्तान गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी में हिन्दी शब्दकोषों का प्रयोग

२१३०. { **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में हिन्दी कार्यों के लिये किस शब्दकोष या शब्दकोषों का प्रयोग किया जाता है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आकाशवाणी का जो अपना शब्दकोष है उसे किसने निर्मित किया था और उसमें १९६२-६३ में क्या क्या संशोधन किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११८५/६३]।**

(ख) शब्दकोष आकाशवाणी के स्टाफ़ द्वारा तैयार किया गया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप-समिति द्वारा, जिस के सदस्य (१) डा० हरिवंश राय बच्चन, (२) श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार, (३) श्री मन्मथनाथ गुप्त, (४) श्री अशोक जी और (५) श्री रामचन्द्र टंडन (संयोजक) थे, इसको अन्तिम रूप दिया गया था। १९६२-६३ में इस शब्दकोष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रतिरक्षा संस्थापनों के लिये साप्ताहिक पत्र

२१३१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में जो दैनिक व साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के भेजे जाते हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ ऐसे अंग्रेजी साप्ताहिक भी सेना में बड़ी संख्या में जाते हैं जो सरकारी नीति के विरोधी होने के साथ-साथ सैनिकों में पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) सैनिकों के पढ़ने के लिए उपयुक्त समझे गये पत्र पत्रिकाओं की सूची समय समय पर यूनिट कमांडरों में उनकी सहायता के लिए परिचालित की जाती है। यह सूचियां निदर्शनात्मिक होती हैं। पत्रिकाएं यूनिटों द्वारा सीधे खरीदी जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापन

२१३२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्रकार संस्थान में भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापन प्रसारित करना ठीक नहीं है ;

(ख) आकाशवाणी के किन-किन केन्द्रों से ये विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ग) इन विज्ञापनों से वर्ष में कितनी आय सरकार को हो जाती है ?

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) प्रधान मंत्री ने रेडियो के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया का चलता--सा ज़िकर किया था, आकाशवाणी के बारे में नहीं ।

(ख) आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

लिबिया को तकनीकी सहायता

†२१३३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबिया सरकार ने भारत सरकार से अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की सहायता के लिए तकनीकी सहायता मांगी है ;

(ख) क्या लिबिया ने अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए अध्यापक भी मांगे हैं ; और

(ग) लिबिया में कितने भारतीय इस समय प्रतिनियुक्त हैं तथा उस की प्रार्थना को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) छः । शिक्षा मंत्रालय और अधिक अध्यापकों की प्रार्थना की जांच कर रहा है ।

डा० राजेन्द्र प्रसाद से सम्बन्धित पुस्तकें

२१३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की जीवनगाथा व उनके लेखों तथा भाषणों पर एक या अधिक अधिकृत पुस्तकें प्रकाशित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):(क) से (ग). स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन और लेखों पर अधिकृत पुस्तकें प्रकाशित करने का इस समय कोई विचार नहीं है । इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने उनके भाषणों के तीन खण्ड अवश्य निकाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चीन-पाकिस्तान सीमा करार

†२१३५. { **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग में चीन-पाकिस्तान सीमा करार पर हस्ताक्षर होने के विरुद्ध पाकिस्तान को भेजे गए विरोध पत्र का कोई उत्तर मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्रवीण तथा अप्रवीण व्यक्तियों का पंजीयन

†२१३६. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:**
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २८ फरवरी, १९६३ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों (प्रवीण तथा अप्रवीण) का पंजीयन किया गया ;

(ख) कितने ग्रेजुएट (स्नातकों) का पंजीयन किया गया था ; और

(ग) १९६० से १९६२ तक पंजीयन के बाद कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) ४,०३,५१९ ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ को ११,१८९ । (आंकड़े छः माह में इकट्ठे किए जाते हैं इसलिए २८ फरवरी, १९६३ तक की जानकारी नहीं है)

(ग) २,३३,९५६ ।

भर्ती केन्द्र

२१३७. **श्री भक्त दर्शन:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने के लिए आसाम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कौन से नये भर्ती कार्यालय खोले गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह सच है कि वहां के जितने लोग भर्ती होने को आते हैं, उनमें से बहुतों को निराश वापस जाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां तो उन सब उत्साही पर्वतीय युवकों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो कर देश की सेवा करने का अवसर देने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) भर्ती का एक कार्यालिय पंजाब में हमीरपुर में खोला गया है ।

(ख) जी नहीं, हर वह उम्मीदवार जो निर्धारित शारीरिक तथा स्वास्थ्य मानदण्डों पर पूरा उतरता है, सेना में भर्ती कर लिया जाता है ।

(ग) चल भर्ती दलों को आन्तरिक, विशेष कर सीमा क्षेत्रों से शरीर से योग्य स्वयंसेवकों को केन्द्रीय स्थानों पर लाने के लिए भेजा जाता है, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्तिम चुनाव किया जाता है ।

नेपाली पुलिस द्वारा अपहृत भारतीय

२१३८. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क)क्या यह सच है कि हाल में नेपाल की पुलिस ने खजुरिया गांव के दो निवासियों को लखीमपुर-खीरी में गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है और उन को छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) नेपाल की पुलिस ने खजुरिया गांव, ज़िला लखीमपुर-खीरी के दो निवासियों को नैपाली प्रदेश के भीतर ही गिरफ्तार किया था । इसमें से एक पर नैपाली पुलिस को यह शक था कि पिछले वर्ष नैपाल में नैपालियों ने जो छापा मारा था, उसमें उसका भी हाथ था । बताया जाता है वह आदमी अब भी नैपालियों की हिरासत में ही है । दूसरे व्यक्ति का मामला भारत के ज़िला अधिकारियों ने नेपाल के ज़िला अधिकारियों से उठाया था और उसके बाद वह रिहा कर दिया गया था ।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का दिया जाना

२१३९. { **श्री प० ला० बारूपाल**:
श्री बाल्मीकी:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिकों ने काश्त के लिये भूमि दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे उनमें से कितने सैनिकों को राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में भूमि दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन पड़े हुए हैं और कितने समय से ; और

(ग) देर होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग), सूचना राजस्थान सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और जब भी प्राप्त हुई लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

मौसम सम्बन्धी राकेट

२१४०. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष योजना के अन्तर्गत मौसम के राकेट छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में उस पर कितना खर्च होगा ; और

(ग) ये राकेट कब-कब छोड़े जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) मौसम विज्ञान सम्बन्धी राकेट, जो कि केरल में थुम्बा नामक स्थान पर स्थापित की जा रही विषुवदीय साउंडिंग राकेट लांचिंग फैसिलिटी से १९६४ में छोड़े जायेंगे, प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है कि ये राकेट अन्तर्राष्ट्रीय शांत सूर्य वर्षा, १९६४ तथा १९६५ ,में किये जाने वाले अध्ययनों के लिये प्राप्त हो जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष १९५८ में समाप्त हुआ।

(ख) क्योंकि इन राकेटों को प्राप्त करने की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उस पर होने वाला व्यय मौजूदा अवस्था में बताना सम्भव नहीं।

(ग) मौसम विज्ञान सम्बन्धी पहला राकेट १९६४ के प्रारम्भ में छोड़े जाने की संभावना है। १९६४-६५ में समुचित व्यवधानों से सम्भवतः लगभग एक दर्जन राकेट छोड़े जायेंगे।

प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना

†२१४१. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा सामान्य दक्षता में, विशेषतया वर्तमान आपात स्थिति के कारण सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) प्रक्रिया संबंधी विलम्ब किस प्रकार कम कर दिया गया तथा काम शीघ्र किस प्रकार निबटाना शुरू कर दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख) प्रक्रिया संबंधी विलम्ब कम करके तथा मितव्ययता करके प्रशासन को दक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान आपात होने से, देश में प्रतिरक्षा कार्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव वाले मामलों पर ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११८६।६३।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में फेनी नदी पर बंद (स्पर)

†२१४२. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा:**
श्री ग्रोंकार लाल बैरवा:
श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा ग्राजाद:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री ग्र० ना० विद्यालंकार:
श्री श० ना० चतुर्वेदी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सितम्बर, १९६२ के भारत-पाक करार के उल्लंघन में सबरूम नगर के पार फेनी नदी के भारतीय भाग में बंद (स्पर) बनाने पुनः ग्रारम्भ कर दिए हैं : ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा ग्रणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ग्रौर (ख). जी हां ।

पाकिस्तान १९५९ के दोनों सरकारों के करार का उल्लंघन करके फेनी नदी के विभिन्न स्थानों पर पुश्ते बना रहा है । माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित सितम्बर, १९६२ के भारत-पाकिस्तान करार की जानकारी सरकार को नहीं है ।

त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है । त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से प्रश्नों के निर्माण के संबंध में बातचीत करने के लिए दोनों ग्रोर के जिला ग्रधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए पूर्व पाकिस्तान सरकार से ग्रनुरोध किया है जिससे मामला सुलझ जाये ग्रौर बल प्रयोग के बिना समस्या का संतोषजनक हल निकल ग्राये । पूर्व पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सैलम जिले में 'रेडियो मीट्रीक' सर्वेक्षण

†**२१४३. श्री कंडप्पन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम जिला (मद्रास) में रेडियो मीट्रिक सर्वेक्षण द्वारा २९ रेडियो सक्रिय क्षेत्रों के ब्योरे बताये गये हैं ;

(ख) सर्वेक्षण ग्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि तथा कुल व्यय कितना है; ग्रौर

(ग) सरकार ने उनका उपयोग करने के लिए किन उपायों का प्रस्ताव किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा ग्रणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) प्रश्न में उल्लिखित २९ रेडियो सक्रिय क्षेत्र मद्रास राज्य के सैलम जिले में कुल्लामपट्टी के निकट स्थित थे । नमूना रासायनिक जांच करने से ०.०१६ से ०.४५ प्रतिशत यू ३०८ का पता लगा ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ख) इन क्षेत्रों में रेडियो मीट्रिक सर्वेक्षण कार्य १९६१-६२ के क्षेत्रीय मौसम में किए गए थे। इस जांच पर किए गए व्यय को अलग से नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इसमें नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी तथा उपकरण निकट के क्षेत्रों में अणु खनिजों के सर्वेक्षण तथा खोज के काम में भी लगे हुए थे ।

(ग) इन क्षेत्रों में यू ३०८ इतना अधिक नहीं है कि उनका तब तक वाणिज्यिक विदोहन किया जाये जब तक उसके निकट इसी प्रकार के काफी बड़े अन्य क्षेत्र न मिलें ।

प्रतिरक्षा संबंधी सामान का निर्माण

†२१४४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ मार्च १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक सामान बनाने के लिये क्रयादेश ऐसे समवायों के वर्ग से संबंधित किसी फर्म को दिये गये हैं, जिसकी निन्दा विवियन बोस आयोग ने हाल ही में की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) किन फर्मों को क्रयादेश दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

तीसरी योजना की प्रगति

†२१४५. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना के दूसरे वष में कितनी प्रगति की गई है क्या यह आशाओं के अनुकूल है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च०रा० पट्टाभिरामन्)**: योजना आयोग ने मई १९६३ के मध्य तक तीसरी योजना के दूसरे वर्ष के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के लिये सूचना भेजने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों की सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को कहा है । अगस्त १९६३ तक प्रतिवेदन तैयार हो जाने की आशा है ।

पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण

†२१४६. { **श्री चं० का० भट्टाचार्य**:
श्री नि० र० लास्कर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पी० टी० आई० की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि ५० पाकिस्ता ी लोग करीमगंज सीमा (आसाम) पर लटीटिला में घुस आये और उन्होंने एक भारतीय किसान की भूमि पर कब्जा कर लिया ;

(ख) क्या यह सच है कि २५० पाकिस्तानियों ने १६ मार्च को उसी क्षेत्र में अतिक्रमण किया था और २५ भारतीय किसानों की खेती में बाधा डाली थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पाकिस्तानी सरकार का ध्यान इन अतिक्रमणों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). जी हां। उपरोक्त घटनाएं १८ और २५ माच १९६३ को क्रमशः आसाम में लटिटिला में हुई ।

(ग) आसाम सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार को जोरदार विरोध पत्र भेजा है। यह मामला राजनयिक सूत्रों के द्वारा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भी पाकिस्तान सरकार से उठाया गया है ।

कलकत्ता के समीप नमक की झीलों की सफाई

†२१४७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के समीप नमक की झीलों की सफाई की योजना में कोई प्रगति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रगति की प्रमुख रूपरेखा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** (क) जी हां ।

(ख) २.९९ करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है और ये प्रमुख प्रगतियां हैं :

(१) ३३९ एकड़ भूमि की सफाई की गई है ;

(२) ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य बागताला नाली सफाई संयंत्र से पूरा हो चुका है और अधिकतर बिजली तथा मशीनी सामान उस स्थान पर जोड़ा जा चुका है ;

(३) टाउनशिप की योजना, भूमि संबंधी सारिकनीं इकठी करना, बन्दोबस्त, भार वहन क्षमता आदि का काम साफ किये गये क्षेत्र में आरम्भ किया जा चुका है ।

नागालैंड के लिये पुलिस बल

†२१४८. **श्री प्र० चं० बरुआः**
श्री यशपाल सिंहः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैंड के लिये एक पुलिस बल बनाने की हाल ही में मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पुलिस कर्मचारी उसके लिये मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) इस बल पर प्रति वर्ष कितना आवर्त्तक व्यय होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) नागालैंड में एक छोटा पुलिस बल बहुत वर्षों से काम कर रहा है। हाल में जो प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं वे आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसके विस्तार से संबंध रखते हैं ।

(ख) हाल ही में दो सशस्त्र पुलिस बटालियनों की मंजूरी दी गई है। जिला पुलिस संगठन का विस्तार भी मंजूर किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब खड़ी की जाने वाली दो सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर ४६,४८,००० रुपये। जिला पुलिस संगठन के विस्तार पर ८,२३,१०० रुपये का वार्षिक आवर्त्तक व्यय होने की संभावना है।

पूर्वी पाकिस्तान से संथालों का प्रव्रजन

†२१४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले के लगभग २०० संथाल पश्चिम दिनाजपुर में भारतीय सीमा में घुस आये हैं।

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विस्तृत सूचना यह है कि ३४ संथाल परिवारों में कुल १८६ व्यक्ति थे, पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले के निवासी यात्रा अनुमति के बिना, २६ मार्च १९६३ को पश्चिम दिनाजपुर जिले में आ गये।

(ख) उन्होंने बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से उनके प्रव्रजन का कारण यह था कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कुछ सदस्यों ने उनको होली उत्सव के पश्चात उनकी आदिम जाति प्रथा के अनुसार उनको शिकार करने से रोक दिया था, और बाद में उनके जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा की धमकी दी थी।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने औपचारिक रूप से इस घटना की ओर पूर्व पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है और पूर्व पाकिस्तान के अल्प संख्यक समाज में विश्वास लाने तथा उनकी रक्षा के पक्के और प्रभावपूर्ण कायवाही करने के लिए तुरन्त जांच करने की प्रार्थना की है। जिला अधिकारियों ने संथाल परिवारों को सहायता दी है जहां इस की आवश्यकता थी।

मजगांव गोदी

†२१५०. **श्री कोल्ला वेंकैय्या** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव गोदी सीमित द्वारा याड के समीप जहाज मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाने के लिये १९६२-६३ में कोई कार्यवाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) कुल कितना व्यय हुआ है ;

(घ) क्या १९६२-६३ में जहाज मरम्मत कार्य में कोई उन्नति हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्नति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) इस याड में सुविधाओं का विस्तार करने की एक योजना सरकार द्वारा अनुमोदित हुई है और प्रारम्भिक प्रक्रय का काम शुरू कर दिया गया है। यद्यपि इस का मुख्य रूप से उद्देश्य भारी नवीन निर्माण करना है, किन्तु जहाज की मरम्मत करने की सुविधाओं को भी बढ़ाया जायेगा।

(ख) प्रमुख कार्य दो बिल्डिंग स्लिप बनाना तथा कासारा बसिन को गीली गोदी में बदलना होगा, और इस प्रकार जहाज मरम्मत कार्य के लिये अतिरिक्त वर्षों की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) इस विस्तार कार्यक्रम पर अनुमानित लागत ३.५ करोड़ रुपये होगी तथा विदेशी मुद्रा का व्यय १.२८ करोड़ रुपये के लगभग होगा।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ) जी, हां। जहाज मरम्मत कार्य १९६२-६३ में आरम्भ किया गया और १५७ लाख रुपये खर्च हुए जब कि १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के दोनों वर्षों में प्रति वर्ष १४७ लाख रुपये का व्यय हुआ था।

उड़ीसा मुख्य मंत्री का नवीन कार्य

†२१५१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उडीसा के मुख्य मंत्री अभी भी वैदेशिक काय मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय में अब भी विशेष कार्य पर नियुक्त हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** उड़ीसा के मुख्य मंत्री, श्री पटनायक, अंशकालिक आधार पर वर्तमान संकट काल से संबंधित कार्य में भारत सरकार की सहायता करते हैं। वह इस कार्य के लिये समय समय पर दिल्ली आते रहते हैं।

बारूद में 'धूप' का प्रयोग

२१५२. **श्री लखमू भवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारूद के लिये 'धूप' आवश्यक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस्तर में बहुत मात्रा में 'धूप' उपलब्ध है परन्तु कुछ कारणों से उसके निकाले जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है ; और

(ग) क्या आपातकालीन आवश्यकता की दृष्टि से उपरोक्त प्रतिबन्ध हटा लेने के लिये कोई कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भूतपूर्व सैनिक

†२१५३. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को दयापूर्वक सहायता देने के लिये उन की सेवा के ब्योरे का सत्यापन किस ढंग से किया जाता है ;

(ख) क्या प्रार्थनाओं के गलती से रद्द होने के मामले में स्वतंत्र प्राधिकार को अपील करने का कोई उपबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो उन अपीलों पर विचार करने के लिये कौन सक्षम अधिकारी है ; और

(घ) इस समय कितने भूतपूर्व सैनिकों को राज्यवार कृपापूर्ण सहायता मिलती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण):** (क) वित्तीय सहायता देने के लिये भूतपूर्व सैनिकों के सेवा के ब्योरों और वित्तीय स्थिति का सत्यापन साधारणतया उन जिलों में जहां भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, जिलों के सैनिकों, नाविकों और वैमानिकों के बोर्ड के अभिकरण के द्वारा, एक निर्धारित प्रपत्र पर किया जाता है। भूतपूर्व नाविकों के मामले में सेवा का ब्योरा आई० एन० एस०

†मूल अंग्रेजी में

आगरे के कमांडिंग अफसर से प्राप्त किया जाता है । सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर, उस विधि के नियंत्रक प्राधिकार द्वारा विचार किया जाता है, जहां से वह सहायता दी जानी होती है ।

(ख) और (ग). निराश भूतपूर्व वैमानिक को चीफ़ आफ़ एयर स्टाफ को अपील करने का अधिकार होता है, जो भारतीय विमान बल लाभ संख्या का प्रधान होता है । अन्य निधियों के मामले में, जहां से कृपापूर्ण सहायता दी जाती है, किसी प्राधिकारी को अपील करने की व्यवस्था नहीं है । तथापि निराश प्रार्थी संबंद्ध सेवा मुख्यालय को या राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड को, यथा स्थिति, अपनी अर्जी भेज सकता है ।

(घ) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वायु प्रतिरक्षा शिष्टमंडल

†२१५४. **श्री मती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रतिरक्षा के निमित्त विदेशी शिष्ट मंडलों के साथ चर्चा में प्रतिरक्षा संबंधी सामान प्राप्त करने की शर्तें शामिल थीं ; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, वायु प्रतिरक्षा शिष्टमण्डलों के सदस्य प्रविधिक अफसर थे और उनके साथ केवल प्रविधिक तथा संचालन संबंधी मामलों में चर्चा की गई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काफिलों के मार्गों को चालू करने के संबंध में चीन-पाक समझौता

†२१५५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा चीन के सिंक्यांग (चीन) और पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य के क्षेत्र में विद्यमान पुराने काफिला मार्गों को पुनः चालू करने के संबंध में एक समझौता किया है ; और

(ख) उत्तर पश्चिम में जम्मू तथा काश्मीर सीमा के सामरिक महत्व पर इस उन्नत रास्ते (सड़कें) का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) सरकार को ऐसे किसी समझौते की कोई पक्की सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संकटकाल के बारे में आकाशवाणी पर विशेष वार्ता

†२१५६. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकटकाल के प्रारंभ से आकाशवाणी में राजनीतिज्ञों तथा अन्य जन नेताओं की विशेष वार्ताएं आरंभ की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी वार्ताएं प्रसारित की गई हैं और वार्ताकार लोगों के नाम, पद तथा सामाजिक (राजनीतिक) क्षेत्र में स्थान क्या है ; और

(ग) इन पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) जी हां ।

(ख) सूचना आकाशवाणी के विविध केन्द्रों से एकत्रित की जा रही है ।

(ग) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया क्योंकि ये वार्ताएं अन्य कार्यक्रमों के स्थान पर प्रसारित की गई थीं ।

इजराइल जाने के लिये पार-पत्र

†२१५७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल १९६२ से किसी भारतीय ने इजराईल जाने के लिये पारपत्र मांगे थे और उन को नहीं दिये गये ;

(ख) यदि नहीं तो उक्त अवधि में कितने लोगों ने प्रार्थना की तथा कितने लोगों को पारपत्र नहीं दिये गये ;

(ग) क्या इजराईल नागरिकों को उक्त अवधि में भारत के लिये वीजा इनकार कर दिये थे, जिनके पास भारत के लिये मान्य पारपत्र थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या स्थिति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) इजराईल तथा अन्य देशों के लिये पारपत्रों की अर्जियों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है । हमेशा उन अर्जियों को स्वीकार करना संभव नहीं होता ।

(ख) इजराईल के लिये पारपत्रों की अर्जियों की संख्या तथा पारपत्र दिये गये मामलों की संख्या मंत्रालय के साथ नहीं है क्योंकि देशवार सांख्यिकी नहीं रखी जाती ।

(ग) और (घ). इजराइल तथा अन्य देशों के लोगों की बीजा अर्जियों पर समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अधीन गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

देहाती क्षेत्रों का उद्योगीकरण

†२१५८. **श्री वेंकटासुब्बया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहाती क्षेत्रों के उद्योगीकरण के संबंध में अध्ययन किया गया है और फार्म उपज पर इसका क्या प्रभाव हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं कि आया ऐसा कोई अध्ययन चल रहा है और फार्म उपज पर उसका कोई असर है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लक्कद्वीव द्वीपों के लिये आकाशवाणी से प्रसारण

†२१६०. { **श्री अ० व० राघवन् :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव संघ राज्य-क्षेत्रों के लोगों को कोई समाचारपत्र नहीं मिलता ;

(ख) क्या एकमात्र कालीकट आकाशवाणी केन्द्र से साप्ताहिक प्रसारों के द्वारा ही समाचार प्राप्त होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वीप के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कालीकट से प्रतिदिन समाचार प्रसारित करने का विचार करती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । साप्ताहिक प्रसारणों के अतिरिक्त, भोजीरोड से प्रतिदिन १८००–१८१५ घण्टों पर मलयालम में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है और यह लक्कदीव के निवासियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है । द्वीपों तक तथा वहां से भारत तक जहाजों के आने जाने की सूचना भी १७५५ तथा १८०० घंटों के बीच समय समय पर प्रसारित की जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिक

२१६१. **श्री कछवाय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो भूतपूर्व सैनिक अन्यत्र काम कर रहे थे और रिजर्व में थे उनको इस शर्त पर वापस बुलाया गया है कि उनको गैर-सरकारी सेवा में जो वेतन मिल रहा है उससे अधिक वेतन दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आधार पर कितने व्यक्तियों को वेतन मिल रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको उससे भी कम वेतन मिल रहा है जो कि उन्हें प्राइवेट नौकरी में मिल रहा था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, कुछ हालतों में ।

(घ) ऐसे सेविवर्ग रिजर्व में हैं और उन की सेवा की शर्तों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए उन्हें पुनः बुलाया जा सकता है । सशस्त्र सेनाओं में उन्हें, नियमों के अधीन उनके लिए निर्धारित, तन्खाह तथा भत्ते मिलते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नकद पुरस्कार

२१६२. **श्री ओंकारलाल बेरवा:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वीरचक्र के स्थान पर नकद पुरस्कार देने की प्रथा अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितनी नक़द रक़म दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)। (क) तथा (ख). जी नहीं। शौर्य-पुरस्कृतियों के बदले में नक़द पुरस्कार देने का कोई सुझाव नहीं है। (कमीशंड अफसरों के अतिरिक्त) हर, वीर-चक्र पाने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा २० रुपये मासिक नक़द भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हर वीर-चक्र पाने वाले को, चाहे वह किसी रैंक का हो, उस राज्य द्वारा जिस से उसका संबंध हो एक यानुश्त धनराशि अथवा कुछ भूमि प्रदान की जाती है।

सेना में भरती

†२१६३. **श्री याज्ञिक:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से सेना में सैनिकों तथा अफसरों के रूप में प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्ति भरती किये गये है ; और

(ख) क्या उन राज्यों में भरती को बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्रवाई की गई है, जहां से भरती अपर्याप्त है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण):** (क) सभा में सूचना देना लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं।

(ख) अफसरों के बारे में, उन राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जब प्रचार दल आपातकालीन कमीशन देने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की भरती के बढ़ाने के लिये जाते ह।

सैनिकों की भरती के सम्बन्ध में, राज्यों के पदाधिकारियों का सहयोग, भरती को बढ़ाने के लिये प्राप्त किया जाता है, जहां से भरती संतोषजनक नहीं है। सेना/नौसेना/वायु सेना के प्रभावशाली भूतपूर्व अफसरों तथा असैनिक गैर-सरकारी व्यक्तियों को, उन राज्यों से भरती करने के लिये, भरती कर्मचारियों की सहायता करने के लिये अवैतनिक सहायक भरती अफसर और अवैतनिक अतिरिक्त सहायक भरती अफसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। भरती अफसर भी, सेना में भरती होने के लिये अच्छे लोगों को आकर्षित करने के लिये विशेष भरती प्रयास करते हैं और भरती समारोहों का आयोजन करते हैं।

एमरजेंसी कमीशन

†२१६४. **श्री कपूर सिंह :**
श्री य० ना० सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में एमरजेंसी कमीशनों के लिये भरती किये गये लोगों को प्रशिक्षण काल में

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों को, जो पहले सरकारी नौकरी में थे, उन को वही वेतन मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो उन लोगों की क्या स्थिति है जो पहले गैर-सरकारी फर्मों में काम करते थे ; और

(घ) क्या फर्मों के साथ कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, कि वे कम से कम प्रशिक्षण काल में अपने कर्मचारियों को वेतन दें ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) सेना में संकटकालीन कमीशन के लिये चुने गये लोगों को प्रशिक्षण काल में, निःशुल्क निवास और भोजन व्यवस्था होती है ।

(ख) असैनिक सरकारी कर्मचारियों को उन के असैनिक वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं । तथापि खुराक के लिये उन के वेतन भत्तों से २५ रुपये मासिक की कटौती की जाती है ।

सेना के कैडटों को उन के मूल पद के वेतन और भत्ते मिलते हैं ।

(ग) खुले बाजार से चुने गये लोगों को वेतन नहीं मिलता ।

(घ) यह सुना है कि कुछ फर्में इस पर विचार कर रही हैं और सरकार इस को प्रोत्साहन देना चाहेगी ।

'आयात प्रतिस्थापन' के लिये प्रविधिक तालिका

†२१६५. **श्री बूटा सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आपात प्रतिस्थापन' के लिये प्रविधिक तालिका कब बनाई गई थी ;

(ख) इस की सिफारिश के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ; और

(ग) क्या सरकार ने इस तालिका को समाप्त करने का फैसला कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) से (ग). "आपात प्रतिस्थापन" संबंधी प्रविधिक तालिका सरकारी संकल्प संख्या आई एंड ऐस—११(२)/६२ दिनांक २९ अगस्त १९६२ के द्वारा स्थापित की गई थी । तालिका ने अपनी पहली बैठक १७ अक्तूबर १९६२ को की और विविध उद्योग समूहों में आयात स्थानापत्ति की गुंजाइश का विस्तारपूर्वक परीक्षण करने के लिये कुछ उप-समितियां स्थापित कीं । तदुपरांत आपत्तिकाल की घोषणा हो गई । तालिका के सभापति ने यह अनुभव किया कि नवीन स्थितियों में तालिका साधारण तरीके से अपना काम जारी नहीं रख सकेगी । उन का सुझाव मान लिया गया और तालिका समाप्त कर दी गई । इस ने कोई सिफारिश नहीं की ।

एमरजेंसी कमीशन

†२१६६. **श्री कपूर सिंहः**
श्री बूटा सिंहः
श्री य० ना० सिंहः
श्री यशपाल सिंहः
श्री गुलशन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एमरजेंसी कमीशन के लिये भरती किये गये लोगों को उन के प्रशिक्षण

†मूल अंग्रेजी में

काल में रेलवे के किस दर्जे में यात्रा करने का हक होता है ;

(ख) क्या उन पर अनुरोध किया जाता है कि वे उस से ऊंचे दर्जे में यात्रा करें ; और

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि कौन देता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)**: (क) संकटकालीन कमीशन के लिये भरती हुए लोगों को प्रशिक्षण काल के दौरान उन की यात्राओं के लिए जारी वारंटों पर या दूसरे दर्जे पर यात्रा करने का हक है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेफा में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

†२१६७. **श्री नि० रा० भास्कर**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के कुछ भागों में देश के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि देने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को सफल बनाने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) और (ख). नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना स्थानीय प्रशासन के विचाराधीन है ।

उड़ीसा में केन्द्रीय परियोजनाएं

†२१६८. **श्री उलाका**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उड़ीसा की केन्द्रीय परियोजनाओं में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि में कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) से (ग). सूचना प्राप्त नहीं है ।

गोआ दमन और दीव में स्मारक

†२१६९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव में स्मारकों के संरक्षण के लिये कोई कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). भारत के पुरातत्व विभाग ने गोआ के सभी स्मारकों, पुरानी चीजों और स्थानों का निरीक्षण उन का महत्व तथा राष्ट्रीय स्मारक निर्धारित करने की दृष्टि से किया है। गोआ, दमन और दीव की सरकार ने भी ऐतिहासिक, वस्तुकला तथा धार्मिक महत्व के स्थानों का संरक्षण के लिए उपायों की सिफारिश करने एवं प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों अधिनियम १९५८ को तथा पड़ौसी राज्यों में विद्यमान ऐसे विधान को संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने की संभावना पर विचार करने के हेतु से एक पुरातत्व समिति नियुक्त की है। समिति गोआ में एक पुरातत्व संग्रहालय तथा एक कला कक्ष स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी। आशा है कि समिति तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) संशोधन नियम १९६२

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: मैं रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १६ मार्च १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५० में प्रकाशित रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) संशोधन नियम १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० ११८०/६३]:

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** (मंदसौर) : मैं विशेषाधिकार भंग होने के प्रश्न पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** : नियमों के अधीन ऐसा तभी किया जा सकता है जब मैं इस के लिये अपनी अनुमति दूं। मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे पास आ कर इस मामले पर मुझ से चर्चा करें।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेलवे), १९६३-६४

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से की अनुपूरक माँगों (रेलवे) १९६३–६४ का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** मैं वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और ८ अप्रैल, १९६३ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिववेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त समुद्री बीमा विधेयक, १९६३ सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पाः** (बंगलौर) : मैं डाक तथा तार विभाग के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का सोलहवाँ प्रतिवेदन करता हूं :—

(एक) डाक तथा तार निदेशालय के बारे में एक-सौ दसवाँ प्रतिवेदन ;

(दो) डाक सेवाओं तथा रेलवे डाक सेवा के बारे में एक-सौ ग्यारहवाँ प्रतिवेदन ;

(तीन) दूरसंचार के बारे में एक-सौ-बारहवाँ प्रतिवेदन ; और

(चार) वर्कशाप और स्टोर सगठनों के बारे में एक-सौ-तेरहवाँ प्रतिवेदन ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्री हुमायून् कबिर श्री बागड़ी के आरोपों का उत्तर देने के लिये वक्तव्य दे रहे हैं । चूंकि श्री बागड़ी अनुपस्थित हैं अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे उनकी उपस्थिति तक स्थगित रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदयः** : श्री बागड़ी को इसकी सूचना दे दी गयी है ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : श्री बागड़ी ने २३ मार्च, १९६३ को बजट पर चर्चा के समय मेरे मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला उठाया तथा एक उदाहरण दिया जिस में यह कहा गया कि मैंने अपने सरकारी पद का अनुचित लाभ उठाया । श्री बागड़ी ने यह आरोप लगाया कि मैंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से बिना कीमत दिये बैटरी प्लेटें प्राप्त कीं तथा उन्होंने कहा कि आडिटर की आपत्तियों की एक फोटो-स्टेट प्रति भी उनके पास है ।

यह बात सही नहीं है कि मैंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से बिना मूल्य दिये बैटरी प्लेटें प्राप्त कीं । यह भी गलत है कि आडीटर ने इस पर आपत्ति की । यह भी गलत है कि श्री बागड़ी के पास लेखा परीक्षा द्वारा की गयी आपत्ति की फोटो-स्टेट प्रति है ।

वास्तविक घटना इस प्रकार थी कि कुछ दशकगण मेरी कार में बैठ कर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला देखने गये थे; किन्तु वापिस लौटते समय बैट्री में खराबी आ जाने के कारण कार चालू नहीं हुई । उस समय बैट्री की प्रयोगशाला में मरम्मत की गई जहां भुगतान पर व्यक्तिगत लोगों के काय किये जाते हैं । प्रयोगशाला ने २२ नवम्बर, १९६० को सामान और मजदूरी के विषय में पूरा बिल भजा था जिसका भुगतान भी कर दिया गया है । उसकी रसीद १३ जनवरी, १९६१ को भजी गई थी । क्योंकि मरम्मत का कार्य अक्टूबर, १९६० में किया गया था भुगतान भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही कर दिया गया था, इसलिये किसी प्रकार की लेखा-विषयक आपत्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और न ही ऐसी आपत्ति उठाई गई थी ।

श्री बागड़ी ने क्रय मांग प्रपत्र की एक फोटो स्टेट प्रति प्राप्त की है, इसलिये वह जानते थे या उन्हें जानना चाहिये था कि यह लेखा-विषयक आपत्ति नहीं अपितु एक ज्ञापन मात्र है जिस में मुझे

---

†मूल अंग्रेजी में

लागत वसूल करने के विजय में लिखा हुआ है । इसके उपरान्त भी उन्होंने यह कह कर कि भुगतान की यह मांग देय राशि का भुगतान न करने के विषय में लेखा विषयक आपत्ति है, सभा को गुमराह किया है ।

जब श्री बागड़ी ने इस ज्ञापन की फोटो-स्टेट प्रति प्राप्त करने का कष्ट उठाया तो यदि वह नहीं जानते थ तो उन्हें जानना चाहिये था कि सामान्य प्रथा के अनुसार इस का भुगतान यथा समय कर दिया गया है । उन्हें यह भी जानना चाहिये था कि जो कार्य प्रोगशाला ने मेरे लिये किया वह वहां की प्रथा के विरुद्ध नहीं था और इस प्रकार का तुरन्त और अविलम्ब मरम्मत का कार्य प्रयोगशाला द्वारा नियमित कार्य के रूप में निजी पक्षों से भुगतान ले कर किया जाता है ।

मैं इस बात का निर्णय सभा के ऊपर ही छोड़ता हूं कि क्या श्री बागड़ी के कथन में उत्तरदायित्व की उचित भावना निहित है जिसकी आशा एक संसद् सदस्य से की जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : विवरण सभा पटल पर रख दिया जाये (अन्तर्बाधायें) ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** (मंदसौर) : संभव है कि मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण ठीक ह , किन्तु श्री बागड़ी सदन से निलम्बित कर दिये गये हैं । क्या इस प्रस्ताव की सूचना उन्हें दे दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उस फोटोस्टेट प्रति को देखा है वह लेखा विषयक आपत्ति के सम्बन्ध में नहीं है । जब किसी माननीय सदस्य के पास कोई कागज-पत्र हो तो यह आशा की जाती है कि वह उसके विषय में पूरी जानकारी रखता है । श्री बागड़ी के आने पर मैं उन से पूछगा कि जब वस्तुतः यह एक मांग पत्र था तो उन्होंने सभा को एसा आभास क्यों दिया कि यह लेखा-विषय आपत्ति है ?

†**श्री त्यागीः** (देहरादून) : संसद् की एसी प्रथा है कि जब कोई मंत्री अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खंडन कर दे तब आरोप लगाने वाले सदस्य को अपना कथन वापिस ले लेना चाहिये अथवा खेद प्रकट करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदयः** : मैं उन से एक प्रश्न पूछूंगा । इस के बाद मैं यह निश्चय करूंगा कि मैं इस विषय में और क्या कुछ कहूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर में शुद्धि

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : २९ मार्च, १९६३ को राज्य भाषा (विधायी) आयोग से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के सम्बन्ध में श्री भक्त दर्शन द्वारा पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने अन्य बातों के साथ ही यह भी कहा था कि राष्ट्रपति का आदेश अप्रैल, १९६१ में प्राप्त हुआ था और आयोग की स्थापना जून में की गई थी । राष्ट्रपति का आदेश वस्तुतः अप्रैल, १९६१ में नहीं अपितु २७ अप्रैल, १९६० को जारी किया गया था । तथापि आयोग की स्थापना जन, १९६१ में ही की गई थी ।

†**श्री भक्त दर्शनः** : अध्यक्ष महोदय, मैं ने उस समय जो पूरक प्रश्न पूछा था उसके शब्द ये थे : "क्या यह सत्य है कि राष्ट्रपति के आदेश के निकलने के बहुत देर बाद इस कमीशन की स्थापना

---

†मूल अंग्रेजी में

की गई है ?" उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि देरी नहीं हुई । आज वे स्वीकार करते हैं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि १४ महीने के बाद इस कमीशन की नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री विभूधेन्द्र** मिश्र : इस के मुख्यता दो कारण हैं : राष्ट्रपति के आदेश में यह दिया गया था कि आयोग के सदस्य भारत की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के विशेषज्ञ होंगे, इसलिये आयोग के गठन के पूर्व राज्य सरकारों से भी इस विषय में परामर्श लेना आवश्यक था । दूसरी बात यह थी कि आयोग के कार्यालय के लिये आवास का भी प्रबन्ध करना था । इन दो मुख्य कारणों से १३ से १४ महीनों तक का विलम्ब हुआ ।

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) (झ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, १ जून, १९६३ से आरम्भ हो कर एक वर्ष तक उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) (झ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जसे अध्यक्ष निदेश दें, १ जून, १९६३ से आरम्भ हो कर एक वर्ष तक उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करताहूं :

"कि यह सभा २० अप्रैल, १९६३ को सभा में उपस्थापित काय मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवदन से सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदयः** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा २० अप्रैल, १९६३ को सभा में उपस्थापित कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी:** (कानपुर): राज भाषायें विधेयक के लिये १२ घंटे निश्चित किये गये हैं। आप इसे अपनी इच्छा से २ घंटे और बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कहा गया है विवियन बोस आयोग के प्रतिवदन पर यदि चर्चा हुई तो केवल ५ घंटे ही होगी। मैं विनय पूर्वक कहना चाहता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न प्रश्न है। मैं उन्हें इस पर बोलने का अवसर दूंगा। किन्तु अभी हमें प्रतिवेदन में उल्लिखित विषयों पर ही विचार करना है। श्री कामत।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इन तीनों विषयों के लिये बहुत कम समय रखा गया है। अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के लिये १ घंटे के स्थान पर २ घंटे का समय रखा जाना चाहिये।

संघ राज्य-क्षेत्र सरकार विधेयक में संयुक्त समिति ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इसका समय ६ घंट से बढ़ा कर कम से कम १० घंट कर दिया जाना चाहिये।

तीसरा विषय राज भाषायें विधेयक के सम्बन्ध में है। इसके विषय में सभा में और बाहर दोनों स्थानों पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया है। अच्छा होता यदि इस विधेयक को पहले संयुक्त समिति के विचारार्थ भेज दिया जाता। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो इसका समय १२ घंटे से बढ़ा कर कम से कम १६ घंटे कर दिया जाये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** (मंदसौर) : यह समय कम से कम १८ घंटे कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं १ घंटे का समय बढ़ा सकता हूं। जहां तक अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का सम्बन्ध है मैं श्री कामत के कहे अनुसार, यदि आवश्यकता हुई तो, एक घंटे का समय बढ़ा दूंगा।

जहां तक संघ राज्य-क्षेत्र सरकार विधेयक का सम्बन्ध है उसका समय सर्वसम्मति से निश्चित किया गया था। उस समय उनके दल का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, वह अपने दल की बैठक में उपस्थित थे।

राज भाषायें विधेयक के सम्बन्ध में १२ घंटे निश्चित किये गये हैं। इसका समय बढ़ा कर १५, १६ या १८ घंटे कर देने का प्रस्ताव है।

यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो मैं यह समय १५ घंटे कर देता हूं। इसके पश्चात्, उस समय आवश्यकता हुई तो, मैं एक घंटे का समय अपनी ओर से बढ़ा दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

†अध्यक्ष महोदय : समय में मेरे कहे अनुसार रूपभद करके मैं इस प्रस्ताव को सभा के सम्मुख रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २० अप्रैल, १९६३ को सभा में उपस्थापित कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : आपने कहा था कि श्री बनर्जी को विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हां श्री बनर्जी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पहले यह निश्चय किया गया था कि इस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये १२ घंटे रखे जायेंगे । यह समय भी कम था । किन्तु अब सुना गया है कि इसके लिये ५ घंटे निश्चित किये गये हैं । इस विषय ने सारे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया है । इस सारे प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिये । महान्यायवादी और न्यायाधिपति विश्वनाथ शास्त्री का प्रतिवेदन भी हमें उपलब्ध कराया जाना चाहिये ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह:** : उस उपसमिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): विभिन्न मन्त्रियों ने यह आश्वासन दिया था कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के सम्बन्ध में एक सरकारी संकल्प सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । किन्तु इस विषय में अभी तक कुछ नहीं किया गया । क्या विषय को इसी प्रकार एक सत्र से दूसरे के लिये रखा जायेगा ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैं इस विषय में सरकार से परामर्श करूंगा ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर): श्री बनर्जी के द्वारा पूछे गये प्रश्न के विषय में आपका क्या निर्णय है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समय का निर्धारण करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि राज्य सभा में विनियन बोस समिति के प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा होगी और हम इस सत्र में ५-६ घंटे इस पर चर्चा करके कुछ समय अपने सत्र में से ले लगे । इस सत्र में हमारे पास अधिक समय नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्रीमान् मैं नहीं समझ पाता कि आप इस सभा के अध्यक्ष होते हुए ऐसा विचार किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि क्योंकि राज्य-सभा में इस पर अधिक समय लगाया जायेगा इसलिये इस सभा में कम समय लिया जाये । इस सभा में जनता के निर्वाचित सदस्य हैं और केवल इसी सभा के प्रति मन्त्रीगण उत्तरदायी हैं । ऐसी बातों में इसी सभा को प्राथमिकता दिये जाने का अधिकार है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : यह सारी कठिनाई इसी कारण है कि सत्र का अवसान ४ तारीख को हो रहा है । मेरा निवेदन है कि सोमवार को अधिवेशन बुला कर इस प्रतिवेदन पर चर्चा समाप्त कर दी जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): इस बाद-विवाद को अगले सत्र तक ले जाने की कोई सार्थकता नहीं । इसे इसी सत्र में समाप्त कर दिया जाये और यदि अभी समय की कमी हो तो इसे आरम्भ ही न किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार की क्या राय है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : यह सुझाव सरकार ने नहीं रखा था, अपितु विरोधी दल के ही किसी सदस्य द्वारा रखा गया था । मैंने अपनी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी थी । जहाँ तक सरकार का प्रश्न है हम ने १२ घंटे की स्वीकृति दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ऐसा सुझाव विरोधी दल के ही किसी सदस्य ने दिया था ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह:** यदि सभा की बैठक सोमवार को करना है तो हम सहमत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : तो क्या माननीय मन्त्री सोमवार को बैठक बुलाने में सहमत हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस चर्चा के लिये १२ घंटे का समय चाहते हैं । च हे हम सोमवार को बैठक कर अथवा कार्य-सूची में से कोई विषय निकाल दें ।

अधि-लाभ कर विधेयक १९६३—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अधिलाभ कर विधेयक पर चर्चा आरम्भ होगी ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : संशोधन ने इस विधेयक का स्वरूप ही बदल दिया है । इस विधेयक के लिये वित्त मन्त्री ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि अभी तक हमारा कर-ढांचा अर्जित लाभों से सम्बन्धित नहीं है । इस विधेयक के लागू होने से प्राप्त कर-राशि का अनुमान बहुत कम लगाया गया है ।

बजट पर चर्चा के समय लगभग सभी सदस्यों ने सरकार का समर्थन किया था । वित्त मन्त्री ने भी कहा था कि मैं किसी के भी दबाव में नहीं आऊंगा । फिर इतने संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी ? निश्चय ही वह व्यापारीवर्ग के दबाव में आ गये हैं जिन्होंने सभा में और सभा के बाहर यह शोर मचाना आरम्भ कर दिया था कि इससे उद्योग पर बहुत भारी आघात लगेगा । हम नहीं चाहते कि निजी क्षेत्रों को हानि पहुंचे । नवोदित और विकासोन्मुख उद्योगों को दी हुई रियायतों का हम स्वागत करते हैं । हम वित्त मन्त्री के इस कथन का भी स्वागत करते हैं कि यदि इस विधेयक से राष्ट्र के विकास को क्षति पहुंचने की सम्भावना दृष्टिगत हुई तो इस पर पुनर्विचार करना होगा । किन्तु इस कथन के बाद उन्होंने विधेयक में इतने संशोधन किये हैं कि इसका मूल स्वरूप, आदर्श और सिद्धान्त जिन पर यह आधारित था, बिल्कुल ही समाप्त हो गये हैं । लाभ के पूर्व १० प्रतिशत की राहत देने का कौनसा औचित्य है ? इस संशोधन का सारे व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है । हम बार-बार यह बात इसलिये कर रहे हैं कि उत्पादन और आय बढ़ती है किन्तु राजकोष में उसका उचित अंश उपलब्ध नहीं होता । हमने वित्त मन्त्री से निर्धन-वर्ग को रियायत देने के लिये कहा था । हमने अप्रत्यक्ष करों को हटाने के लिये कहा था । उस समय हमारी आलोचना यह कह कर की गई थी कि हम चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये धन इकट्ठा करने के विरोध में हैं । किन्तु अब वित्त मन्त्री व्यापारी-वर्ग को राहत देकर क्या कर रहे हैं ? उन्होंने इस विधेयक में जो रियायतें दी हैं वह हमारे द्वारा मांगी गई कुल अप्रत्यक्ष रियायतों से अधिक हैं । सामान्य दृष्टि से देखते हुए जिसे पहले ११ लाख रुपये देने पड़ते अब उसे केवल १ लाख रुपये देने होंगे और ५० लाख देने वाले को कुल ३२ लाख । इस प्रकार लगभग ५० प्रतिशत की रियायत दी गई है ।

किसी वर्ष में अधिलाभ कर न होने पर अगले ३ वर्षों में उसे समयोजित करने के उपबन्ध का भी कोई औचित्य नहीं है ।

मैं एक दिलचस्प तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अब जो लेखे प्रकाशित किये जा रहे हैं उनमें इस प्रकार हेरा-फेरी की गई है कि अधिलाभ कर का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा । इसलिये मैं सभा से निवेदन करता हूं कि यह आरोप कि इस कर से दक्षता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा निस्सार है । लाभ केवल प्रबन्ध कार्य की दक्षता के ही कारण नहीं होते ।

'लन्दन इकोनोमिस्ट' में एक लेख प्रकाशित हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयरन चाँसलर जी शीर्षक वाले लेख में आय-व्ययक का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया गया है कि केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर प्रस्तावों से राहत पहुंचाई गई है। यह टिप्पणी अधिलाभ कर में संशोधन से पूर्व दी गई। इकानामिस्ट' ने भी यही कहा था कि इस कर से विदेशी नियोजक प्रभावित नहीं होते और कि वह इस कर को अदा करने को तैयार हैं। लन्दन इकानामिस्ट ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि इस कर का प्रभाव बड़े बड़े पूंजीपतियों पर नहीं पड़ेगा। आरम्भ में करारोपण की योजना सर्वथा भिन्न थी। हमने उस की आलोचना की। सभा ने कहा कि अधिक करों की आवश्यकता थी। यह सभा की समाज्ञा थी। परन्तु बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कहा कि कर में राहत मिलनी चाहिए। उनकी बात को मान कर कर में राहत दी गई। सरकार पूंजीपतियों के आगे झुक गई और सभा की समाज्ञा का अतिक्रमण किया गया।

अन्त में मैं एक अन्य बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आपने आय पर कर लगाया, लाभ पर कर लगाया, परन्तु उस आपात काल में भी आप जमा की गई पूंजी पर कर नहीं लगा रहे हैं। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश द्वारा भी आप जमा किये गये गहनों पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, चाहे वह अच्छे तरीके से जमा किया हो चाहे बुरे तरीके से। वित्त मन्त्री के पास ऐसी जमा की गई पूंजी के ऊपर कर लगाने की शक्ति है परन्तु वह उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वित्त मन्त्री ने जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को आश्वासन दिया है कि यदि वह करों को उपयोगी नहीं पायेंगे तो उन्हें वापिस ले लेंगे वैसे ही हमें भी यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वह कुछ समय पश्चात देखेंगे कि दी गई रियायतें आवश्यक नहीं हैं तो उन्हें वापिस ले लिया जायेगा और अधिलाभ कर जो कि न्यायोचित कर है उसे पूर्ण रूप में लागू किया जायगा।

†**श्री रंगा:** (चित्तूर): यह सरकार साम्यवादियों की पद्धतियों को अपना रही है। केवल मैं ही इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि देश की जनता भी इसमें मेरे साथ है।

विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में बड़े बड़े पूंजीपतियों के पीछे लाखों अन्य लोग हैं जिन्होंने अपने धन का विनियोजन किया है अतः उनके हितों का परित्राण आवश्यक है। लोगों द्वारा धन बचाने और विनियोजन करने सम्बन्धी जो प्रयास किये जा रहे हैं देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास इसी से होगा। मैंने बताया था कि किस प्रकार राज्य उपक्रम आशाओं के अनुकूल लाभ नहीं दिखा रहे हैं। यदि मेरे माननीय मित्र का बस चले तो निजी उपक्रम को कोई स्थगन न दें। परन्तु मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन उपक्रमों को अधिक से अधिक सहायता की जाय।

साम्यवादी वित्त मँत्री और कांग्रेस सरकार को निजी क्षेत्र को समाप्त करने में प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि अन्त में केवल राष्ट्रीयकृत उद्योग ही रह जाये जिन का प्रबंध आज इतने भ्रष्ट और अकुशल ढँग से हो रहा है परन्तु हम ऐसा नहीं चाहते और इसी लिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं

मेरा वर्तमान सरकार के प्रति आरोप यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के निरीक्षण के लिये क्यों नहीं सौंपा गया यदि इस प्रवर समिनि को सौंपा जाता तो वह इस पर समुचित और सावधानी पूर्वक विचार कर के इस में सँशोधिन करने में सभा की सहायता कर सकती थी छोटे और बड़े उपक्रमों के लोग अपने दष्टिकोण समिति के सम्मुख रख सकते थे साक्षी भी बुलाये जा सकते थे परन्तु लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की अवहेलना कर के साम्यवादी और समाजवादी के प्रभाव के अधीन कार्य किया गया है। विभिन्न प्रकार के सँशोधन प्रस्तुत हो रहे हैं जो हमारी आलोचना की उपयुक्तता को प्रदर्शित करते हैं। सरकार ने इन आलोचनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दिखाई बहतर यह होता कि सरकार हमारे द्वारा सुझायी गयी लोकतँत्रात्मक प्रक्रिया का अनुसरण करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मेरे साम्यवादी मित्र ने "लन्दन इकानामिस्ट" की चर्चा की परन्तु लन्दन के एक अन्य अर्थशास्त्री थे जिन के सुझाव स्वयं उसके अपने देश के नहीं माने गये परन्तु हमारे देश में उन को स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री के पूर्वाधिकारी ने उन सुझावों को माना और उसका परिणाम क्या निकला। हम ने भी उन सुझावों की ओर कर प्रस्तावों की आलोचना की थी। परन्तु हमारी आलोचना की अवहेलना की गई। परिणाम आप के सामने है आप व्यय कर और उपहार कर को देख सकते हैं।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: उपहार कर तो अब भी है।

†**श्री रंगा**: परन्तु इस से आय नहीं बढ़ी है।

श्री लियाकत अली खां, भूतपूर्व वित्त मंत्री, द्वारा जो कर प्रस्ताव सुझाये गये उन का साम्यवादियों और समाजवादियों ने समर्थन किया था परन्तु उन के परिणामस्वरूप हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था को चार वर्ष के लिए हानि उठानी पड़ी थी। आज हमारी सरकार भी उसी दिशा में जा रही है।

मैं समझता हूं कि कर की दर और लाखों की प्रतिशतता का सह संबंध अपुस्ट सिद्धांत पर आधारित है और उस का बोझ भी समान रूप से नहीं पड़ेगा यह स्वीकृत निगम करारोपण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस कर से विदेशी सहयोग प्राप्त करने में भी बाधक पड़ेगी नई कम्पनियां के लिये विशेषता यह घातक है उसका नये कम्पनियों पर भी कुप्रभाव पड़ेगा जो रियायत दी गई हैं वह पर्याप्त नहीं है। यह रियायत दे कर सिद्धांनको स्वीकार नहीं किया गया इस प्रस्ताव से कुशलता और मितव्ययिता कम होगी।

इस कर का विशेष रूप से प्रभाव उन समवायों पर पड़ता है जिन की पूंजी उच्चावच है उदाहरणार्थ, रोपणोंद्योग, नारियल जटा उद्योग और कोयला उद्योग

यह सब आपत्तियां एक ज्ञापन में की गई है जो उद्योगपतियों द्वारा रखा गया है जिन्होंने कुछ अन्य उद्योगपतियों के आचरण के बारे में भी आपत्ति की है जिन के बारे में विवियन बोस प्रतिवेदन भी दिया गया है मैं भी उन के साथ सहमत हूँ।

इस समय निगमित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है परन्तु यह कर अंशधारियों और अन्य साधारण लोगों के बारे में भी उत्साहवर्द्धक नहीं है उस से ६५ से ७५ प्रतिशत लाभ ले लिये जाते हैं इसका उद्देश्य यह भी हो सकता है कि लोग निगमित उद्योगों में विनियोग करने की बजाय सरकारी संस्थाओं में धन का विनियोजन करें यदि यह बात सच है तो यह और भी आपत्तिजनक बात है।

मैं समझता हूँ कि सरकार यह नहीं चाहती कि धन न बचाया जाय और यह लाभप्रद संस्थाओं में विनियोग न किया जाय। इसलिये इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिये परन्तु सरकार इसे वापिस लेने की बजाय यह कर रही है कि यदि इन प्रस्तावों के फलस्वरूप विकास में बाधा पड़ी अथवा यह असफल रहे तो उन्हें वापिस लिया जायगा और यह कि यह प्रयोगात्मक दृष्टि से लगाये जा रहे हैं परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि इस प्रकार के प्रयोग श्री लियाकत अली खां और श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने भी किये जो असफल रहे। इस लिए आज, आपतकाल में इस तरह के प्रयोग करना देश की अर्थव्यवस्था और विकास की दृष्टि से अहितकारी सिद्ध होगा इस लिये भी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब खंड ३ की चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस खंड को हटा दिया जाय इस खंड द्वारा आय-कर अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है कि वह कमीशन, प्रमोद, ज्ञापन आदि पर किये जाने वाले व्यय को नियम विरुद्ध घोषित कर सके। मैं आय कर अधिकारी को इतनी विवेक-शक्तियां प्रदान करने के विरुद्ध हूं और मैं समझता हूं वह इन शक्तिययों का प्रयोग न्यायों चितढंग से नहीं कर सकेगा। यह इस लिए रखा गया है कि अधिलाभ कर से बचने के लिए ऐसा व्यय न दिखाया जा सके परन्तु उस का निर्णय कौन करेगा कि ऐसा समवाय के हित में किया गया है अथवा नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: हर बात की व्याख्या करने का उसे अवसर दिया जायगा और इस के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है।

†**श्री रंगा** : एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं दूसरी ओर आय कर अधिकारियों को विवेक शक्तियां देते हैं। प्रश्न तो यह है कि यह बात एक उद्योग चलाने के लिये आवश्यक हैं और इन पर रोक लगा कर आप प्रबन्ध संचालकों को भ्रष्टाचार का मार्ग दिखा रहे हैं मैं चाहता हूं कि इस समय नहीं तो कुछ समय पश्चात् इस बारे में कुछ रूप भेद करने चाहिए।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : श्री रंगा का यह कथन गलत है कि इस कर से कुशलता और मितव्ययिता पर कुप्रभाव पड़ेगा और औद्योगिक विकास में बाधा पड़ेगी। उद्योगों का विकास कुशलता और मितव्ययिता के साथ साथ कच्चे माल की उपलब्धता और परिवहन भार आदि कई बातों पर निर्भर करता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अधिलाभ कर लगाना सर्वथा न्यायोचित है और सिद्धांत की दष्टि से भी ठीक है।

उद्योग को संचित करने के लिये जो १० प्रतिशत की रियायत दी गई है उस पर श्री दाजी ने आपत्ति की है। यदि पक्षपातरहित दष्टि से देखा जाय तो यह रियायत दे कर वित्त मंत्री ने सूझ बूझ से काम लिया है, क्योंकि इस धन को किसी व्यक्ति विशेष की जेब में न जाने दे कर इस को समुचित उपयोग के लिए रखा जायगा इस संशोधन से अंशधारियों को बड़े व्यापारियों आदि को लाभ नही होगा परन्तु निगमित क्षेत्रों को लाभ हुआ है इस से कर में कमी निस्संदेह हुई है। परन्तु देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि कर में ५ लाख की कमी हुई है तो १० लाख रुपया रक्षित रखना होगा। यदि यह धन रक्षित न रखा जाता तो वह अंशधारियों आदि में बट जाता इस प्रकार इस रियायत से निगमित क्षेत्र का अधिक विकास होगा, किसी व्यवित विशष को लाभ बेशक न हो।

एक अन्य आपत्ति अधिलाभ कर के कई वर्षों में समायोजन संबंधी जो रियायत दी गई है उस पर की गई परन्तु वास्तव में यह रियायत भी न्यायोचित और हितकारी है क्योंकि समवाय प्रत्येक वर्ष एक सा लाभ नहीं कमाते एक वर्ष एक समवाय को कम लाभ होता है, अगले वर्ष काफी अधिक होता है तो तीसरे वर्ष घाटा हो जाता है अतः यह समायोजन संबंधी रियायत इस दष्टि से हितकारी होगी।

नये उद्योगों पर जो रियायत दी गई है यह बहुत बड़ी रियायत लगती है परन्तु यह वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है। इस से नये उद्योगों के विकास में बहुत सहायता मिलेगी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नये उद्योगों को काफी संतोष होगा।

वित मंत्री को लघु उद्योगों के लिए भी छूट देनी चाहिये थी इन को छूट देने से कोषागार को अधिक हानि होने वाली नहीं थी परन्तु इन उद्योगों के विकास में काफी सहायता हो सकती थी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और जो रियायत दी गई है उन का स्वागत करता हूँ। इन रियायतों से वातावरण अच्छा हो गया है और निगमित क्षेत्र में विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है।

श्री मुरारका (झुंझनू) : अधिलाभ कर सारे देश के लिये ही नहीं वरन् समस्त संसार के लिये एक नई योजना है।

श्री दाजी का यह कहना सर्वथा गलत है कि वित्त मँत्री बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने झुक गये हैं। बड़े बड़े व्यापारियों का तो यह सुझाव था कि इस कर को बिलकुल समाप्त कर दिया जाय। हां, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जो रियायतें दी गई हैं वह कुछ अधिक हैं।

यह कर इस लिये समर्थनीय है कि देश को राजस्व की जरूरत है देश के सभी उद्योग निगमित क्षेत्र में हैं अतः राजस्व प्राप्त करने के लिये उन से धन प्राप्त करना आवश्यक था। अधिलाभ कर युक्तियुक्त है।

एक ओर श्री दाजी कहते हैं कि यह रियायतें सर्वथा अनुचित हैं तो दूसरी ओर प्रैस, विशेषतया 'हिन्दुस्तान टाईम्स'' यह कहता है कि यह रियायत अत्यन्त असंतोषजनक हैं और बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों गलत कहते हैं वास्तव में न तो यह इतनी असन्तोषजनक हैं और न ही इतनी अधिक ही हैं।

जो रियायतें दी गई हैं उन्हें तीन प्रवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम प्रवर्ग में छोटे समवायों के लिये ५०,००० रुपये तक की छूट थी जो कि बहुत आवश्यक थी दूसरे प्रवर्ग में नये समवायों, राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान आदि पर रियायतें हैं जो युक्तियुक्त हैं परन्तु तीसरे प्रवर्ग में १० प्रतिशत कटौती संबंधी रियायत दी गई है जो कि मैं समझता हूँ बहुत अधिक है इस द्वारा समवायों को बहुत राहत मिलगी। इससे लोगों की शंकाय दूर हो जानी चाहिये। बैंकिंग समवायों को भी रियायतें दी गई हैं वह भी सँतोषजनक हैं।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि बैंकिंग समवायों संबंधी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बेरवा। पांच मिनट में आप खत्म कर दें।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा** (कोटा): हमारी पार्टी में से कोई बोला नहीं है। और आप मुझे सिर्फ पांच मिनट दे रहे हैं। बाकी लोगों को आपने पंद्रह पंद्रह मिनट दिये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सब को ऐसे ही समय मिला है। ७-८ गिनट से अधिक किसी ने नहीं लिये। साम्यवादी दल के सदस्य ने भी १० मिनट लिये हैं।

श्री ओंकारलाल बेरवा : हमको भी दूसरों की तरह से पंद्रह मिनट मिलने चाहियें। हमारी तरफ से कोई बोला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शुरू कीजिये। मुझे माननीय मंत्री को १·४५ बजे बुलाना है।

†**श्री ओंकालाल बेरवा** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो भाषण माननीय श्री होमी दाजी ने दिया है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि वे चाहते हैं कि यहां पर हमारे देश में

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग धंधे न चलें और उसका भट्टा बैठ जाए। वह चाहते हैं कि कम्युनिस्ट चीन सरीखे यहां भी सारे उद्योग धंधे सरकार के हाथ में चले जायें। इस चीज़ को हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार सारे देश में उद्योग धंधों को अपने हाथ में ले ले। हम चाहते हैं कि पैसे का समान वितरण हो। लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि सरकार को प्राइवेट सैक्टर की मदद करनी चाहिये। पूंजीपतियों को भी हमारे देश में अनापशनाप पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिये। सरकार का हित जिस में हो, जनता का हित जिस में हो और मजदूरों का हित जिस में हो, वह भी ध्यान रखा जाना चाहिये और इस दृष्टि से उन पर लगाम भी लगनी चाहिये। रेलवे, पोस्ट आफिस वगैरह जैसी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो यह बड़ी अच्छी चीज़ होगी। सरकार समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, यह हम नहीं चाहते हैं।

आपने जो यह सुपर-प्राफिट टैक्स लगाया है, उससे फायदा कम और नुक्सान ज्यादा होने वाला है। इससे देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास रुक जाएगा और आर्थिक विकास के रुकने से समस्त विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इससे हमारे सुरक्षा के काम भी रुक जायेंगे और विकास कार्य ठप्प हो जायेंगे। आर्थिक विकास का गला घुट जायेगा और लोगों में पूंजी लगाने का उत्साह खत्म हो जाएगा। टैक्स की पालिसी वह होनी चाहिये जिससे देश के नए नए उद्योगों को उत्तेजना मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। शासन ने भी इसे माना है। इसलिए प्राइवेट सैक्टर की अगर उन्नति होती है तो सरकार का काम भी चलता रह सकता है। अगर यह टैक्स लगाने का आपका हठ है तो आप इसे पचास फीसदी की जगह पचीस फीसदी और साठ फीसदी की जगह तीस फीसदी कर दें क्योंकि पूंजी पर आम ब्याज सात आठ फीसदी आज मिल ही जाता है। फिर इतना लम्बा अर्सा लगा कर और इतना टैक्स दे कर कौन पूंजी का नुक्सान करना चाहेगा। इससे बड़े बड़े, नए नए उद्योगों को ही नुक्सान नहीं होगा। बल्कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको भी काफी नुक्सान होगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगों का नुक्सान तो इतना ज्यादा नहीं होगा, हां जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वे खत्म ही हो जायेंगे, लघु उद्योग खत्म ही हो जायेंगे। इससे नए उद्योग पनप नहीं सकते हैं। आपने बैंकों सम्बन्धी तथा नए उद्योगों सम्बन्धी जो कंसैशन दिए हैं, वे भी निल के बराबर हैं। आपको जितने कंसैशन देने चाहिये थें, आपने नहीं दिये हैं।

आपने कहा है कि यह कर संकटकालीन स्थिति की वजह से लगाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस में कोई पीरियड होता तो मैं मान सकता था कि संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए आप इस कर को लगा रहे हैं। लेकिन आपने इस में कोई पीरियड भी तय नहीं किया है कि इतने पीरियड के लिए आप इसको लगा रहे हैं। चीन तो आया और वापिस चला भी गया। लेकिन यह सुपर प्राफिट टैक्स का संकट आया है और जाने का बिल में कोई रास्ता नहीं दीखता। यह सच है कि एमरजेंसी के आने से यह टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन यह साफ लिखना चाहये कि एमरजेंसी खत्म होते ही यह टैक्स भी खत्म कर दिया जाएगा। यह तो आप ऐसा कर रहे हैं कि जो मुर्गी सोने के अंडे देती है, उसे ही मारना चाहते हैं, उसे ही खत्म करना चाहते हैं।

आप कहते हैं कि इस सुपर प्राफिट टैक्स से आपको पचीस करोड़ रुपया मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे कई सैंकड़ा गुना देश को नुक्सान हो जाएगा और सारे उद्योग धंधे खत्म हो जायेंगे और बेकारी बढ़ जाएगी।

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

अब मैं एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये मेरे पास घर की पूंजी दस लाख रुपये है और दस लाख रुपये शेयर कैपीटल है । तो यह बीस लाख रुपया लगा कर हमने चालीस लाख का बिजिनेस शुरू किया और चालीस लाख की बिक्री की । उसमें से कुल मिला मान लीजिये मुझे दस परसेंट फायदा हुआ क्योंकि इससे कम से तो कोई धंधा करने को तैयार नहीं हो सकता । इस तरह से मुझे चार लाख का फायदा हुआ । अब उसमें से कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स जो पचास परसेंट है चला गया यानी दो लाख चला गया । अब दो लाख पर मुझ पर सुपर टैक्स मौजूद है जिस में एक लाख साठ हजार छोड़ दिया गया और चालीस हजार रह गया और इस चालीस हजार का पचास परसेंट यानी बीस हजार सुपर प्राफिट टैक्स हो गया । अब बाकी बचा एक लाख । उस में से साठ परसेंट का साठ हजार टैक्स हो गया । इस तरह से हम ने दो लाख में से अस्सी हज़ार रुपये टैक्स दिये तो हमें चालीस लाख का धंधा करने पर एक लाख बीस हज़ार रुपये का फायदा हुआ । आप देखें कि इस धंधे में इस तरह से बारह परसेंट का फायदा हुआ तो क्या यह काफी है? जब बाजार में ही बिना किसी झंझट के आठ दस परसेंट मिल जाता है तो इतनी बड़ी पूंजी लगाने और दुनिया भर के झंझट करने को कौन तैयार हो सकता है। इतनी भारी पूंजी फंसाने के लिये कौन बिजिनेसमैन तैयार हो सकता है । इन टैक्सों के झंझट को देखते हुए विदेशी लोग भी जो पूंजी लगाते थे, उनका दिल दहल जाएगा और वे भी अपने हाथ खींच लेंगे और पूंजी लगाना बन्द कर देंगे । देश वालों ने और विदेश वालों ने इन पिछले आठ दस सालों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ व इंडस्ट्रीज़ तैयार की हैं, यहां पैसा लगाया है, वह इस आशा से लगाया है कि उन्हें आठ दस साल में पैसा वापिस मिल जाएगा । लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा और यह उनके प्रति एक अन्याय होगा। इसका परिणाम यह होगा कि बाहर वाले आपको लाल झंडी दिखा देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री महोदय ने इस पहलू पर भी विचार किया है कि आपने जो सारे टैक्स लगाये हैं, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और यह सफाचट टैक्स यानी सुपर प्राफिट टैक्स इन सब को मिला कर इन लोगों को कितना देना पड़ता है? यह सब मिल कर ११० परसेंट से भी ज्यादा होता है । क्या कम्पनियां ११० परसेंट से भी ज्यादा टैक्स बरदाश्त कर सकेंगी, यह देखना भी हमारे लिए जरूरी है ।

हम यह नहीं चाहते कि सरकार सारे धंधे अपने हाथ में लें । हां, हम यह जरूर चाहते हैं कि पैसे का वितरण समान होना चाहिये और प्राइवेट सैक्टर की सरकार को मदद करनी चाहिये ।

टैक्स तो काफी लगा दिये गए हैं । लेकिन आप देखें कि हमारा खर्चा भी कम हो । मैं मंत्री महोदय का ध्यान खर्च की तरफ दिलाना चाहता हूं । वह निरंतर बढ़ता जा रहा है । जितने ज्यादा टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है । १९५४–५५ में हमारा खर्चा ७२५ करोड़ था । १९५५–५६ में वह ९८३ करोड़ हो गया, १९५९–६० में १५१६ करोड़, १९६०–६१ में १७१५ करोड़, १९६१–६२ में १८२० करोड़ और १९६३–६४ में १८५२ करोड़ होने जा रहा है । यह खर्च की बढ़ोत्तरी है । चूंकि हम संकटकालीन स्थिति में से हो कर गुज़र रहे हैं और पैसे की हमारे पास कमी है, इस वास्ते हमने २५६ करोड़ के नए टैक्स लगाये हैं । खर्च की बढ़ोत्तरी में और इन टैक्सों में कैसे मिलान हो, इसको आप देखें । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा टैक्सों का रुपया बड़ी बड़ी कम्पनियों की तरफ पड़ा हुआ है और वसूल नहीं हुआ है, तो हम को उसे वसूल करने की कोशिश करनी चाहिये । अगर वह कर लिया जाता

है तो हमें इन टैक्सों को लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप डिफेंस की आड़ लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो आपने सिर्फ ८६७ करोड़ रुपया ही रखा है और वह भी शायद खर्च न हो सकेगा। क्योंकि १९६२-६३ में ५०५ करोड़ खर्च हुआ था। हमारी नीति से साफ ज़ाहिर है कि हम लड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि हम सिर्फ कागज़ों की लड़ाई चाहते हैं जो चल रही है और उस कागज़ी लड़ाई में कोई रुपया खर्च नहीं होता है। अभी पाकिस्तान ने चीन को चौदह हज़ार वर्गमील भूमि हमारी दे दी। उस के लिये हम ने क्या किया? चीन ने २०,००० वर्ग मील भूमि दबा ली, हम ने उस के लिये क्या किया? यह तो लड़ाई का एक हौवा खड़ा कर लिया गया है, जैसे कि एक बाजीगर किसी लड़के को जमीन पर लेटा देता है और उस पर लाल कपड़ा बिछा कर कहता है कि भाइयों, इस की मदद करो तभी इस की जान बचेगी। इस तरह का हौवा सरकार ने खड़ा कर रक्खा है कि अगर मातृ भूमि की रक्षा करनी है तो पैसा दो, और जनता दिल खोल कर पैसा देती है। लेकिन आज जनता सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार हमारे खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे का क्या करती है। खाली ट्रेनिंग देने या गडढे खोदने से काम नहीं चलेगा। जनता खून का बदला खून से लेना चाहती है और जो गई हुई भूमि है उसे वापस करना चाहती है।

हमारे वित्त मंत्री ने किरोसिन आयल पर व अन्य करों में करीब १६ करोड़ रु० की कटौती की है, लेकिन उस से गरीब जनता खुश नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ तेल से ही काम नहीं चल सकता। यह तो टैक्स लगाने की राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में होड़ सी लगी हुई है और इन दो पाटों के बीच में जनता पिसी जा रही है जब केन्द्र सरकार कर लगाती है तो राज्य सरकार छोड़ती है और जब राज्य सरकार कर लगाती है तो केन्द्र सरकार छोड़ती है। इस तरह से जनता पिसी जा रही है।

अब अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। वह कविता इस प्रकार है:

"कोई कारपोरेशन टैक्स व इनकम टैक्स व सफाचट टैक्स लगा दिये,
पहिले ही दबे हुए चीनी दुश्मन से और टैक्सों से दबा दिये।
पड़े पीछे राजाओं के प्रीवी पर्स को बन्द कर दो।
उन्होंने कटौती कर दी है लेकिन मिनिस्टरों की तरफ भी ध्यान धर दो,
वे सतयुग के राजा थे और ये कलियुग के राजा होते हैं,
उन को दुहाई देती थे और उन को गालियां देते हैं।
जैसे जैसे संविधान में संशोधन करते जाते हैं,
उसी तरह धीरे-धीरे अपनी इज्जत भी कम करते जाते हैं।
पहले मिनिस्टरों की दुनिया फूल माला से स्वागत करती थी,
इनके थोड़े से इशारे पर जी जान से दुनिया मरती थी।
लेकिन जमाना बदल गया ये सेवक से स्वामी बन बैठे,
दुनिया भी इन की बदल गई जो दोस्त थे दुश्मन बन बैठे।
फूल और मालाओं की जगह ईंट और पत्थर फेंके जाते हैं,
पहले जनता में हंसते हंसते जाते थे अब भगते ही नज़र आते हैं।
अगर चाहते हो दुनिया में मोहब्बत तो टैक्सों का बोझा कम कर दो,

और चाहते हो चीन से लड़ना तो फिर देश को आगे कर दो
तस्कर बिजिनेस का बहाना ले कर लाखों सुनार बेकार किये,
दुहाई देते थे अम्बर चर्खे की, वह भी न जाने कहां फेंक दिये ।
असली सोना बिकता था उस में भी तांबा मिला दिया,
असली घी की जगह हमें नकली डालदा खिला दिया ।
अरे रोको, उन्हें जो असली में मिलावट करते हैं,
लेकिन इन्हें कौन रोक सके जो सोने में तांबा धरत हैं ।
बापू का नाम ले कर आजादी की दुहाई देते हैं,
अफसोस है लेकिन फिर भी हिन्दी की बुराई करते हैं ।
अँग्रेज गये आज उन को पन्द्रह साल हो गये,
लेकिन हिन्दी को अँग्रेजी भाषा कोट पेन्ट और अँग्रेजी बाल दे गये ।
अगर चाहते हो आजादी तो हिन्दी को राज भाषा बनाना होगा,
और अँग्रेजी भाषा के अलावा किसी भाषा को सहभाषा बनाना होगा ।
भ्रष्टाचारी बढ़ी, बेकारी बढ़ी मोरार जी से टैक्सों को हटाया न गया,
नाम है श्री शास्त्री जी इन से भी अँग्रेजी को हटाया न गया ।
पन्द्रह सालों के बाद में भी अँग्रेजी ठूंसी जाती है
अफसोस है इन मिनिस्टरों से हिन्दी न सीखी जाती है ।

†**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) : अधिलाभ कर और अनिवार्य बचत योजना संबंधी जो रियायतें वित्त मँत्री द्वारा दी गई हैं वह इस तथ्य की द्योतक हैं कि वित्त मँत्री लोकतंत्रात्मक मांगों के प्रति सराहणीय प्रतिक्रिया रखते हैं ।

वित्त मँत्री का यह उत्तरदायित्व है कि वह रक्षा और विकास दोनों के लिये निधियां उपलब्ध करें । उन्होंने इन कार्यों के लिये साधन जुटाने सँबँधी सराहनीय कार्य किया है । अब यदि कोई उन प्रस्तावों से सन्तुष्ट नहीं है तो उसे इस के उपकार के रूप में अन्य साधन सुझाने होंगें ।

जो रियायतें वित्त मँत्री द्वारा दी गई हैं उन के बारे में साम्यवादियों ने आलोचना की है कि वह बहुत अधिक हैं । कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने आलोचना की कि यह रियायतें अत्यन्त असन्तोषजनक हैं परन्तु वास्तव में वित्त मँत्री ने जिस प्रकार रियायत देने का निर्णय लिया है वह सराहनीय है । इस से उन का उद्देश्य सभा के सभी वर्गों को राहत पहुँचाना है ।

अधिलाभ कर, अनिवार्य जमा योजना आदि को वर्तमान आपात की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए । इन कर प्रस्तावों को एक बोझ न समझ कर हमें अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए कि चीनी आक्रमण का सामना करने के लिय अधिक से अधिक योगदान किया जाय ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में प्रस्तुत विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार किया है और मेरे द्वारा प्रस्तुत सँशोधनों के विषय में अपने विचार पेश किये हैं । मुझे श्री दाजी के इस कथन पर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं धनी लोगों के दबाव के आगे झुक गया हूँ और मैं ने उन को खुश नहीं किया । उन्होंने कहा कि वह मूल विधेयक से सन्तुष्ट थे और उस का उन्होंने समर्थन किया था। अब जो रियायतें मैं ने

†मूल अंग्रेजी में

दी हैं उन के लिये मेरी कड़ी आलोचना होनी चाहिए । वह तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं । परन्तु जब कोई उसका विश्लेषण करता है तो वह नाराज हो जाते हैं । यदि वह कहते हैं कि उन का विचार निजी क्षेत्र को समाप्त करने का नहीं है तो मैं उस में विश्वास करता हूं मुझे उन को ऐसा कहते हुए पुनः सुन कर हर्ष हुआ क्यों मैं यही समझता था कि वह निजी क्षेत्र नहीं चाहते ।

†**श्री दाजी** : यह पुराना सिद्धान्त था ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं नहीं जानता कि कब पुराने सिद्धान्त फिर मान्य हो जायें क्योंकि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न विचार व्यक्त किये जाते हैं और यह समझना कठिन हो जाता है कि कौन सा विचार वास्तविक है । मैं नहीं समझ पाया कि कौन सा विचार भ्रांतिपूर्ण है और कौनसा विचार माना जाना चाहिये ।

†**श्री दाजी** : हम नेतृत्व का दावा नहीं करते

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह भी एक भ्रांति में डालने वाला कथन है कि वह नेतृत्व का दावा नहीं करते । मैं सदैव अपने माननीय मित्रों की इस लिये सराहना करता रहा हूँ कि वह अपने विचारों में अटूट विश्वास रखते हैं । उन के विश्वास चाहे कैसे भी हों । वह अपने विचारों को ठीक प्रकार व्यक्त नहीं करते क्योंकि वह दूसरों को भ्रांति में डालना चाहते हैं । परन्तु वह समाज में परिवर्तन लाने संबंधी अपने प्रयासों में बहुत सत्यनिष्ठ हैं उस मामले में वह दृढ़ और हठधर्मी हैं जो उचित नहीं हैं । वह बहुत मेहनती हैं यह भी मैं मानता हूं ।

उन्होंने विभिन्न समवायों पर संशोधनों के प्रभाव के बारे में कई आंकड़े बताये हैं । मैं नहीं जानता वे आंकड़े कहां तक ठीक हैं क्योंकि मैं ने इस दृष्टि से उन की जांच नहीं की । किन्तु यह कहना कि संशोधनों से विधेयक का सिद्धान्त और सार ही समाप्त हो जाता है, मेरे द्वारा किये गये कार्य और देश के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले विधेयक के प्रभाव के सम्बन्ध में गलत अभिव्यक्ति है । यदि श्री दाजी यह मानते हैं कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योग रहने चाहियें तो मैं आशा करता हूं कि वे यह भी मानेंगे कि उन उद्योगों का लाभ भी होना चाहिये । वे यह चाहते हैं कि इन उद्योगों को समाप्त न किया जाये । इस का यह अभिप्राय है कि हम उन से जितना कर वसूल करें उस के बाद उन के पास इतना बच जाये जिस से वे समवाय और उद्योगों का संचालन कर सकें । मैं ने सभा के समक्ष जो संशोधन रखे हैं उन में यही प्रयत्न किया है ।

विधेयक में ६ प्रतिशत लाभ पर अधिलाभ कर लिया जायेगा । मैं ने उन्हें और कटौती देने का यत्न किया है । अब देखना है कि ये कटौतियां न्यायोचित हैं अथवा नहीं । यदि केवल ६ प्रतिशत लाभ समवाय के लिए छोड़ दिया जाये तो क्या होगा । बहुत से समवायों को अधिमानित अंशों पर ६ प्रतिशत देना होगा और वे ३ प्रतिशत अतिरिक्त लाभ सामान्य अंशों में से देंगे जिस का अभिप्राय हुआ कि अन्य अंशधारियों को कम लाभ मिलेगा । अतः हम ने कहा है कि कर देने से पूर्व कुछ लाभ में से १० प्रतिशत कटौती होगी जिस से यह दायित्व भी पूरा हो जायेगा ऋणों की अदायगी का दायित्व भी पूरा हो जायगा । यदि पूंजीगत माल और उद्योग निर्माण के लिये ऋण लिए गये हों तो वे चुकाने होंगे इसलिए यह कटौती दी गई है । यह निधि रक्षित रहेगी और इसे अधिक लाभांश देने के लिए भी प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

मेरे मित्र ने "लन्दन एकोनामिस्ट" का निर्देश करते हुए बताया है कि मुझे उस में आयरन चोलसर" (इस्पाती कोशाध्यक्ष) कहा गया है । साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ में इस्पात नहीं रहा । तब तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दाजी** : मैं ने तो कहा था कि लोगों के लिए इस्पात है और धनियों के लिये कोषाध्यक्ष ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस का यह अभिप्राय हुआ कि मैं धनियों से कर वसूल करता हूं ।

†**श्री दाजी** : कोषाध्यक्ष से अभिप्राय है कि उन्हें सहायता देते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस का अभिप्राय है कि उन्हें उद्योग चलाने और उन का विस्तार करने के लिये सहायता दी जाती है और सरकार का यही प्रयोजन है । निश्चय ही वे यह आशा नहीं करते कि यदि मेरे हाथ मजबूत हैं तो वे उन के शरीर से जोड़े जा सकते हैं और मैं इन हाथों को अपनी ही बुद्धि से प्रयोग कर सकता हूं ।

केवल प्रोफेसर रंगा का यह मत है कि हम साम्यवादी दल के हाथों में पड़े हुए हैं । यह बिल्कुल गलत है । हम केवल उन सिद्धान्तों से प्रेरित होते हैं जिन में हमारा विश्वास है उन परम्पराओं का अनुसरण करते हैं जिन में हम पले हैं और हमारा उद्देश्य है कि देश को लोकतंत्र द्वारा समृद्ध बनाया जाये । अतः प्रोफेसर रंगा को मेरे बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मैं सरकार से अलग नहीं और सरकार मुझे ऐसे काम के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिस में मेरा विश्वास न हो क्योंकि तब तो मैं बेईमान मित्र हूंगा और ऐसे मित्रों का लाभ नहीं हो सकता । वे यह कह सकते हैं कि मेरा दृष्टिकोण गलत है या साम्यवादी मित्रों से प्रभावित हूं किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि उन का कहना गलत है ।

मैं ने केवल वे रियायत दी हैं जिन से उद्योग के विकास में बाधा पहुंचाने वाले बुरे प्रभाव दूर हो जायेंगे । ये रियायतें देने में मैं ने न तो आवश्यकता से अधिक उदार रहा हूं और न ही अधिक कंजूस । सभा में अनेक सदस्यों ने यह कहा था कि इस का कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा जिस के बारे में कतिपय कार्यवाही करनी पड़ेगी । श्री दाजी स्वयं सहमत हैं कि नये समवायों को इस विधेयक के प्रवर्तन से मुक्त किया जाये तब तो अन्य समवायों को भी रियायतें देनी चाहियें अन्यथा बुराइयां दूर नहीं होंगी । यदि नये समवायों को उन्नति करनी है तो पुराने समवायों की भी उन्नति होनी चाहिये । किन्तु वे तो विभिन्न ढंग की बात करते हैं कि कत्ल भी किया जाये और उन्हें जीवित भी रखा जाये । ऐसी बातों पर मुझे सन्देह होता है । वे काफी योग्य हैं और इन बातों के तात्पर्य को समझते हैं ।

श्री बनर्जी ने नये औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में संशोधन की सराहना करते हुए अन्य संशोधन की आलोचना की और कहा कि अधिक रियायत दी जा रही है । जब हम ने कह दिया कि उन्हें अगले तीन वर्ष की कमी पूरी करने के लिये रियायत दी गई है तो मैं नहीं जानता कि इस में क्या गलती है । वह कमी ६ प्रतिशत ब्याज के बारे में है जो उन्हें मिलेगा और कम ब्याज मिलने पर इस ३ वर्ष के लिए आगे भी ले जाया जा सकता है ताकि उन्हें हानि न हो । पिछले वर्षों के लिये कोई रियायत नहीं ।

श्री बनर्जी ने डा० हज़ारी के प्रतिवेदन का उद्धरण देते हुए कहा कि उद्योगों का केन्द्रीयकरण हो रहा है । उन्हों ने कहा कि १९६०–६१ में कुल २१५ औद्योगिक अनुज्ञप्तियों में से प्रायः १४३ अनुज्ञप्तियां छः परिवारों को ही दे दी गई हैं । उन का कथन बिल्कुल गलत है । पता नहीं उन्होंने ये आंकड़े कहां से लिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दाजी** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने श्री बनर्जी और मुझे सूची भेजी है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जारी किये गये लाइसेंस एक हज़ार से कम नहीं हैं । अतः तुलना के लिए किये गये आंकड़े गलत हैं । डा० हज़ारी ने दो अध्ययन किये हैं और वे तीसरा अध्ययन करने जा रहे हैं और उन्हों ने कहा है कि तीसरा अध्ययन पूरा होने से पहले इसे प्रकाशित न किया जाये । तीसरा अध्ययन अभी अभी पूरा हुआ है और योजना आयोग को दो तीन सप्ताह पहले प्रतिवेदन मिला है । इस प्रतिवेदन पर भली प्रकार विचार करने के बाद इन्हें प्रकाशित किया जायेगा और माननीय मित्र को इस का आवश्यक टिप्पणियों सहित लाभ प्राप्त होगा ।

सरकार को भी उद्योगों के केन्द्रीकरण की समस्या का पता है और १९५६ के औद्योगिक संकल्प का उद्देश्य है कि कुछ एक लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित न हो । इस के साथ ही संकल्प के अनुसार हमें आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति को तेज़ करना है । केन्द्रीकरण को रोकने के लिए हम अधिकतम आर्थिक क्षमता से काम करने वाले औद्योगिक एककों की स्थापना की परम आवश्यकता की अवहेलना नहीं कर सकते और उत्पादन के लक्ष्य को ऐसे एककों में नहीं बांट सकते जो अधिकतम से कम क्षमता से लाभ करें और उत्पादन लागत बढ़ जाये तथा आगे प्रगति और निर्यात सम्बन्धी सम्भावना में बाधा उपस्थित हो ।

उद्योगों को अनुज्ञप्तियां देते समय अन्य बातों का समान रूप से ध्यान रखते हुए नये उपक्रमियों को अधिमान दिया जाता है । जब नये उपक्रमियों के उपयुक्त आवेदनपत्र न हों तो इस विचार से कि गैर सरकारी उद्योग के कार्यक्रम में विलम्म न हो पुराने उद्योगपतियों को अनुज्ञप्तियां दे दी जाती हैं । वास्तव में गत दस वर्ष में बहुत से नये उपक्रमियों ने उद्योग आरम्भ किया है ।

छोटे उद्योगों को राज्य वित्त निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा वित्तीय सहायता के अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद के आधार पर मशीनें भी दी जाती हैं । छोटे उद्योगों को पेशगियों में वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों का रक्षित बैंक से अतिरिक्त निधि मिल रही है । राज्य बैंक ऋण गारंटी योजना चल रही है ।

छोटे उद्योग तेज़ी से बढ़ रहे हैं और निर्माण कार्य का आधा छोटे उद्योगों से प्राप्त होता है । यह भी उल्लेखनीय है कि हर वर्ष पंजीबद्ध होने वाले नये समवाय १० लाख या कम पूंजी के हैं ।

सरकारी उद्योग के विकास से भी उद्योगों का केन्द्रीकरण रुकता है । उदाहरणतः इस्पात उद्योग पहले केवल निजी क्षेत्र में था यदि उसी क्षेत्र में इस का विकास होने दिया जाता तो ६०० से ७०० करोड़ तक की पूंजी कुछ एक कारखानों के ही हाथ में रहती । अब वह पूंजी सरकार ने लगा दी है अतः उस का केन्द्रीयकरण सरकार के पास हुआ है ।

श्री हज़ारी के निष्कर्ष धन के स्वामित्व के बारे में नहीं प्रत्युत धन के निमंत्रण के केन्द्रीकरण के बारे में हैं । स्वामित्व के बारे में हाल के वर्षों में कुछ विकेन्द्रीकरण का काफी प्रमाण मिलता है । रक्षित बैंक बुलेटिन (दिसम्बर १९६०) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अंशों में पूंजी की प्रवृत्ति उच्च आय वर्ग से मध्य और निम्न आय वर्ग की ओर बढ़ी है । १९५५-५६ में वेतन पाने वालों के हिस्से २३, २५८ थे जो १९५८-५९ में ३२,३०१ हो गये यह वृद्धि ३९ प्रतिशत है । ५००० रुपये

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मोरारजी देसाई]

और इससे कम वेतन वालों के हिस्से १९५५-५६ में २५ रु० थे जो १९५८-५९ में ५,१४४ हो गये। इस वर्ग के हिस्सेदारों की संख्या वास्तव में कहीं अधिक है क्योंकि विशेषतः ५००० रुपये से कम वतन वालों को आयकर का विवरण नहीं देना पड़ता और ये आंकड़े आय कर के आधार पर हैं अतः उन की संख्या कहीं अधिक है।

अतः केवल बड़े पैमाने के उद्योगों की आस्तियों के केन्द्रीयकरण के उल्लेख से धन के केन्द्रीयकरण का प्रश्न हल नहीं हो सकता। बड़े पैमाने के उद्योगों का धन तो देश के कुल धन का एक अंश है। बड़े पैमाने के उद्योगों में भी सरकारी उद्योग के विकास और गैर सरकारी उद्योग में नये उपक्रमियों के आने से केन्द्रीयकरण कम हो जायगा। सरकार की नीति इसे प्रोत्साहन देने की है। पूंजी के फैलाव की प्रवृत्ति बढ़ रही है इस से भी औद्योगिक धन का विकेन्द्रीकरण बढ़ेगा। सरकार की सहायता से छोटे उद्योगों के निरन्तर विकास से भी गैर सरकारी एकाधिकार समाप्त होगा। बहुत से क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यापार के ढंगों से बड़े पैमाने के कार्य की आवश्यकता पड़ती है। समवाय सम्बन्धी और अन्य विधान के अन्तर्गत आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे पास काफी शक्ति है।

यह तर्क भी गलत है कि हम धन के सँग्रह को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमने धन के सँग्रह पर दो कर अर्थात धन कर और सम्पदा शुल्क लगा रखे हैं। इसके अलावा धनकर भी है। इस देश में धनियों की सँख्या बहुत कम है जो वास्तव में अपनी आय का ११५ या १२० प्रतिशत कर रूप में दे रहे हैं जब शिकायत करते हैं कि वे अपने धन में से यह दे रहे हैं तो मेरा उत्तर होता है कि कर धन में से देना चाहिये।

यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि सारा धन ले लिया जाये तो सरकार की यह नीति नहीं है और न ही यह नीति अपनाई जायगी। अतः इस आलोचना का कोई लाभ नहीं। निस्संदेह उन्हें आलोचना करने का अधिकार है किन्तु मैं भी इसी उत्तर को दोहराऊँगा। आशा है इस विधेयक पर विचार करके इसे स्वीकार किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय समवायों पर विशेष कर लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

खँड २

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार चर्चा आरम्भ करेंगे खँड २ में कुछ संशोधन है।

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूँ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि पृष्ठ १ पँक्ति १०, में "due to him" [उसे देय] के बाद "or of the chargeable profits of any other person in respect of which he is assessable or of the amount of refund due to such other person".

---

†मूल अँग्रेजी में

"या किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे लाभ का जिस के सम्बंध में कर निर्धारित किया जाना हो या ऐसे अन्य व्यक्ति को लौटायी जाने वाली राशि का शब्द जोड़े जायें" ।] (८)

यह सँशोधन विधेयक के खँड २ के उपखँड (१) से सम्बंधित है एक आपसी समवाय का अधिलाभ कर प्रत्यक्ष रूप में या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आय कर अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत उस का अभिकर्ता माना गया हो, निर्धारित किया जा सकता है उस धारा के अन्तर्गत कतिपय हालतों में एक व्यक्ति को अभिकर्ता माना जा सकता है उदाहरणतः जो व्यक्ति अवासी समवाय द्वारा अथवा उस की ओर से नियुक्त हो या उससे सम्बंधित व्यापारिक सम्बंध रखता हो वह अभिकर्ता माना जायेगा प्रस्तावित सँशोधन में अवासी समवाय के अभिकर्ता को निकाय व्यक्ति की मद में रखा गया है ।

मैं प्रस्ताव करती हूं

पष्ठ १ ;- पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

'(5A) "deficiency" in relation to an assessment year means--

(i) where there are chargeable profits in respect of the previous year relevant to that assessment year, the amount by which such profits as increased by the sum excluded (xi) or clause (xii), as the case may be, of rule 1 of the First schedule falls short of the standard education ;

(ii) where there are no chargeable profits in respect of the previous year relevant to that assessment year, the amount of the standard deduction ;'

[(५ क) निर्धारण वर्ष सम्बंधी केसों से अभिप्राय है :-

(१) जहां निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्ष के सम्बँध में कर लगाये जाने वाले लाभ हों, वह राशि जो यथा स्थिति प्रथम अनुसूचि के नियम १ के खंड (११) या खँड (१२) के अन्तर्गत छोड़ी गई राशि द्वारा बढ़े हुए लाभ प्रामाणिक कटौती से कम पड़ती हो ;

(२) जहां निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्ष से सम्बंधित कर लगाने के योग्य कोई लाभ न हों तो प्रामाणिक कटौती की राशि)] ।   (९)

जैसा कि वित्त मंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था, यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी निर्धारण वर्ष के सम्बंध में कमी हो तो अधिलाभ कर से छट दे दी जाय । प्रस्तावित संशोधन द्वारा विधेयक के खँड २ में उपखँड (५क) जोड़ कर कमी की परिभाषा की जानी है ।

जिस मामले में लाभ पर कर लगाया जाना हो, वहां 'कमी' की यह परिभाषा की गयी है कि जो समवाय बैंक नहीं हैं उनके लिए १० प्रतिशत कटौती का उपबँध करने से पूर्व और बैंकिंग समवायों के लिए रक्षित निधि से पूर्व कर योग्य लाभ में जितनी कमी हो । चूंकि १० प्रतिशत लाभ और रक्षित निधि का उपबंध खर्च होने वाले राजस्व का द्योतक नहीं है अतः उन्हें कमी का निर्धारण करने क हिसाब में नहीं लिया जाता ।

जिस समवाय के मामले में कर योग्य लाभ न हो अर्थात जहां हानि हो वहां कमी की राशि को प्रमाणित कमी समझा जायगा ।

मैं प्रस्ताव करती हुँ :.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

पष्ठ १, पंक्ति २३ से २९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :–

(8) "standared deduction" means an amount equal to six per cent of the capital of the company as computed in accordance with the provisions of the Second Schedule, or an amount of fifty thousand rupees, whichever is greater :

Provided that where the previous year is longer or shorter than a period of twelve months, the aforesaid amount of six per cent or, as the case may be, of fifty thousand rupees shall be increased or decreased proportionately :"

["प्रामाणिक कटौती से अभिप्राय है समवाय की पूंजी के, जो दूसरी अनुसूचि के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की गई हो, ६ प्रतिशत के बराबर रकम, अथवा पचास हजार रुपये की रकम में से जो भी बड़ी हो परन्तु यदि पूर्व का वर्ष १२ मास की अवधि से यथा स्थिति बड़ा या छोटा हो तो उपर्युक्त ६ प्रतिशत रकम अथवा पचास हजार रुपये की रकम में उस अनुपात से वद्धि या कमी कर दी जायेगी"] [१०]

इस संशोधन में यह उपबंध किया गया है कि प्रामाणिक कटौती समवाय की पूंजी और रक्षित निधि के ६ प्रतिशत या पचास हजार रूपये में से जो भी अधिक हो के बराबर होगी वैकल्पिक प्रामाणिक कटौती कर उपबंध करने का प्रयोजन ऐसे छोटे या नये समवायों को अधिलाभकर से बचाने के लिए है जिनकी पूंजी कम हो ।

मैं प्रस्ताव करती हूँ :

पृष्ठ २, पंक्ति १ और २ में :

"Provided further that where an assessee has different previous years in respect of his income",

["परन्तु साथ ही जहां निर्धार्य की आय के सम्बंध में पूर्व का वर्ष भिन्न हो"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय ।

"Provided further that where a company has different previous years in respect of its income ".

[परन्तु साथ ही जहां किसी समवाय का उस की आय के सम्बंध में पूर्व का वर्ष भिन्न हो ।]
[११]

यह संशोधक विधेयक के खंड २ के उपखंड (८) में दी गई "प्रामाणिक कटौती" की परिभाषा के दूसरे परन्तुक से सम्बंधित है । संशोधन केवल प्रारूप सम्बंधी है ।

†**श्री ब० बा० गांधी** : मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसे तनिक सुगम बना दिया जाये और साथ मनोवैज्ञानिक दष्टि से ग्राहय भी । अक्तूबर १९६२ में आपात काल घोषित किया गया था और उससे पूर्व कर नहीं लगाना चाहिये । संशोधन के दूसरे भाग में यह उपबंध रखा है कि यह मान लिया जाये कि आपातकाल ६ मास के लिए है जिस से लोग अनुभव करेंगे कि यह कर सभा के लिए नहीं है यदि कुछ वर्ष बाद सरकार अनुभव करे कि यह कर लगाना चाहिये तो वह इसे और रूप में सभा के समक्ष रख सकती है ।

---

†मूल अँग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा : मैं इस का विरोध करती हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने विशेष वर्ष निर्धारित करने की बात कही है जब कि सभी अतिरिक्त कर सारे पूर्व वर्ष से सम्बंधित होता है। दूसरे वह चाहते हैं कि आपात काल के बाद इस कर को न लगाया जाय। हम अभी से आपात काल या किसी प्रस्थापना के सम्बंध में समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। इस का निर्णय भविष्य में किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि वे औद्योगिक विकास में बाधा पैदा नहीं करना चाहते यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई रुकावट अनुभव करती हैं तो विधेयक में परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है। यह समय इसमें परिवर्तन करने या कर वापस लेने का नहीं।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन के लिए आग्रह करते हैं।

†श्री ब० ब० गांधी : मैं अनुरोध नहीं करता।

संशोधन संख्या १, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १० "due to him" ("उसे देय") के बाद "or of the chargeable profits of any other person in respect of which he is assessable or of the amount of refind due to such other person" ("या किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे लाभ का जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारित किया जाता हो या ऐसे अन्य व्यक्ति को लौटायी जाने वाली राशि का") शब्द जोड़े जाएं (८)

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए —

'(5A) "deficiency" in relation to an assessment year means:—

(i) where there are chargeable profits in respect of the previous year relevant to that assessment year, the amount by which such profits as increased by the sum excluded under clause (xi) or clause (xii), as the case may be, of rule 1 of the First Schedule falls short of the standard deduction;

(ii) where there are no chargeable profits in respect of the previous year relevant to that assessment year, the amount of the standard deduction ;'

["(५क) निर्धारण वर्ष सम्बन्धी "कमी" से अभिप्राय है :—

(१) जहां निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्ष के सम्बन्ध में कर लगाये जाने वाले लाभ हो, वह राशि जो यथास्थिति प्रथम अनुसूची के नियम १ के खण्ड (११) या खण्ड (१२) के अन्तर्गत छोड़ी गई राशि द्वारा बढ़े हुए प्रामाणिक कटौती से कम पड़ती हो ;

(२) जहां निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्ष से सम्बन्धित कर लगाने योग्य कोई लाभ न हों तो प्रामाणिक कटौती की राशि"] (९)

(३) पृष्ठ १, पंक्ति २३ से २९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

'(8) "Standard deduction" means an amount equal to six per cent., of the capital of the company as computed in accordance with the provisions of the Second Schedule, or an amount of fifty thousand rupees, whichever is greater :

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

Provided that where the previous year is longer or shorter than a period of twelve months, the aforesaid amount of six per cent. or, as the case may be, of fifty thousand rupees shall be increased or decreased proportionately :'

["प्रामाणिक कटौती" से अभिप्राय है समवाय की पूंजी के जो दूसरी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की गई हो, ६ प्रतिशत के बराबर रकम में से जो भी बड़ी हो; परन्तु यदि पूर्व का वर्ष १२ मास की अवधि से यथास्थिति बड़ा या छोटा हो तो उपर्युक्त ६ प्रतिशत एक अथवा पचास हजार रुपए की रकम में उस अनुपात से वृद्धि या कमी कर दी जायेगी।"] (१०)

(४) पृष्ठ २, पंक्ति १ और २ में, "Provided further that where am assessee has different previous years in respect of his income ("परन्तु साथ ही जहां निर्धार्य की आय के सम्बन्ध में पूर्व का वर्ष भिन्न हो तो।") के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए : "Provided further that where a company has different previous years in respect of its incrme" ("परन्तु साथ ही जहां किसी समवाय का उसकी आय के सम्बन्ध में पूर्व का वर्ष भिन्न हो"). (११)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'हां'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो इसके विरोध में हैं वे 'न' कहें ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'न'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : 'हां' कहने वाले अधिक हैं ।

†**श्री दाजी** : 'न' कहने वाले अधिक हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप मत विभाजन चाहते हैं ?

†**श्री दाजी** : हां । २.३० बजे मत विभाजन हो जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : २.३० बजे मत विभाजन होगा । खण्ड ३ पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खंड ४ करारोपण)

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ २, खण्ड ४ के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"4. Subject to the provisions contained in this Act, there shall be charged on every company for every assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1963, a tax (in this Act referred to as the supper profits tax) in respect of so much of its chargeable profits of the previous year or previous years, as the case may be, as exceed the standard deduction, at the rate or rates specified in the third Schedule.'

["इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक समवाय पर अप्रैल, १९६३ पर और से आरम्भ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिये इसके यथास्थिति पिछले वष अथवा पिछले वर्षों के भारतीय लाभों के सम्बन्ध में उस सीमा तक जहां तक ये प्रमाणिक कटौती से अधिक हो, तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दर और.दरों के अनुसार एक कर (जिसका उल्लेख इस अधिनियम में अधिलाभ-कर के रूप में किया गया है) लगाया जाएगा] (१२) [श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा] : (१२).

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड ४क (हानि होने पर राहत)

संशोधन दिया गया

पृष्ठ २, पंक्ति ३३ के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

RELIEF ON OCCURRENCE OF DEFICIENCY

4A. Where there is a deficiency in relation to any assessment year, the assessee shall be entitled to relief in accordance with the following provisions, namely,—

(i) the amount of the deficiency shall be carried forward and set off against the net chargeable prfits of the assessee assessable for the next following assessment year and, if there are no net chargeable profits for that year or the amount of the deficiency exceeds the net chargeable profits for that year, the whole or the balance of the deficiency, as the case may be, shall be set off against the net chargeable profits of the assessee for the next following assessment year and if and so far as such deficiency cannot be wholly so set off, it shall be set off against the net chargeable profits of the assessee for the next following assessment year ;

(ii) in no case shall the deficiency or any part thereof be carried forward beyond three assessment years immediately following the assessment year to which the deficiency relates ;

(iii) where there is more than one deficiency and each such deficiency relates to a different assesssment year, the deficiency which relates

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

to an earlier assessment year shall be set off under clause (i) before setting off the deficiency off the deficiency relating to a later assessment year.

Explanation :—In this section and sub-section (1) of section 7, 'net chargeable profits' means the amount by which the chargeable profits exceeds the standard deduction."

"हानि होने पर राहत

"४क. यदि किसी निर्धारण वर्ष में हानि हुई हो तो करदाता को निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार राहत दी जाएगी, अर्थात्—

(१) हानि की राशि को अगले निर्माण वर्ष के करदाता के निर्धारण शुद्ध भारणीय लाभों के साथ दिखाया जाएगा और, यदि उस वर्ष में कोई शुद्ध भारणीय लाभ न हों अथवा हानि की राशि उस वर्ष के शुद्ध भारणीय लाभों से अधिक हो, तो यथास्थिति हानि की कुल हानि अथवा उस का शेष उससे अगले निर्धारण वर्ष के करदाता के शुद्ध भारणीय लाभों के साथ दिखाया जाएगा और यदि जहां तक यह हानि पूण रूप से इस प्रकार बराबर नहीं हो जाती इसे इससे अगले निर्धारण वष के करदाता के शुद्ध भारणीय लाभों के साथ दिखाया जाएगा;

(२) किसी भी अवस्था में हानि अथवा इसका कोई भाग जिस वर्ष में यह हानि हुई है उसके तुरन्त बाद के तीन निर्धारण वर्षों से आगे नहीं दिखाया जाएगा।

(३) जहां एक से अधिक हानियां हों और प्रत्येक हानि विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बन्ध रखती हों तो सबसे पहले निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हानि खण्ड (१) के अधीन बाद के निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हानि को दिखाने से पहले दिखाई जाएगी।

व्याख्या—इस धारा में और धारा ७ की उपधारा (११) में, शुद्ध भारणीय लाभ, उतना माना जायगा जितना भारणीय लाभ प्रमाणित कटौती से अधिक है।"] (१३) **[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि नया खण्ड ४-क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड ४क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५ (आय की विवरणीय)

संशोधन किये गये

(१) पृष्ठ २, पंक्तियों ३६ से ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए,—

"amount of standared deduction, its principal officer, or where in the case of a non-resident company any person has been treated so as agent under section 163 of the Income-tax Act, such person shall furnish a return of the chargeable profits of the company during the previous year and of the amount of any deficiency available for being set off

†मूल अँग्रजी में

against such profits under the provisions of this Act, in the prescribed form and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be."

["प्रमाणिक कटौती की राशि, इस का मुख्य अधिकारी अथवा यहां अभारतीय समवायों के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा १६३ के अधीन इस का अभिकर्ता मान लिया गया तो वहां ऐसा कोई व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित रीति से सत्यापन करके तथा यदि कोई अन्य ऐसा ही व्यौरा हो तो उसे दिखाते हुए समवाय के पिछल वर्ष के भारणीय लाभों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐस लाभों के सामने दिखाए जाने के लिये उपलब्ध किसी हानि की राशि के सम्बन्ध में एक विवरणी देगा।"] (१४)

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ७ से १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

15. "its principal officer, or where in the case of a non-resident company any person has been treated as its agent under section 163 of the Incone-tax Act, upon such person, requiring him to furnish within thirty days from the date of service of the notice a return of the chargeable profits of the company during the previous year and of the amount of any deficiency available for being s.t off against such profits under the provisions of this Act in the prescribed form and varified in the prescribed manner."

["इसके मुख्याधिकारी को अथवा वहां अभारतीय समवायों के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति आय कर अधिनियम की धारा १६३ के अधीन इस का अभिकर्ता मान लिया गया तो वहां ऐसे व्यक्ति को सूचना दिए जाने की तिथि से तीस दिन के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित रीति से सत्यापन करके समवाय के पिछले वर्ष के भारणीय लाभों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे लाभों के सामने दिखाए जाने के लिए उपलब्ध किसी हानि की राशि के सम्बन्ध में एक विवरणी भेजना होगा।") (१५)

(**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**) :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ (निर्धारण)

संशोधन किये गये —

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति २५ में, "as the incometax officer" ["आयकर अधिकारी के रूप में"] के स्थान पर "or evidence as the incometax officers" ["अथवा आयकर अधिकारी के रूप में साक्ष्य"] शब्द रखे जायें। (१६)

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ३८ में "assessment" ["निर्धारण"] के बाद "or, if there is a deficiency, theamount of the deficiency"

["अथवा यदि कोई हानि हो तो उस हानि की राशि"] शब्द रखे जायें। (१७)

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा] :

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६, संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ७ (अस्थायी निर्धारण)

संशोधन किये गये।

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ३९ से ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"7. (1) The Income-tax officer, before proceeding to make an assessment under section 6 (in this section referred to as the regular assessment) may, at any time after the expiry of the period allowed."

["७. (१) आयकर अधिकारी धारा ६ के अधीन (इस धारा में नियमित निर्धारण के रूप में उल्लिखित), निर्धारण करने से पूर्व दिये गये समय की समाप्ति के बाद किसी भी समय"]। (१८)

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति ५ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :

Page 4, after line 5, insert,——

"Provided that in making any such provisional assessment, the Income-tax Officer shall make allowance for any deficiency in reletion to any earlier assessment year which under the provisions of this Act is to be set off against the net chargeable profits for the assessment year in respect of which the provisional assessment is being made, and where such deficiency has not been assessed under the provisions of sub- section (2) of section 6, he shall estimate the amount thereof to the best of his judgement."

["परन्तु ऐसा अस्थायी निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी किसी पहले वर्ष में हुई हानि का ध्यान रखेगा, जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस निर्धारण वर्ष के शुद्ध भारणीय लाभों के साथ दिखाई जायेगी जिस के सम्बन्ध में अस्थायी निर्धारण किया जा रहा है और जहां धारा ६ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन ऐसी हानि का हिसाब नहीं लगाया गया हो तो वह उस राशि का अनुमान यथासाध्य निश्चित रूप में लगायेगा"]। (१९)

(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†मूल अँग्रेजी में

खण्ड ७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ से १० तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड ११ (अपीलीय उपायुक्त के पास अपील)

संशोधन किया गया

पृष्ठ ५, पंक्ति ४० में "Incometax officer" ["आयकर अधिकारी"] के स्थान पर "or to the amount of any deficiency as assessed as the Incometax Officer" ["अथवा आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी हानि की राशि"] । (२०)

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ और १३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १४ (अन्य संशोधन)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति ५ में "१४" ["१४"] के बाद "(१)" ["(१)"] रख दिया जाये । (२१)

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति १४ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(2) Where at any time before the expiry of the five years referred to in sub-clause (ii) of the proviso to clause (xi) of rule 1 of the First Schedule a company utilises the amount credited by it to the special reserve account under that sub-clause for a purpose other than:—

(a) repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it ; or

(b) acquisition of capital assets in India for the purposes of its business ; or

(c) payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent. of such capital,

the exclusion of ten per cent. of the amount of total income, originally made under clause (xi) of rule 1 of the First Schedule in computing the chargeable profits of the company shall be deemed to have been wrongly made and the Income-tax Officer may, notwithstanding anything contained in this Act, recompute the chargeable profits of the assessee for the relevant previous year and make the necessary amendment, and the provisions of section 13 shall, so far as may be, apply thereto, the period of four year specified in sub-section (1) of that section being reckoned from the end of the previous year in which the amount was so utilised."

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

["(२) जब पहली अनुसूची के नियम १ के खण्ड (११) के परन्तुक के उपखण्ड (२) में उल्लिखित पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई समवाय विशेष रक्षित लेखे में जमा की गई राशियों का निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस उपखण्ड के अधीन उपयोग करती है—

(क) इसके द्वारा लिये गये उधार की राशि अथवा ऋण का भुगतान; या

(ख) इसके व्यापार के हेतु पूंजीगत आस्तियों का अर्जन; या

(ग) इसकी अधिमान अंश पूंजी पर इस के ६ प्रतिशत से अधिक के लाभांश का भुगतान;

तो प्रथम अनुसूची के नियम १ के खण्ड (११) के अधीन समवाय के भारणीय लाभों की गणना करते समय मूलतः कुल आय की १० प्रतिशत छोड़ी गई राशि का छोड़ना गलत समझा जायेगा और आयकर अधिकारी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, सम्बन्धित पिछले वर्ष के करदाता के भारणीय लाभों का फिर से हिसाब लगायेगा और आवश्यक संशोधन करेगा, और धारा १३ के उपबन्ध जहां तक उस पर लागू होंगे उस धारा की उपधारा (१) में उल्लिखित चार वर्षों की अवधि को उस वर्ष के अन्त से गिनी जायेगी जिस में राशि का इस प्रकार उपयोग किया गया"] (२२)

श्री मुरारका : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत संशोधन सूची संख्या ३ में संख्या २२ के सामने दिखाये गये संशोधन में प्रस्तावित उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

["(a) repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets, or"

["(क) इस के द्वारा पूंजीगत आस्तियों के अर्जन के लिए उधार लिये गये धन अथवा ऋण का भुगतान; अथवा"] (३८)

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम यह संशोधन स्वीकार करते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"[(a) repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets; or"

["(क) इस के द्वारा पूंजीगत आस्तियों के अर्जन के लिए उधार लिये गये धन अथवा ऋण का भुगता; अथया"] (३८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि संशोधन संख्या २२ संशोधन संख्या ३८ द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८, पंक्ति १४ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(2) Where at any time before the expiry of the five yeays referred to in sub-clause (ii) of the proviso to clause (xi) of rule 1 of the First Schedule, a company utilises the amount credited by it to the special reserve account under that sub-clause for a purpose other than—

(a) repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets ; or

(b) acquisition of capital assets in India for the purposes of its business; or

(c) payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent. of such capital,

the exclusion of ten per cent. of the amount of total income originally made under clause (xi) of rule 1 of the First Schedule in computing the chargeable profits of the company shall be deemed to have been wrongly made and the Income-tax Officer may, notwithstanding anything contained in this Act, recompute the chargeable profits of the assessee for the relevant previous year and make the necessary amendment, and the provisions of section 13 shall, so far as may be, apply thereto, period of four years specified in sub-section (1) of that section being reckoned from the end of the previous year in which the amount was so utilised.".

["(२) जब पहली अनुसूची के नियम १ के खण्ड (११) के परन्तुक के उपखण्ड (२) में उल्लिखित पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई समवाय विशेष रक्षित लेखे में जमा की गई राशियों का निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस उपखण्ड के अधीन उपयोग करती है :—

(क) इस के द्वारा पूंजीगत आस्तियों के अर्जन के लिए उधार लिये गये धन अथवा ऋण का भुगतान; अथवा

(ख) इस के व्यापार के हेतु पूंजीगत आस्तियों का अर्जन; या

(ग) इस की अधिमान अंश पूंजी पर इस के ६ प्रतिशत से अधिक के लाभांश का भुगतान;

तो प्रथम अनुसूची के नियम १ के खण्ड (११) के अधीन समवाय के भारणीय लाभों की गणना करते समय मूलतः कुल आय की १० प्रतिशत छोड़ी गई राशि का छोड़ना गलत समझा जायेगा और आयकर अधिकारी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी सम्बन्धित पिछले वर्ष के करदाता के भारणीय लाभों का फिर से हिसाब लगायेगा और आवश्यक संशोधन करेगा, और धारा १३ के उपबन्ध जहां तक उस पर लागू होंगे उस धारा की उपधारा

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

(१) में उल्लिखित चार वर्षों की अवधि को उस वर्ष के अन्त से गिनी जायेगी जिस में राशि का इस प्रकार उपयोग किया गया"] (२२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ८, पंक्ति ५ में "१४" ["१४"] के बाद "(१)" ["(१)"] रख दिया जाये ।" (२१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड १४–क

संशोधन किया गया

पृष्ठ ८, पंक्ति १४ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये,—

"Super profits tax deductible in computing distributable income under Act 43 of 1961.

14A. Notwithstanding anything contained in clause (i) of section 109 of the Income-tax Act, in computing distributable income of a company for the purposes of sections 104 and 105 of that Act, the super profits tax payable by the company for any assessment year shall be deductible from the total income of the company for that assessment year."

"१९६१ के अधिनियम ४३ के अधीन वितरणीय आय का हिसाब लगाते समय घटाया जाने वाला अधिलाभ कर ।

["१४-क. आयकर अधिनियम की धारा १०९ के खण्ड १ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा १०४ और १०५ के प्रयोजनों के हेतु किसी समवाय की वितरणीय आय का हिसाब लगाते समय समवाय द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिये देय अधिलाभ कर उस समवाय की उस निर्धारण वर्ष की कुल आय में से घटा दिय. जायेगा"] (२३)

(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड १४–क विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड १४–क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १५ और १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १७ (१९६१ के अधिनियम ४३ के उपबन्धों का लागू करना)

संशोधन किया गया—

पृष्ठ ९, पंक्ति ३८ में "instead of income-tax" ["आयकर की बजाये"] के स्थान पर "instead of income-tax and super-tax" ["आय कर तथा अधिकर की बजाये"] शब्द रख दिये जायें । (२४) **[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १९ (विवरणी इत्यादि देने में असफलता)

संशोधन किया गया

पृष्ठ १०, पंक्ति १६, "time any return under section 5" ["धारा ५ के अन्तर्गत किसी विवरणी के समय"] के स्थान पर "time any return under sub-section of section 5" ["धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत किसी विवरणी के समय"] शब्द रख दिए जाएं । (२५)

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड १९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २० से २५ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड २, संशोधन संख्या ८, ९, १० और ११ द्वारा संशोधित रूप में, सभा के सामने रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम पहली अनुसूची को लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : खण्ड ११ के संशोधन संख्या २० में एक छपाई की अशुद्धि है। "officers" ["अधिकारियों"] शब्द के स्थान पर "officer" ["अधिकारी]" शब्द होना चाहिये।

†उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी अशुद्धियां ठीक करने की शक्तियां हैं। यह गलती ठीक की जा सकती है।

पहली अनुसूची

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

(१) पृष्ठ १२, पंक्तियां ७ और ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये —

"1. Income, profits and gains and other sums falling within the following clauses shall be excluded from such total income, namely;

["१. निम्नलिखित खण्डों के अन्तर्गत आय, लाभ तथा अन्य राशियां ऐसी कुल आय में नहीं शामिल की जायेंगी जैसी कि :—"] (२६)

(२) पृष्ठ १२, पंक्ति १० में "capital gains" ["पूंजीगत लाभ"] शब्दों के स्थान पर "Capital gains" ["पूंजीगत लाभ"] शब्द रख दिए जायें। (२७)

(३) पृष्ठ १२, पंक्ति १३ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(iv) any income referred to in sub-section (2) of section 41 of the Income Tax Act ;

(v) the amount of profits and gains derived from an industrial undertaking or hotel, on which under section 84 of the Income tax Act Income Tax is not payable ;

(vi) income chargeable under the Income tax Act under the head "Interest on Securities" derived from any security of the Central Government issued or declared to be income tax free or from any security of a State Government issued or declared to be income-tax free or from any security of a State Government issued income-tax free, the income tax whereon is payable by the State Government ;

(vii) any sum in respect of which a deduction of income-tax is allowed under the provisions of section 88 of the Income-tax Act ;

(viii) income by way of dividends from an Indian company or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India ;

(ix) income by way of royalties received from Government, or a local authority, or any Indian concern ;

(x) in the case of a non-resident company which has not made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India, its income by way of any interest or fees for rendering technical services received from Government or local authority or any indian concern ;

†मूल अंग्रेजी में

(xi) in the case of a company not being a banking company, a sum equal to ten per cent of the amount of total income computed under the Income-tax Act, as reduced by the amounts referred to in clause (i) ro clause (ii) or clause (iii) ;

Provided that in the case of a company not being a banking company and not being a licensee within the meaning of the

54 of 1948. Electricity (Supply) Act, 1948, either—

(i) an equivalent amount is spent during the previous year on the repayment of any money borrowed or debt incurred by it, or for acquisition of any capital assets in India for the purposes of its business, or for payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent of such capital ;

(ii) in so far as the amount, if any, spent during the previous year on the purposes aforesaid falls short of the said ten per cent of the total income so reduced, a sum equal to the amount so fallen short is debited by the company to its profits and loss account of the relevant previous year and credited to a special reserve account to be utilised by it during a period of five years next following only for one or more of the purposes specified in sub-clasuse (i) of this proviso;

Explanation 1—If any amount credited to the special reserve account referred to in sub-clause(ii) of the proviso is utilised for any purposes other than the purposes specified in sub-clause (i) of the proviso, the exclusion referred to in this clause shall be deemed to have been wrongly made for the purposes of this Act and the provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply accordingly ;

Explanation 2.—The proviso shall not apply in making any assessment under this Act for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1963 ;

(xii) in the case of a banking company, any sum credited by it during the previous year to any reserves including reserves not shown as such in its published balance sheet, in so far as the sums credited to such reserves are attributable to income chargeable to tax under the Income tax Act and have not been allowed as a deduction in computing its total income under that Act ;

Provided that—

(i) the amount of the aforesaid exclusion shall not exceed the highest of the aggregate sum of such reserves, if any, created during any of the three years prior to the previous year ;

(ii) the said exclusion shall not be made unless the banking company produces a certificate from the Reserve Bank of India certifying that the amount of the reserves created by it during the previous year was reasonable having in view the needs of the company's business ;

(xiii) tha amount of any deduction from the income-tax and super-tax chargeable on the total income allowed under the annual Finance Act in connection with export of any goods or merchandise out of India or the sale by a manufacturer of any articles to any person who exports them out of India."

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

["(४) ऐसी कोई आय जिस का उल्लेख आय कर अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (२) में किया गया हो ;

(५) किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा होटल से प्रारम्भ लाभ अथवा उपलब्धियों की राशि जिस में आयकर अधिनियम की धारा ८४ के अधीन आयकर नहीं दिया गया हो ;

(६) आयकर अधिनियम के अधीन "प्रतिभूतियों पर व्याज" मद के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार की किसी प्रतिभूति जिसे आयकर से मुक्त घोषित अथवा जारी किया गया हो, अथवा राज्य सरकार की किसी ऐसी प्रतिभूति से जिसे आयकर से मुक्त जारी किया गया हो, तथा जिस पर राज्य सरकार द्वारा आयकर दिया जाता हो, पर भारित आय ;

(७) कोई राशि जिस पर आयकर अधिनियम की धारा ८८ के अन्तर्गत आयकर में कटौती की अनुमति दी गयी हो ;

(८) किसी भारतीय समवाय अथवा ऐसे समवाय से जिस ने यह विहित व्यवस्था की हो कि उस के लाभांशों की घोषणा और भुगतान भारत में की जायगी, लाभांशों के रूप में आय ;

(९) सरकार या स्थानीय प्राधिकार या किसी भारतीय उपक्रम से प्राप्त स्वामित्व के रूप में आय ;

(१०) ऐसे अभारतीय समवाय जिस ने भारत में लाभांशों के घोषणा और भुगतान के बारे में विहित व्यवस्था न की हो, की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा किसी भारतीय उपक्रम से तकनीकी सेवाओं के लिये कोई ब्याज या शुल्क के रूप में आय ;

(११) किसी समवाय जोकि बैंकिंग समवाय न हो, के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत हिसाब लगायी गयी कुल आय की राशि के, जिस में से खंड १ से ३ में उल्लिखित राशियां घटा दी गयी हों, १० प्रतिशत के बराबर राशि ।

परन्तु उस समवाय के बारे में, जोकि बैंकिंग समवाय नहीं है, और विद्युत् संभरण अधि-
१९४८ का ५४ नियम १९४८ के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त समवाय नहीं है—

(१) किसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अथवा अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिये भारत में पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिये अथवा किसी भी राशि के विशेष अश पूंजी जोकि ऐसी पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक हो, पर लाभांशों के भुगतान के लिये पिछले वर्ष में बराबर की राशि व्यय की गयी हो ; अथवा

(२) उपरोक्त प्रयोजनों के लिये पिछले वर्ष में खर्च की गयी कोई राशि जो इस प्रकार से कम हुई कुल आय के तथाकथित १० प्रतिशत से कम रहती है, इस प्रकार से कम हुई राशि के बराबर राशि समवाय द्वारा अपने पहिले वर्ष की लाभ और हानि के लेखे में शामिल की जाती है और इसे इस परन्तुक

के उपखंड १ में उल्लिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिये आगामी ५ वर्ष की अवधि में समवाय द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विशे रक्षित लेखे में जमा किया जाता है ।

व्याख्या १—परन्तुक के उपखंड २ में उल्लिखित कोई राशि विशेष रक्षित लेखे में जमा की गयी, परन्तुक के उपखंड १ में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी और प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इस खंड में लिखित छूट इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गलत रूप से व्यवस्था की गयी समझी जायेगी, और धारा १४ के उपधारा २ के उपबंध उन पर तदनुसार लागू होंगे ।

व्याख्या २—पहिली अप्रैल, १९६३ से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई निर्धारण करने के लिये यह परन्तुक लागू नहीं होगा ।

(१२) किसी बैंकिंग समवाय के बारे में जो रक्षित राशियों में, जिन में वह रक्षित राशियां भी शामिल हैं जिन्हें प्रकाशित संतुलन पत्र में नहीं दिखाया गया है पिछले वर्ष जमा की गयी कोई राशि जिस सीमा तक रक्षित राशियों में जमा की गयी यह राशियां आय कर अधिनियम के अधीन करारोपण आय कर का अंश हों और जिन्हें उस अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय के हिसाब लगाने में नहीं छोड़ा गया हो ।

परन्तुक

(१) उपयुक्त छूट की राशि पूर्व वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किसी वर्ष की ऐसी सम्पूर्ण संचित राशि की उच्चतम सीमा, यदि कोई हो तो ये नहीं बढ़ेगी ;

(२) उक्त छूट तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि बैंकिंग समवाय भारत के रक्षित बैंक से एक प्रमाणपत्र पेश न करे जिस में यह प्रमाणित किया गया हो कि पूर्व वर्ष की कालावधि में इस समवाय द्वारा संचित राशि समवाय की आवश्यकताओं की दृष्टि से युक्तियुक्त थी ;

(१३) वार्षिक वित्त अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं अवस्थाओं के अथवा पण्य के भारत से बाहर निर्यात अथवा एक निर्माता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत से उन का निर्यात करता है किन्हीं वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में अनुमत कुल आय पर भारित आय-कर तथा अधिलाभ कर में से किसी कटौती की राशि ।"] (२८)

(४) पृष्ठ १२, पंक्तियों १४ से २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"2. The balance of the total income arrived at after making the exclusions mentioned in rule 1, shall be reduced by—

(i) the amount of income tax and super tax payable by the company in respect of its total income under the provisions of the Income tax Act, after making allowance for any relief, rebate or deduction in respect of income-tax and super-tax to which the company may be entitled under the provisions of the said Act or the annual Finance Act, and after exc[illegible]ding from such amount—

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

(a) the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect of the profits and gains of any business of life insurance included in the total income ;

(b) the amount of income-tax and super-tax payable by the company under the Income-tax act in respect of any income by way of compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 of that Act included in the total income ;

(c) the amount of income-tax and super-tax payable on any income chargeable under the head 'Capital gains' under the Income Tax Act, included in the total income ;

(ii) in the case of a company which has been charged to tax in a country outside India on any portion of its income, profits and gains included in its total income as computed under the the Income-tax Act, the tax actually paid in respect of such income in the said country in accordance with the laws in force in that country after allowance of every relief due under the said laws :

Provided that the aforesaid reduction shall not be allowed unless the assessee produces evidence of the fact of the payment of the aforesaid tax in that country."

["२. नियम १ में वर्णित छूटों के दिये जाने के पश्चात्, जो कुल आय शेष होगी इसे निम्न प्रकार की राशि से घटाया जायेगा——

(१) आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत समवाय द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि, आय-कर तथा अधिलाभ कर के बारे में किसी साहाय्य, अवहार अथवा कटौती को छोड़ कर जिस के लिये समवाय उक्त अधिनियम अथवा वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत हक्कदार हो, और उस राशि में से निम्नलिखित को निकाल कर——

(क) कुल आय में सम्मिलित जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में समवाय द्वारा देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि ;

(ख) कुल आय में सम्मिलित उस अधिनियम की धारा २० के खण्ड (२) में निर्दिष्ट प्रतिकर के रूप में किसी आय अथवा अन्य किसी अदायगी के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत समवाय द्वारा देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि ;

(ग) कुल आय में सम्मिलित, आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत भारितव्य किसी आय पर देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि;

(२) एक ऐसे समवाय के मामले में जिस की आय के किसी भाग पर भारत से बाहर किसी देश में कर लगाया गया है, आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत संगणित

इस की कुल आय में सम्मिलित लाभ, उक्त देश में लागू किन्हीं विधियों के अनुसार उस देश में ऐसी आय पर दिये गये वास्तविक कर उक्त विधियों के अन्तर्गत मिलने वाली हर साहाय्य को छोड़ कर :

परन्तु उपयुक्त कमी की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि कर दाता उस देश में उपयुक्त कर की अदायगी के बारे में प्रमाण पेश न करे।"] (२९)

†**श्री मुरारका** : मैं अपने संशोधन संख्या ४० और ४१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि संशोधनों की सूची संख्या ३ में, जिसकी संख्या २८ दी हुई है, श्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत संशोधन में,—

प्रस्तावित खण्ड (१२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(xii) in the case of a banking company :

(a) any sum which during the previous year is transferred by it to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Companies Act, 1949 or is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of that Act, not exceeding the amount required under the aforesaid provisions to be so transferred or deposited, as the case may be, or

(b) any sum transferred by it during the previous year to any reserves in India including reserves not shown as such in its published balance sheet in so far as the sums transferred to such reserves are atrributable to income chargeable to tax under the Income-tax Act and have not been allowed as a deduction in computing its total income under that Act and in so far as the aggregate of such sums does not exceed the highest of the aggregate of such sums, if any, so transferred during any one of the three years prior to the previous year, whichever is higher ;"

["(१२) एक बैंकिंग समवाय के मामले में ;

(क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा १७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत कोई राशि जो इस समवाय द्वारा पूर्व वर्ष में रक्षित निधि को हस्तांतरित की गई हो अथवा उस अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत उस समवाय द्वारा भारत के रक्षित बैंक में जमा कराई गई हो, जो उस राशि से अधिक न हो जिस का उपर्युक्त उपबन्धों के अन्तर्गत हस्तांतरित करना अथवा जमा कराना, यथास्थिति, आवश्यक है; अथवा

(ख) इस समवाय द्वारा पूर्व वर्ष में, उन रक्षित निधियों सहित जिन को उस ने अपने द्वारा प्रकाशित सन्तुलन-पत्र में इस प्रकार न दिखाया हो, भारत में रक्षित निधियों में हस्तांतरित कोई राशि जहां तक ऐसी हस्तांतरित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

राशि आय मानी जा सके और जिस पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाया जा सकता हो और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय की संगणना करते समय जिन को कटौती न माना गया हो और जहां तक ऐसी सामूहिक राशियां ऐसी सामूहिक राशियों की उच्चतम सीमा, यदि कोई हो तो, से नहीं बढ़ जातीं, जिस का पूर्व वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किसी वर्ष में इस प्रकार हस्तांतरण किया गया हो, जो भी अधिक हो;"](४२)

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मुरारका** : जहां तक संशोधन संख्या ३९ का प्रश्न है, यह उस संशोधन का जिसे सभा स्वीकार कर चुकी है आनुशंगिक संशोधन है इसे स्वीकार किया जा रहा है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री मोरार जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सूची संख्या ३ में संख्या २८ के सामने दिखाये गये संशोधन में प्रस्तावित उपनियम (११) में परन्तुक के उपखंड १ के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें :

"(i) an equivalent amount is spent during the previous year on the repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets or for acquisition of any capital assets in India for the purposes of its business or for payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent. of such capital ; or"

"(१) किसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अथवा अपने व्यापार के प्रयोगनों के लिये भारत में पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिये अथवा विशेष किसी भी राशि के विशेष अंशपूंजी जो कि ऐसी पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक हो, पर लाभांशों के भुगतान के लिये पिछले वर्ष में बराबर की राशि व्यय की गयी हो ।" (३९)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार संशोधन संख्या ३९ को स्वीकार कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं संशोधन संख्या ३९ को स्वीकार करती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री मोरारजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सूची संख्या ३ में संख्या २८ के सामने दिखाये गये संशोधन में प्रस्तावित उपनियम (११) में परन्तुक के उपखंड १ के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें :

"(i) an equivalent amount is spent during the previous year on the repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets or for acquisition of any capital assets in India for the purposes of its business or for payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent. of such capital ; or"

"(१) किसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अथवा अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिये भारत में पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिये अथवा विशेष किसी भी राशि के

†मूल अंग्रेजी में

विशेष अंशपूंजी जोकि ऐसी पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक हो पर लाभांशों के भुगतान के लिये पिछले वर्ष में बराबर की राशि व्यय की गयी हो । (३९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या २८ को जैसा वह संशोधन संख्या ३९ द्वारा संशोधित हो गया है, मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री दाजी** : इस संशोधन पर मतदान होना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** : जब मुख्य खंड १४ स्वीकृत हो चुका है तो यह उसका आनुसांगिक मात्र है । अतः हम जो स्वीकार कर चुके हैं उसे किस प्रकार चुनौती दी जा सकती है ।

†**श्री दाजी** : हमें मुख्य सिद्धांत पर भले ही कोई आपत्ति न हो तथापि उसके अमल में लाने की विधि पर हमारी आपत्ति हो सकती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२, पंक्ति १३ के **पश्चात्** ये शब्द रखे जायें :

"(iv) any income referred in sub-section (2) of section 41 of the Income tax Act ;

(v) the amount of profits and gains derived from an industrial undertaking or hotel, on which under section 84 of the Income-Tax Act income-tax is not payable ;

(vi) income chargeable under the Income-tax Act under the head 'Interest on securities' derived from any security of the Central Government issued or declared to be income-tax free or from any security of a State Government issued income-tax free, the income-tax whereon is payable by the State Government;

(vii) any sum in respect of which a deduction of income-tax is allowed under the provisions of section 88 of the Income-tax Act ;

(viii) income by way of dividends from an Indian company or a company which has made the pescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India ;

(ix) income by way of royalties received from Government, or a local authority, or any Indian concern ;

(x) in the case of a non-resident company which has not made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India, its income by way of any interest or fees for rendering technical services received from Government or a local authority or any Indian concern ;

(xi) in the case of a company not being banking company, a sum equal to ten per cent, of the amount of total income computed under the income-tax Act, as reduced by the amounts referred to in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

Provided that in the case of a company not being a banking company and not being a licensee within the meaning of the Electricity (Supply) Act, 1948, either— 54 of 1948.

(i) an equivalent amount is spent during the previous year on the repayment of any moneys borrowed or debt incurred by it for acquisition of capital assets or for acquisition of any capital assets in India for the purposes of its business or for payment of dividends on its preference share capital of any sum exceeding six per cent. of such capital ; or"

(ii) in so far as the amount, if any, spent during the previous year on the purposes aforesaid falls short of the said ten per cent. of the total income so reduced, a sum equal to the amount so fallen short is debited by the company to its profit-and-loss account of the relevant previous year and credited to a special reserve account to be utilized by it during a period of five years next following only for one or more of the purposes specified in sub-clause (i) of this proviso ;

Explanation 1.—If any amount credited to the special reserve account referred to in sub-clause (ii) of the proviso is utilized for any purposes other than the purposes specified in sub-clause (i) of the proviso, the exclusion referred to in this clause shall be deemed to have been wrongly made for the purposes of this Act and the provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply accordingly.

Explanation 2.—The proviso shall not apply in making any assessment under this Act for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1963 ;

(xii) in the case of a banking company, any sum credited by it during the previous year to any reserves including reserves not shown as such in its published balance sheet, in so far as the sums credited to such reserves are attributable to income chargeable to tax under the Income-tax Act and have not been allowed as a deduction in computing its total income under that Act :

Provided that—

(i) the amount of the aforesaid exclusion shall not exceed the highest of the aggregate sum of such reserves, if any, created during any of the three years prior to the previous year ;

(ii) the said cxclusion shall not be made unless the banking company produces a certificate from the Reserve Bank of India certifying that the amcunt of the reserves created by it during the previous year was reasonable having in view the needs of the company's business ;

(xiii) the amount of any deduction from the income-tax and super-tax cheargeable on the total income allowed under the annual Finance Act in connection with export of any goods or merchandise out of India or the sale by a manufacturer of any articles to any person who exports them out of India".

["(४) ऐसी कोई आय जिस का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (२) में दिया गया हो।

(५) किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा होटल से प्राप्त लाभ अथवा उपलब्धियों की राशि जिस में आयकर अधिनियम की धारा ८४ के अधीन आयकर नहीं दिया गया हो ;

(६) आयकर अधिनियम के अधीन "प्रतिभूतियों पर ब्याज" मद के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार की किसी प्रतिभूति जिसे आयकर से मुक्त घोषित अथवा जारी किया गया हो, अथवा राज्य सरकार की किसी ऐसी प्रतिभूति से जिसे आयकर से मुक्त जारी किया गया हो, तथा जिस पर राज्य सरकार द्वारा आयकर दिया जाता हो, पर भारित आय।

(७) कोई राशि जिस पर आय कर अधिनियम की धारा ८८ के अन्तर्गत आय कर में कटौती की अनुमति दी गयी हो;

(८) किसी भारतीय समवाय अथवा ऐसे समवाय से जिसने यह विहित व्यवस्था की हो कि उसके लाभांशों की घोषणा और भुगतान भारत में की जायेगी, लाभांशों के रूप में आय;

(९) सरकार या स्थानीय प्राधिकार या किसी भारतीय उपक्रम से प्राप्त स्वामिस्व के रूप में आय;

(१०) ऐसे अभारतीय समवाय जिसने भारत में लाभांशों के घोषणा और भुगतान के बारे में विहित व्यवस्था न की हो, की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा किसी भारतीय उपक्रम से तकनीकी सेवाओं के लिये कोई ब्याज या शुल्क के रूप में आय;

(११) किसी समवाय जो कि बैंकिंग समवाय न हो, के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत हिसाब लगायी गयी कुल आय की राशि के, जिस में से खंड १ से ३ में उल्लिखित राशियां घटा दी गयी हों, १० प्रतिशत के बराबर राशि;

परन्तु उस समवाय के बारे में, जोकि बैंकिंग समवाय नहीं है, और विद्युत संभरण

१९४८ का ५४ अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त समवाय नहीं है--

(१) किसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अथवा अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिये पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिये अथवा भारत में कोई पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिये किसी भी राशि के विशेष अंश पूंजी, जोकि ऐसी पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक हो, पर लाभांशों के भुगतान के लिये पिछले वर्ष में बराबर की राशि व्यय की गयी हो; अथवा

(२) उपरोक्त प्रयोजनों के लिये पिछले वर्ष में सर्व की गयी कोई राशि जो इस प्रकार से कम हुई कुल आय के तथाकथित १० प्रतिशत से कम रहती है, इस प्रकार से कम हुई राशि के बराबर राशि समवाय द्वारा अपने पहिले वर्ष की लाभ और हानि के लेखे में शामिल की जाती है और इसे इस परन्तुक के उपखंड १ में उल्लिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिये आगामी ५ वर्ष की अवधि में समवाय द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विशेष रक्षित लेखे में जमा किया जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्याख्या १. परन्तुक के उपखंड २ में उल्लिखित कोई राशि विशेष रक्षित लेखे में जमा की गयी, परन्तुक के उपखंड १ में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी और प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लायी जाती है, तो इस खंड में लिखित छट इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गलत रूप से व्यवस्था की गयी समझी जायेगी और धारा १४ की उपधारा २ के उपबंध उन पर तदनुसार लागू होंगे । '

व्याख्या २. पहिली अप्रैल, १९६३ से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई निर्धारण करने के लिये यह परन्तुक लागू नहीं होगा ।

(१२) किसी बैंकिंग समवाय के बारे में जो रक्षित राशियों में, जिन में वह रक्षित राशियां भी शामिल हैं जिन्हें प्रकाशित संतुलन पत्र में नहीं दिखायी गयी हैं पिछले वर्ष जमा की गयी कोई राशि जिस सीमा तक रक्षित राशियां में जमा की गयी यह राशियां आय कर अधिनियम के अधीन करारोपण आय कर का अंश हों और जिन्हें उस अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय के हिसाब लगाने में नहीं छोड़ा गया हो ।

परन्तुक

(१) उपर्युक्त छूट की राशि पूर्व वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किसी वर्ष की ऐसी सम्पूर्ण संचित राशि की उच्चतम सीमा, यदि कोई हो तो, ये नहीं बढ़ेगी ;

(२) उक्त छट तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि बैंकिंग समवाय भारत के रक्षित बैंक से एक प्रमाण पत्र पेश न करे जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि पूर्व वर्ष की कालावधि में इस समवाय द्वारा संचित राशि समवाय की आवश्यकताओं की दृष्टि से युक्तियुक्त थी ;

(१३) वार्षिक वित्त अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं वस्थतओं के अथवा पण्य के भारत से बाहर निर्यात अथवा एक निर्माता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत से उनका निर्यात करता है किन्हीं वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में अनुमल कुल आय पर भारितव्य आय-कर तथा अधिलाभ कर में से किसी कटौती की राशि ।"] **(२८ संशो० ३९ द्वारा संशोधित रूप में)**

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में ८८: विपक्ष में ११

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संशोधन संख्या ३, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : संशोधन २८ में एक और शुद्धि करनी है । ये छापे की भूलें हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : छापे की भूलें बाद में भी ठीक की जा सकती हैं । मैं अब अन्य सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं । वे संशोधन २६, २७, २९ और ४२ हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १२ पंक्ति ७ और ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें :

"1. Income, profits and gains and other sums falling within the following clause shall be excluded from such total income, namely......"

"१. ऐसी राशियां को निम्नलिखित खंडों के अन्तर्गत आम लाभ तथा अन्य राशियां नहीं शामिल की जायेंगी जैसा कि . . . . (२६)

(२) पृष्ठ १२ पंक्ति १० में "Capital gains" (पूंजी लाभ)" शब्दों के स्थान पर "Capital gains" ["पूंजी लाभ"] शब्द रख दिये जायें। (२७)

(३) "पृष्ठ १२, पंक्तियों १४ से २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये।

. The balance of the total income arrived at after making the exclusions mentioned in rule 1, shall be reduced by—

(i) the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect of its total income under the provisions of the Income-tax Act after making allowance for any relief, rebate or deduction in respect of income-tax and super-tax to which the company may be entitled under the provisions of the said Act or the annual Finance Act, and after excluding from such amount...

(a) the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect of the profits and gains of any business of life insurance included in the total income ;

(b) the amount of income-tax and super-tax payable by the company under the Income tax Act in respect of any income by way of compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 of the Act included in the total income ;

(c) the amount of income-tax and super-tax payable on any income chargeable under the head 'Capital gains' under the Income-tax Act, included in the total income ;

(ii) in the case of a company which has been charged to tax in a country outside India on any portion of its income, profits and gains included in its total income as computed under the income-tax Act, the tax actually paid in respect of such income in the said country in accordance with the laws in force in that country after allowance of every relief due under the said laws :

Provided that the aforesaid reduction shall not be allowed unless the assessee produces evidence of the fact of the payment of the aforesaid tax in that country".

[उपाध्यक्ष महोदय]

["२ नियम १ में वर्णित छटों के दिये जाने के पश्चात्, जो कुल आय शेष होगी इसे निम्न-प्रकार की राशि से घटाया जायेगा——

(१) आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत समवाय द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि, आय-कर तथा अधिलाभकर के बारे में किसी साहात्य, अवहार अथवा कटौती को छोड़ कर जिसके ये समवाय उक्त अधि-नियम अथवा वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत हक़दार हों, और :स राशि में से निम्नलिखित को निकाल कर——

(क) कुल आय में सम्मिलित जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में समवाय द्वारा देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि;

(ख) कुल आय में सम्मिलित उस अधिनियम की धारा २० के खण्ड (२) निर्दिष्ट प्रतिकर के रूप में किसी आय अथवा अन्य किसी अदायगी के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत समवाय द्वारा देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि;

(ग) कुल आय में सम्मिलित, आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत भारितव्य किसी आय पर देय आय-कर तथा अधिलाभ कर की राशि;

(२) एक ऐसे समवाय के मामले में जिसकी आय के किसी भाग पर भारत से बाहर किसी देश में कर लगाया गया है, आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत संगणित इसकी कुल आय में सम्मिलित लाभ, उक्त देश में लागू किन्हीं विधियों के अनुसार उस देश में ऐसी आय पर दिये गये वास्तविक कर उक्त विधियों के अन्तर्गत मिलने वाली हर साहाय्य को छोड़ कर :

परन्तु उपयुक्त कमी की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि करदाता उस देश में उपयुक्त कर की अदायगी के बारे में प्रमाण पेश न करे।"] (२९)

(४) कि संशोधनों की सूची संख्या ३ में, जिसकी संख्या २८ दी हुई है, श्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत संशोधन में,——

प्रस्तावित खण्ड (१२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय——

"(xii) in the case of a banking company—

(a) any sum which during the previous year is transferred by it to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Companies Act, 1949 or is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-cluse (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of that Act,not exceeding the amount required under the aforesaid provisions to be so transferred or deposited, as the case may be, or

(b) any sum transferred by it during the previous year to any reserves in India including reserves not shown as such in its published balance sheet in so far as the sums transferred to such reserves are attributable to incme chargeable to tax under the Income tax Act and have not been allowed as a deduction in

computing its total income under that Act and in so far as the aggregate of such sums does not exceed the highest of the aggregate of such sums, if any, so transferred during any one of the three years prior to the pruvious year,

whichever is higher ;"

["(१२) एक बैंकिंग समवाय के मामले में—

(क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा १७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत कोई राशि जो इस समवाय द्वारा पूर्व वर्ष में रक्षित निधि को हस्तांरित की गई हो अथवा उस अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (२) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत उस समवाय द्वारा भारत के रक्षित बैंक में जमा कराई गई हो, जो उस राशि से अधिक न हो जिसका उपयुक्त उपबन्धों के अन्तर्गत हस्तांतरित करना अथवा जमा कराना, यथास्थिति, आवश्यक है; अथवा

(ख) इस समवाय द्वारा पूर्व वर्ष में, उन रक्षित निधियों सहित जिन को उसने अपने द्वारा प्रकाशित सन्तुलन —पत्र में इस प्रकार न दिखाया हो, भारत में रक्षित निधियों में हस्तांतरित कोई राशि जहां तक ऐसी हस्तांतरित राशि आय मानी जा सके और जिस पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाया जा सकता हो और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय की संगणना करते समय जिन को कटौती न माना गया हो और जहां तक ऐसी सामूहिक राशियों की उच्चतम सीमा, यदि कोई हो तो, से नहीं बढ़ जाती; जिसका पूर्व वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किसी वर्ष में इस प्रकार हस्तांतरण किया गया हो, जो भी अधिक हो;"] (४२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब संशोधन संख्या ४० और ४१ पर को लेता हूं ।

†**श्री मोरारका** : मैं इन संशोधन को वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ४० और ४१ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पहिली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहिली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी

दूसरी सूची

†**अध्यक्ष महोदय** : इस अनुसूची के सम्बन्ध में कुछ सरकारी संशोधन हैं ।

(१) पृष्ठ १२, पंक्ति ३७ और ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये,—

"up share capital and of its reserve, if any, created under the proviso (b) to clause (vib) of sub-section (2) of section 10 of the Indian

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

Income-tax Act, 1922 or under sub-section (3) of section 34 of the Income-tax Act, 1961, and of its other reserves in so far as the amounts credited to such other reserves have not been allowed in computing its profits for the purposes .".

१९२२ का ११ ["अंश पूंजी के और आय-कर अधिनियम, १९२२, की धारा १० की उप-धारा (२) के खण्ड (७) के परन्तुक (ख) के अधीन

१९६१ का ४३ अथवा आय-कर अधिनियम, १९६१, की धारा ३४ की उप-धारा (३) के अधीन यदि कोई रक्षित निधियां बनाई गई हों, तो, उनके और इन प्रयोजनों के लिये लाभों का हिसाब लगाते समय जिस सीमा तक अन्य रक्षित निधियों में जमा की हुई राशियां छोड़ दी गई हैं, उस सीमा तक, इसकी अन्य रक्षित निधियों के।" (३०)

(२) पृष्ठ १३, पंक्ति ३ से ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये,—

"income from which in accordance with clause (iii) or clause (vi) or clause (viii) of rule I of the First Schedule is not includible in its chargeable profits, exceeds the aggregate of ——

(i) any money borrowed by it which remains outstanding ; and

(ii) the amount of any fund, any surplus and any such reserve as is not to be taken into account in computing the capital under this rule .".

["जिससे प्राप्त आय प्रथम सूची के नियम १ के खंड (३) अथवा खंड (६) अथवा खंड (८) के अनुसार इसके भारणीय लाभों में सम्मिलित नहीं की जा सकती, निम्नलिखित के कुल जोड़ से अधिक है—

(१) इसके द्वारा उधार लिया गया कोई भी धन, जो बकाया है; और

(२) किसी निधि, अतिरेक और किसी ऐसी रक्षित निधि की राशि जिसे इस नियम के अधीन पूंजी का हिसाब लगाते समय सम्मिलित नहीं किया जाता ।"] (३१)

(३) पृष्ठ १३, पंक्ति १२ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये,—

"*Enplanation* 3.—Where a comapny has different previous years in respect of its insome, profits and gains, the computation of capital under rule 1 and rule 2 of this schedule shall be made with reference to the previous year which commenced first.".

["**व्याख्या** ३.—जहां किसी समवाय के पिछले वर्ष इसकी आय लाभों और अभिवृद्धियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न हों वहां, इस अनुसूची के नियम १ और नियम २ के अधीन पूंजी का हिसाब उस पिछले वर्ष का निर्देश करके किया जायेगा, जो पहले आरम्भ हुआ ।"] (३२)

पृ १३, क्ति २० 'are' ["हैं"] के स्थान पर " is " ["है"] रख दिया ज : ३३

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी

तीसरी अनुसूची

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १३, पंक्ति ३२, " equal to " ["के बराबर"] के स्थान पर " not exceeding" ["से अधिक नहीं"] रख दिया जाये। (३४)

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत है।

†**श्री व० बा० गांधी** : मेरे संशोधन का ध्येय यह है कि प्रामाणिक कटौती ३० प्रतिशत की दर से हो और आय कर, अधिकर और अधि-लाभ कर का कुल योग ५७॥ प्रतिशत से अधिक न हो।

†**श्री मुरारका** : यह सच है कि निगमों पर कर की दर अधिक है। किन्तु साथ ही हम ने इतनी रियायतें दी हैं और कटौती आदि की सुविधायें इतनी हैं कि इस अधिक दर से वास्तव में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। इन बातों को देखते हुए कर में कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि श्री गांधी अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस विषय में श्री मुरारका ने जो कुछ कहा है उससे अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहती। यह संशोधन अधि-लाभ कर को कम करने के सम्बन्ध में है, इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं ?

†**श्री व० बा० गांधी** : नहीं। मैं इसे वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या ५, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३, पंक्ति ३२, " e ual to " ("के बराबर") के स्थान पर " not exceeding" ["से अधिक नहीं"] रख दिया जाये। (३४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी अनुसूची , संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**) मैं प्रस्ताव करती हूं :

नये खंडों को रखे जाने के परिणामस्व रूप खंडों की पुन: संख्या देने, और परस्पर-निर्देश के सम्बन्ध में आनुषंगिक संशोधन कर दिये जायें। (३५)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

नये खंडों को रखे जाने के परिणामस्वरुप खंडों की पुन: संख्या देने और परस्पर-निर्देश के सम्बन्ध में आनुसांगिक संशोधन कर दिये जायें। (३५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में १११ : विपक्ष में १५

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

आयात व्यापार नियंत्रण नीति विवरण

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११८१/६३]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : क्या हमें प्रतियां मिल सकती हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इसे परिचालित करना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६, के परन्तुक को अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६, के परन्तुक को अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस विधेयक का संशोधन मुझे ठीक प्रकार हुआ लगता है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह करारोपण का उपाय है अथवा सम्पत्ति के अर्जन का एक उपाय है क्योंकि हम केवल दो ही बातें कर सकते हैं । . . . .

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । जब मंत्री ने नियम के निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव किया है उस समय वह विधेयक के गुण दोषों सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं नियम के निलम्बन पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है कि सभा के सम्मुख जो प्रस्ताव है वह नियम के निलम्बन के विषय में है । क्या वह इस विषय में कोई औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं ?

†**श्री त्यागी** : मैं विधेयक के गुण दोषों के बारे में कहना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो बाद में आयेगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : नियम ६६ में उपबन्ध है :

"कोई विधेयक, जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है . . . .

यहां शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है . . . .

"उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरः-स्थापित किया जा सकेगा ।"

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिए केवल तभी लिया जायेगा जब कि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो ।

किस निलम्बन के लिए मांग की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन का कहना यह है कि यह सदन के सामने लम्बित नहीं है क्योंकि इसे अभी पारित किया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह दोनों सदनों के सामने लम्बित होना चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : सदन के सामने कुछ लम्बित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे भाग में कहा गया है कि इसे तब तक पारित नहीं कर सकते, जब तक कि पहले पर राष्ट्रपति ने अनुमति न दे दी हो, या जब तक कि नियम निलम्बित न किया गया हो ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इसलिए केवल दूसरे भाग के लिए निलम्बन की मांग की गई है । पुरःस्थापन पहले ही हो चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

†**वित्त मंत्री** (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य जमा और तत्सम्बन्धी योजना बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसा कि मैंने विधेयक के पुरः स्थापन के समय कहा था, हमने अब तक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए स्वैच्छिक बचतों पर निर्भर किया है । किन्तु अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, आपातकाल के कारण, जबकि संसाधन बढ़ाने के लिए सभी जरिये ढूंढने पड़ेंगे । अनिवार्य जमा योजना उन सब लोगों पर लागू होगी जिन के पास बचत की कोई गुंजाइश हो सकती है । अनिवार्य बचत कोई कर नहीं है बल्कि आय देने वाली आस्तियां हैं । किन्तु जो बचत की आदत पड़ जायेगी, वह अधिक महत्वपूर्ण है ।

अब मैं मुख्य संशोधनों को लेता हूं । खण्ड २ (ग) में शहरी क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति रखने वाले करदाताओं और अन्य लोगों में कोई विभेद नहीं किया गया । इस खण्ड को संशोधित किया जा रहा है ताकि इसमें वे सम्पत्ति स्वामी आ सकें, जिन पर आय-कर नहीं लगता ।

खण्ड २ (घ) (३) को विस्तृत किया जा रहा है ताकि उन विदेशी कम्पनियों के कर्मचारी जो कि भारत के बाहर पंजीकृत हैं, निवार्य जमा करने से बच न जायें ।

खण्ड २ (ङ) में उन व्यक्तियों की ओर निर्देश है, जो बिक्री कर देते हैं, जिनका कारबार १५,००० या इससे अधिक है, किन्तु जिन पर आय-कर नहीं लगता । कुछ राज्यों में यह सीमा १५,००० रुपये से अधिक है । इस लिए एक उपबन्ध किया जा रहा है कि ऐसी हालतों में अनिवार्य जमा ऊपरी सीमा को देख कर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ (च) को राज्य सरकारों के परामर्श से हटा देने का निर्णय किया गया है।

'व्यक्ति' की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है, ताकि यह आय-कर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुकूल बन सके।

'वेतन' की परिभाषा संशोधित की जा रही है, ताकि उन व्यक्तियों को वर्जित किया जा सके जिनका निवृत्ति वेतन १५०० रुपये प्रतिवर्ष या इससे अधिक है किन्तु जिन पर आयकर नहीं लगता। अतः इस श्रेणी के सेवा निवृत्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अनिवार्य जमा नहीं करवाना पड़ेगा।

खण्ड ४(२) (क) में यह निर्धारित है कि लगान देने वालों के लिए १९५९–६० के वर्ष में दिये जाने वाले लगान का ५० प्रतिशत जमा की अधिकतम दर होगी। राज्य सरकारों ने कहा है कि इसे वर्ष १९५९–६० के साथ सम्बद्ध करने से कठिनाइयां होंगी। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि जमा की अधिकतम राशि इस वर्ष के लगान का ५० प्रतिशत हो, जिस वर्ष में राशि जमा कराई गई हो।

तथापि यह ख्याल रखा जायेगा कि प्रत्येक राज्य में अनिवार्य जमा १९५९–६० के लगान के ५० प्रतिशत से अधिक न हो।

कुछ सदस्यों ने लगान देने वालों को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से मुक्त करने के लिए संशोधन दिये हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मेरा उद्देश्य इस विधेयक को अधिक से अधिक व्यापक बनाना है। वास्तव में ये शिकायतें आई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत आन्दोलन ने अभी जोर नहीं पकड़ा। कृषक श्रेणियों का भी बढ़ती हुई आय में हिस्सा है। इसलिए उन्हें या किसी अन्य समुदाय को अनिवार्य जमा से अपवर्जित रखना उचित नहीं होगा। मैं पहले कह चुका हूं कि ५ रुपये वार्षिक से कम लगान देने वालों को छूट दी जायेगी। कुछ राज्यों ने राजस्व में इससे या कम सीमा पर छूट की मांग की है। सीमा निर्धारित करने में मैंने सब संगत बातों पर ध्यान दिया है और जो कुल राशि प्राप्त होगी उस पर भी। ५ से ६ करोड़ लगान देने वालों में से लगभग आधे ऐसे हैं, जो ५ रुपये से कम लगान देते हैं और ये सब नियुक्त होंगे। इससे जमा होने वाली राशि में ५ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। छूट सीमा को और बढ़ाना उचित प्रस्ताव नहीं होगा। ऐसा करने से कम उन्नत देशों को भी हानि होगी, जिन्हें संसाधनों की आवश्यकता है। औसतन लगान का दायित्व कुल कृषि आय के २ प्रतिशत से भी कम है। इसलिए अनिवार्य जमा जो १९५९–६० में दिये जाने वाले लगान का १ प्रतिशत होगा, अधिक भार नहीं होगा।

१५०० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वालों के लिए, जो आय-कर नहीं देते और जो अपनी आय का काफी हिस्सा बचा रहे हैं, एक नया नियुक्ति खण्ड जोड़ा जा रहा है। अतः यदि वे बीमे की किस्तों, अभिज्ञात भविष्य निधियों कथा संचय काल निक्षेपों में ११ प्रतिशत तक राशि जमा करवाते हैं, तो उन्हें अनिवार्य जमा के लिए नहीं कहा जायेगा। खण्ड ४(८) के वर्तमान परन्तुक में जमा करने वाले की मृत्यु की हालत में जमा राशि समय से पहले भी दी जा सकती है। अन्य कठिनाइयों की हालत में भी यह समय से पहले दी जा सकेगी। यह शक्ति भी ली जा रही है कि यदि लगान निलम्बित, कम या माफ किया जाता ह, तो अनिवार्य जमा को भी ऐसे किया जायेगा। एक नये खण्ड के अनुसार सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

अन्य संशोधन स्पष्टीकरण के लिए हैं और मैं उन पर समय नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने १६ अप्रैल के वक्तव्य में कहा था, अनिवार्य जमा की योजना एक नई और निराली योजना है, जो कि हमें आपातकाल की स्थिति के कारण लागू करनी पड़ी है। इस विधेयक को मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मन्त्रियों के समर्थन के बाद प्रस्तुत किया है। कहा गया है कि १२५ रुपये से कम वेतन वाले व्यक्ति कुछ बचा नहीं सकते। मैं मानता हूं कि उनकी बचाने की क्षमता सीमित होती है। किन्तु इन

[श्री मोरारजी देसाई]

की आय देश की औसत आय से अधिक है और उनके लिए कुछ न कुछ बचना उनके अपने और देश के हित में है। बचत के लिए कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ती है, ताकि भविष्य में वित्त की चिन्ता न हो। चूंकि ऐसा करना कम आय वालों के लिए और भी आवश्यक है, इसलिए मैंने उन्हें भी इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में लाया है। उनके लिए अनिवार्य बचत की योजना एक सामाजिक सुधार की योजना है सरकार के लिए ससंसाधन जमा करने की नहीं। धन को ५ वर्षों के बाद ४ प्रतिशत सूद के साथ लौटा दिया जायेगा। जमा राशि को कुर्की से बचाया जायेगा और यह जमा करने वालों की और उनके परिवारों की भारी आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में लाई जायेगी। इसलिए कम आय वालों को इस योजना का स्वागत करना चाहिये।

जब राष्ट्र को बचत की आदत पड़ जाये, तो भविष्य में समृद्धि की नींव पड़ जायेगी। बचत एक व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय गुण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं विधेयक की भावना और इसके उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं। मेरी कठिनाई संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२८) में करारोपण का कार्यक्षेत्र दिया गया है। और उसमें पूरी सूची दी गई है। किन्तु इस प्रकार का करारोपण उसमें नहीं है। हम देखते हैं कि यह न तो कर है और न अर्जन है। कहा जा सकता है कि यह एक अस्थाई अवधि के लिए आपातकालीन प्रयोजनों के लिए एक अर्जन है। किन्तु सम्पत्ति के अर्जन के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय मौजूद हैं। न्यायाधीश महाजन ने कहा है कि राज्य अपने राजस्व बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की सम्पम्त्ति का अर्जन नहीं कर सकता। यदि इसको अर्जन मान भी लिया जाये, तो उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा। किन्तु जब आप धन ही ले रहे हैं, तो इसका प्रतिकर कैसे दिया जायेगा? यह भूमि अर्जन या अधिग्रहण नहीं है। इस लिए प्रश्न यह है कि क्या इसे करारोपण प्रस्ताव कहा जा सकता है? मैं वित्त मन्त्री से कहूंगा कि इसे एक ऐसा कर समझा जाये, जो कि प्रतिदेय हो।

इसके बाद सर्वोपरि अधिकार का प्रश्न है, जिसके अन्तर्गत राज्य अर्जन कर सकता है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या धन को इस अधिकार के अन्तर्गत लिया जा सकता है। यह इसके अन्तर्गत भी नहीं आता। इसके अतिरिक्त, यदि इसे करारोपण प्रस्ताव समझा जाये, तो ग्रामीण और शहरी लोगों में विभेद नहीं किया जा सकता और कर का अनुपात दोनों पर बराबर होना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस विधेयक का नतीजा यह होगा कि यदि मैंने १० रुपये बचाये हैं, तो सरकार इनको लेना चाहती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार मेरी अचल सम्पत्ति को अर्जित करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इसे महान्यायवादी को निर्दिष्ट करना चाहिये।

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस विधेयक का औचित्य यह है कि इससे राज्य सरकारों को लाभ होगा। यदि ऐसा है तो इस विषय में राज्य सरकारों को विशेष विधान बनाना चाहिये। मेरे विचार में यह मामला ऐसा है जो कि उच्चतम न्यायालय में ले जाया जायेगा। इसलिए सरकार को कानूनी राय लेकर इसे पुनः प्रस्तुत करना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : जब तक हम वैधानिक स्थिति के बारे में पूरी तरह सन्तुष्ट न हो, क्योंकि इस विधेयक पर इसके पारित होने के बाद आपत्ति की जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** (खारगोन) : साधारण नागरिक निधि के अन्तर्गत, सरकार किसी व्यक्ति को रुपया जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

†**डा० मा० श्री अणे** : मैं समझता हूं कि संवैधानिक स्थिति यह है कि आप बिना प्रतिकर दिये दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति पर हाथ डाल रहे हैं। आप लोगों को अनिवार्य रूप से रुपया बचाने और सरकार के पास जमा कराने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आजादी पर आघात हुआ है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : इसमें किसी को सम्पत्ति से वंचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह केवल सरकार की सहायता करने की एक योजना है। किन्तु इसके दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध कठिनाई पैदा करते हैं। इसलिए यदि कानूनी सलाह ली जाये, तो कोई हानि नहीं होगी।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : मैं अनुभव करता हूं कि यह एक विशेष कर है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्री त्यागी ने जो प्रश्न उठाया है, वह नया नहीं है। मैं ने इस पर पहले ही विचार कर लिया था। हमने कानूनी सलाहकारों की सलाह भी ली है और हमारे पास कानूनी राय लेने की पूरी व्यवस्था है।

मैं मानता हूं कि यह करारोपण प्रस्ताव नहीं है। न ही इस के द्वारा कोई कर लगाया जा रहा है या सम्पत्ति या धन अर्जित किया जा रहा है। संविधान में भी अनिवार्य बचत की किसी योजना की विशेष व्यवस्था है। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि संविधान के अन्तर्गत ऐसा किया नहीं जा सकता। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची की मद २० और ३३ के अन्तर्गत आता है। किन्तु इन के अतिरिक्त इस विधेयक का विषय अनुच्छेद २४८ और मद ९७ के अन्तर्गत संसद् के अवशिष्ट अधिकारों के अधीन आता है। इसलिए संसद को ऐसा विधेयक पारित करने का पूरा अधिकार है। संसद् ने अनिवार्य भविष्य निधि भी लागू की है, जो कि अंशदायी होते हुए भी अनिवार्य है। अन्य क्षेत्रों में भी संसद् ने अविनार्य कर लगाये हैं। फिर यह भूमि राजस्व का भी प्रश्न नहीं है। इसे केवल माप दंड के रूप में लिया गया है। कृषकों से लिये गये ऋणों की आय राज्यों को जायेगी। यह नवीनतम प्रबन्ध है। संसद् को ऐसी विधि बनाने का पूरा अधिकार है।

यदि यह कहा जाता है कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद १९(१)(च) के अधीन सम्पत्ति को रखने या उस का निपटारा करने के अधिकार का अतिक्रमण करता है, तो अनुच्छेद १९ के उप-खण्ड (५) में भी कहा है कि उप-खण्ड (च) का उपबंध किसी विद्यमान निधि के प्रवर्तन को या राज्य को, सामान्य जनता के हितार्थ उक्त उपखण्ड द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई विधि बनाने को नहीं रोकेगा। और यह मामला लोक हित का है।

इस खण्ड के उपबंध संकटकाल में स्थगित रहते हैं। अतः इसे न्यायालय में ले जाने की बात की मुझे चिन्ता नहीं है। किन्तु इस के अतिरिक्त भी, मुझे संदेह नहीं कि हम संविधान के अनुकूल होने में इस मामले में हमारा पक्ष ठोस है और संसद् को यह विधि बनाने का हक है।

†**श्री बड़े** : यदि यह संकटकाल तक ही रहे तो ठीक है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री गजराज सिंह (गुड़गांव) : सांविधानिक कठिनाई इस अनिवार्य बचत की वसूली की है और फिर इसे अवशिष्ट भूमि राजस्व के रुप में वसूल किया जा सकता है। परन्तु केवल कर ही बकाया राशि के रुप में वसूल किये जा सकते हैं। भविष्य निधि नियम तो सेवा नियमों के अन्दर आते हैं। किन्तु यदि कोई भविषय निधि देने से इनकार कर दे, तो उस से वह अवशिष्ट राजस्व के रुप में नहीं लिया जा सकता। अतः इस बात का स्पष्टीकरण किया जाये कि यह बकाया राशि कसे वसूल की जायेगी।

†श्री मोरारजी देसाई : प्रस्तावना में कहा है :

"अनिवार्य जमा के लिये तथा उसके सम्बन्ध में योजना बनाने के लिये राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दृष्टि से उपबंध करने के लिये।"

अनुच्छेद ११० में, जो, धन विधेयक के लिये उपबंध करता है उपखण्ड १(१) में कहा है :

"'धन ऋण लेने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने, या सरकार द्वारा उठाये गये या उठाये जाने वाले किसी वित्तीय भार के सम्बन्ध में विधि का संशोधन।"

उपखण्ड १(च) में कहा है :

"भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के लिये धन प्राप्त करना।"

अतः इन सब का उस में उपबंध किया गया है।

†श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : वित्त मंत्री के कानूनी सलाहकार बड़े योग्य नहीं हैं, क्योंकि वह अवशिष्ट अनुच्छेद २४८ के आधार पर अपना तर्क दे रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यहां आलोचना मंत्रियों की हो सकती है, उनके कानूनी सलाहकारों की नहीं।

†श्री अ० प्र० जैन : प्रश्न यह है कि क्या अवशिष्ट मामलों में विधि बनाने की शक्ति में करारोपण की विधि शामिल है। अवशिष्ट शक्तियों में करारोपण शामिल नहीं है क्योंकि करारोपण की मदें संविधान में दी गई हैं।

यह विधि पांच वर्षों के लिये है, अतः संकटकालीन उपाय मात्र नहीं मानी जा सकती। सरकारी सम्पत्ति रखने पर प्रतिबंध तो लगा सकती है, परन्तु सम्पत्ति को छीन नहीं सकती। मुझे सम्पति के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय सरकार को वित्त जुटाने का तो हक है, परन्तु उसे जुटा कर राज्यों को सौंप देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। करारोपण की शक्तियों का कड़ा निर्वचन होना चाहिये, क्योंकि इन के ऊपर लोगों की सुरक्षा और कल्याण निभर करता है। राज्य अधिभार लगा सकते हैं, परन्तु राज्यों के लिये केन्द्रीय सरकार को अधिभार लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सर्वथा गैर कानूनी काम होगा। यदि केन्द्रीय सरकार अपने लिये राजस्व को उपाय मान कर लगाती है, तो मुझे आपत्ति नहीं, किन्तु राज्यों के लिये लगाने के प्रश्न पर मैं इस का विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान के प्रतिकूल है।

†श्री त्यागी (देहरादून) : सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी विधि शून्य होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : संकट काल में अनुच्छेद १९ के निलंबन की बात कही गई है। फिर निरोध के मामले में क्यों यह निलंबित नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न बात है। बहुत सी कानूनी बातें उठाई गई हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं इस विषय पर क्या निर्णय दूं। यदि मैं कोई निर्णय देता हूं तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतः मैं सभा के निर्णय पर इसे छोड़ता हूं। अतः प्रश्न यह है कि सभा को विधि बनाने का हक है। फिर न्यायालयों का काम होता है कि उसे सांविधानिक घोषित करें या असांविधानिक। हमेशा सभा में इस बात का फैसला अनिश्चित रहता है और अन्तिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है।

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं विधि मंत्री को उन का मत व्यक्त करने के लिये प्रार्थना कर सकता हूं। परन्तु आज तक किसी भी अध्यक्ष ने यह फैसला नहीं दिया कि आया कोई विधेयक संविधान के अन्तर्गत है या उसके प्रतिकूल। मैं अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हूं।

†**श्री त्यागी** : बेरुबाड़ी के मामले में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त किया गया था। आप वित्त मंत्री को इसे करारोपण विधि बनाने की सलाह दे सकते हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कानूनी परामर्श ले लिया जाये।

†**श्री अ० प्र० जैन** : महान्यायवादी का परामर्श प्राप्त किया जाये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां, महा न्यायवादी को बुलाया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : किन्तु वह तो समझते हैं कि कानूनी सलाहकार योग्य नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक अध्यक्ष ने महान्यायवादी का परामर्श प्राप्त नहीं किया। यदि सदस्य चाहें तो मैं विधि मंत्री को सलाह देने को कह सकता हूं। महान्यायवादी को सरकार ही बुलाती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : भूमि अधिग्रहण विधेयक के सम्बन्ध में आप ने सदस्यों की समिति बनाई थी और महान्यायवादी ने कुछ संशोधनों के सुझाव दिये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भिन्न बात थी। सभा इस विधेयक पर अग्रेतर विचार कर सकती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को अगले सत्र के पहले दिन तक मत प्राप्ति के लिये परिचालित किया जाये।

वेतन पाने वाले कर्मचारी इस विधेयक के विरुद्ध हैं। श्री त्यागी और श्री जैन ने सांविधानिक आपत्तियां उठाई हैं।

वित्त मंत्री ने इसे सभा पर थोपने का प्रयत्न किया है। भविष्य निधि का उदाहरण दिया गया है। किन्तु यह निधि सर्वथा स्वैच्छिक थी। अब इसे अनिवार्य बनाया गया है, किन्तु फिर भी यह अनिवार्य नहीं है।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये दो करोड़ रुपये दान दिये हैं, जिन में सब प्रकार के कार्मिक संघ शामिल हैं। अतः इस योजना को अनिवार्य करने की कोई आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

नहीं । वेतन आयोग तथा मजूरी बोर्डों ने भी कर्मचारियों के लिये निर्वाह योग्य मजूरी निश्चित की है । परन्तु १५ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी आज कर्मचारियों को इतना वेतन मिलता है कि उन को भूखे रहना पड़ता है । ऐसी अवस्था में कम वेतन पाने वाले लोगों के पास बचाने के लिये कुछ नहीं होता, जब कि उन को भविष्य निधि में भी धन जमा करवाना होता है । मध्यम वर्ग के कमचारियों पर कुछ न कुछ ऋण चढ़ा होता है । इस अनिवार्य बचत से उन का ऋण भार और बढ़ जायेगा । अतः उन पर ३ प्रतिशत की बचत लागू नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इस से उन की स्थिति और भी बिगड़ जायेगी ।

हम भविष्य निधि की दर को ६¹/₄ प्रतिशत से ८¹/₃ प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये बार बार कहते हैं । कुछ उद्योगों में तो ऐसा कर दिया गया है किन्तु सभी उद्योगों में ऐसा नहीं किया गया । यदि ऐसा कर दिया जाये तो काफी राशि सरकार के पास आ सकती है और बचत भी बढ़ सकती है ।

यह विधेयक गैर कानूनी है और इस से बड़ी हानि होगी । इस से सरकार के प्रति कर्मचारियों की सद्भावना समाप्त हो जाएगी । अतः उन के मामले में आय सीमा १५०० से बढ़ाकर ३६०० कर दी जानी चाहिये । छोटे दुकानदारों पर भी कर लगा दिया गया है, बड़े दुःख की बात है । लाखों करोड़ों लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिये बलिदान किया है, धन दिया है, और काम कर रहे हैं । उनको इस प्रकार के उपायों के द्वारा तंग नहीं करना चाहिये । लोगों को अपने परिवारों के लिये बचाना होता है । परन्तु जब वे स्वयं भूखे हैं तो कहां से बचायेंगे ? दूसरी ओर मिल मालिकों को चारों ओर से छूट दी जा रही है । इस विधेयक को जनमत के लिये परिचालित किया जाना चाहिये ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : स्वतंत्र पार्टी इस विधेयक के सर्वथा विरुद्ध है । इस को परिचालित किया जाना चाहिये । अधिकांश किसान बचत नहीं कर सकते ? क्योंकि वे अपना निर्वाह ही कठिनाई से करते हैं । किसान तो पहले ही ग्रस्त है और हमेशा उनका लगान बकाया रहता है । सरकार को उन पर यह अनिवार्य बचत योजना नहीं लगानी चाहिये । केवल भेद भाव न करने के नाम पर उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती लागू करना ठीक नहीं ।

वेतन पाने वाले लोगों पर ही यह अनिवार्य बचत योजना लगाई गई है । परन्तु १२५ रुपये मासिक वेतन वालों को मुक्ति दी गई है । कितना भेद भाव है कि किसानों को जिनकी मासिक आय १२५ रुपये तक नहीं, उन पर भी बचत योजना लागू है, जब कि कर्मचारियों पर नहीं । औद्योगिक कर्मचारी , छोटे किसान और कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारी ऋणग्रस्त हैं । और उनको भारी ब्याज देना पड़ता है । किंतु किसानों की अवस्था सब से बुरी है । वे स्थानीय महाजन की दया पर होते हैं । उन का लगान भी बढ़ा दिया जाता है और बेचारे विवश होते हैं सब दृष्टियों से ।

लगान के बढ़ जाने के कारण किसान देने में भी असमर्थ हैं । उन के ऊपर सभी प्रकार के भार पड़ रहे हैं । अतः उन पर यह भारी बचत योजना लगाने से उनकी कमर टूट जाएगी । क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि यह केवल संकट काल में ही रहेगी? संकट काल में भी ऐसे भार लादने की कोई सीमा होनी चाहिये । जब किसान लोग इस के विरुद्ध खड़े होंगे, तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा): इस योजना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

केन्द्र ने पिछले युद्ध में आयकर देने वाले वर्गों पर अनिवार्य बचत लागू करने की बात कही थी। परन्तु यहां वित्त मंत्री उन लोगों पर भी लागू करना चाहते हैं जो आयकर नहीं देते। इस में कुछ सुधार किया गया है, किंतु और अधिक सुधार की गुंजाइश है।

गांवों की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है, किंतु इतना नहीं कि वे लोग इस बचत योजना में धन दे सकें। ग्रामीण जनता ऋण ग्रस्त है। और ऋण लौटाने में समर्थ नहीं है। अतः माननीय मंत्री को यथार्थ रूप को देखते हुए छूट की सीमा को बढ़ा देना चाहिए ताकि निर्धन जनता इस बचत से छूट जाए।

जो लोग भविष्य निधि में धन जमा कराते हैं, उन पर भी अनिवार्य बचत योजना लागू नहीं होनी चाहिये। मैंने कहा है कि ४२०० रुपये तक आय वाले लोगों को आय कर से मुक्त कर देना चाहिये। किंतु वह बात नहीं मानी गई। अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वह इस वर्ग के लोगों को अनिवार्य बचत योजना से मुक्त रखे।

माननीय मंत्री कहते हैं कि १२५ रुपये कमाने वाले को बचाना चाहिये। परन्तु इस बचत का उद्देश्य प्रतिरक्षा को मजबूत करना और मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। जब उस व्यक्ति को इतनी अधिक राशि बचत में देनी पड़ेगी तो वह अपना जीवन स्तर कैसे उठा सकेगा? आज लोगों को हर चीज की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है क्योंकि सरकार ने व्यवस्था नहीं कर रखी। अतः जो राशि उसे बचत में देनी पड़ेगी, उसके कारण वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित रहेगा। अतः मैं वित मंत्री से कहूंगी कि इस वर्ग के लोगों को छूट दी जानी चाहिये। अन्यथा समाज पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रश्न पर बड़ी संवैधानिक चर्चा उठी है। उन के तर्कों में काफी जोर है। यदि माननीय मंत्री इसे संकट कालीन उपाय के रूप में लाते, तो यह भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्दर आ जाता। इसे न्यायालयों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। मैं यह अपील करूंगा कि इस विधेयक के विधि का रूप धारण करने से पहले, उन सब लोगों को इस से छूट मिलनी चाहिये, जिनकी आय कम है और जो बचत करने के योग्य नहीं हैं।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली): इस विधेयक के बारे में उठाई गई वैधानिक बातों पर विधि मंत्री और बाद में न्यायालय विचार करेगा। वित्त मंत्री के इस तर्क से मुझे आश्चर्य हुआ कि क्योंकि आजकल जनसाधारण संकटकाल के कारण अनुच्छेद १९ का सहारा नहीं ले सकते, वह इसे पारित कर लेंगे।

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैं ने यह नहीं कहा।

†**श्री प्रभातकार**: उन्होंने यही कहा था कि वे न्यायालय में नहीं जा सकते।

†**श्री मोरारजी देसाई**: यह भी संबंधित मत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: कोई भी किसी को न्यायालय में जाने से नहीं रोक सकता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री प्रभातकार** : किसी से भी यह कहना कि आजकल संकट है, अतः इसे नहीं लिया जा सकता और इसलिए हमें वैधानिक बातों पर विचार नहीं करना चाहिये, कोई तर्क नहीं है। यदि उन के दिमाग में यह बात न थी तो अनुच्छेद १९ का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी।

इस विधेयक पर अब तक कुल तीन व्यक्ति बोले हैं और उन्होंने इस से भिन्न आयवर्ग पर पड़ने वाले भार का उल्लेख किया है। और उन लोगों के लिये छूट की मांग की। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने अधिलाभ कर के मामले में उद्योगपतियों को इस कारण छूट दी है कि कुशलता कम न हो, मैं समझता हूं कि उनके लिए यह भी आवश्यक है कि धनोपार्जन करने और उद्योग चलाने वालों की कुशलता कम न हो। क्योंकि यह बात तो स्वीकृत है कि सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी संस्था के कर्मचारी हों, अपने भरण पोषण के लायक भी मंजूरी नहीं मिलती है। फिर, मजूरी या वेतन का कुछ भाग कर या अनिवार्य बचत के रूप में लिया जा रहा है। जिस से उसकी कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। और उस से उद्योग की प्रगति भी रुकेगी। फिर आयव्ययक प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था कि वह इस मद में से ६० से ७० करोड़ रु० प्राप्त करने की आशा करते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि आय इस से कहीं अधिक होगी। अतः मेरा निवेदन है कि वह इस दृष्टि से इस पर विचार करें कि आशातीत राशि से जितनी अधिक प्राप्ति हो, उतनी दलित व्यक्तियों को छूट दें।

मालगुजारी देने वाले कृषकों के बारे में कहा गया है कि कुछ राज्यों में अधिभार है जो उन्हें देने पड़ते हैं। अतः यदि उन से मालगुजारी की आधी राशि देने को कहा जाता है, तो यह बड़ा अन्याय होगा। अतः मेरा निवेदन है कि १५ या २० रुपये मालगुजारी देने वाले कृषकों को कुछ छूट दी जाये। मैं देखता हूं कि १९५९-६० में सभी राज्यों की मालगुजारी ९५.१५ करोड़ रुपये थी जिसका ५० प्रतिशत ४७.६ करोड़ रु० होता है। मंत्री महोदय की आशा ६०--७० करोड़ रु० की है। जिन लोगों को छूट दी गई है, उन्हें छोड़कर यह राशि ३-४ करोड़ रु० कम होगी अर्थात् लगभग ४१ करोड़ रुपये होगी। इसी प्रकार, करदाताओं की संख्या लगभग ८,२७,००० है और इन से इस योजना से लगभग १७ करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है जबकि वे कुल १४.९२ करोड़ रु० देते हैं। फिर नगरों में आयकर न देने वाले मकान मालिकों का वर्ग है। वे भी २२.६० करोड़ रु० देंगे। ग्रामीण गैर-किसान भी ८ ८० करोड़ रु० देंगे। अतः इन आंकड़ों से पता लगता है कि यह कुल राशि १०१ करोड़ रु० होगी जब कि मंत्री महोदय की आशा केवल ६०-७० करोड़ रु० की है। अतः जनसाधारण को छूट देने की पर्याप्त गुन्जाइश है।

आज श्रम जीवी वर्ग तथा मध्य वर्ग ने अभ्यावेदन किया है। कि वे पूर्णतया निराश हैं क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी तो दबाव डाल सके और रियायत ले ली। परन्तु मध्य वर्ग के लोगों के लिए कोई भी रियायत प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री उन के मामले पर तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री को यह महसूस करना चाहिये कि १२० रु० में से ४ रु० देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्हें अपना बजट कम करना होगा और कोई अति अनिवार्य वस्तु छोड़नी होगी। क्योंकि प्राप्ति उस से दुगुनी होने की संभावना है जो वित्त मंत्री ने सभा को बताई, इसलिए इन लोगों को कुछ रियायत दी जा सकती है ताकि इनकी कार्य कुशलता पर कोई प्रभाव न पड़े।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं आभारी हूं कि आपने मुझे संवैधानिक आवश्यकताओं की दृष्टि से इस विधेयक की मान्यता निर्धारित करने में सभा की सहायता करूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यही सही है कि अनुच्छेद ३५८ के अन्तर्गत मूल अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद १९ निलम्बित हो जाता है, परन्तु इसका कोई संबंध नहीं है। मैं श्री प्रभातकार से सहमत हूं हम ने अनुच्छेद ३५८ का, प्रतिरक्षा तथा संकट कालीन उपायों को छोड़ कर, कभी सहारा नहीं लिया है। आपात उद्घोषणा के होते हुए भी, प्रत्येक विधान की यहां पेश किये जाने से पहिले संवैधानिक दृष्टि से जांच होती है और क्य। मैं यह कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो, हम ऐसा ही करेंगे, जब तक कि कोई अधिक ही विपत्ति हम पर न आ जाये। क्योंकि कुछ भी सही सरकार की सामान्य व्यवस्था अब भी कार्य कर रही है।

यह तनिक आपातकालीन विधान नहीं है। माननीय सदस्य क्या अनुच्छेद ३९, विशेषकर खण्ड (ख) और (ग) की ओर ध्यान देंगे जिन में उल्लेख है :

"राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेग। कि सुनिश्चित रूप से —

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिस से सामूहिक हित क। सर्वोत्तम रूप से स।धन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्व-साधारण के लिए अहितकारी केंद्रण, न हो ;"

इससे राष्ट्र की कुल आवश्यकताओं का आयोजन, नियन्त्रण करने और उनका इस प्रकार प्रयोग करने के लिए समूहन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि सामूहिक हित प्राप्त हो। यही कारण है कि राष्ट्र के संसाधनों का समूहन करने के लिये इतनी कार्यवाही की गई है। अनिवार्य जमा की योजना उस कार्य के लिए की गई केवल एक कार्यवाही है। यह बात और है कि कोई योजना उचित है या नहीं और यह तनिक भी सवैंधानिक प्रश्न नहीं है। परन्तु हमारी योजना-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र के संसाधनों के समूहन की आवश्यकता के लिए केवल संविधान की ही मान्यता नहीं है अपितु एक ऐसा मामल। है जो हमें संविधान के निदेशक तत्वों के अधीन करना है। मैं नहीं समझता कि अनिवार्य बचत का उद्देश्य पर, राष्ट्र के संसाधनों का फलदायक रूप में समूहन करने के साधन-स्वरूप, किसी को शंका होगी। वास्तव में यह बहुत ही ठोस उपाय है और राष्ट्र की बचत बढ़ाने का एकमात्र साधन है ताकि विनियोग और अधिक हो सके। अतः प्रश्न यह है कि क्या इस बात का ध्यान रख कर कि यह पूर्णतया संविधान के अनुकूल है, केन्द्र को अधिकार है या संसद् को अधिकार है कि आवश्यक विधान स्वीकार करे। यह बात हमारा ध्यान सूची १ की सातवीं अनुसूची की ओर आकर्षित करती है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इसके लिए केन्द्र को पर्याप्त अधिकार हैं। मैं प्रविष्टि २० और २३ का उल्लेख करता हूं जो इस कार्य के लिये संगत है। प्रविष्टि २० का सम्बन्ध आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन से है और प्रविष्ठ २३ का संबंध सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, रोजगार और बेकारी से है। मैं समवर्ती सूची का उल्लेख कर रहा हूं। अधिक सम्बन्धित प्रविष्टि आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन की है पूरी तरह व्यापक है। निश्चय ही और बुद्धिमानी से हमने आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन की मदों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन सर्वथा व्यापक है।

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि यह विधान-विशेष आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन के अन्तर्गत नहीं आता है, तो यह अवशिष्ट खण्ड के अन्तर्गत आ जाता है जिसमें उल्लेख है कि संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्यशक्ति है : मेरा अपना विचार है कि यह आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन की प्रविष्टि के अन्तर्गत आ जाता है। यदि नहीं भी आता, तो यह अनुच्छेद २४८

[श्री अ० कु० सेन]

के अन्तर्गत पूरी तरह आ जायेगा। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिकता का प्रश्न सारगर्भित नहीं है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या माननीय मंत्री इसे कर मानते हैं ? क्या इसका सम्बन्ध उस उपबन्ध से है जिसमें उल्लेख है कि ऐसी शक्तियों में ऐसी कोई भी विधि बनाने की शक्ति शामिल है जिससे किसी भी सूची में अनौल्लिखित कर लगाया जाये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : यह कर नहीं है। यह कर कैसे हो सकता है ?

†**श्री त्यागी** : फिर, यह क्या है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह व्यक्ति पर अपनी आय व्यय करने पर प्रतिबन्ध है।

†**श्री पु०र० पटेल** (पाटन) : यह उनकी अपनी आय है। यह घाटे का बजट बन जाता है। मान लीजिये कि एक कृषक की आय १५० रु० है और उसकी हानि ५० रु० की है तो संसाधनों की क्या बात है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इसका सम्बन्ध विशेषताओं से है। इसका आधार संवैधानिक नहीं अपितु गुण हैं। यह कर सम्बन्धी विधान नहीं है। श्री त्यागी का यह कहना ठीक था कि यह कर विधान नहीं है। वास्तव में यह व्यक्ति की अपनी आय को मनमाने ढंग से व्यय करने पर रोक है। उसे अपनी आय का एक मुख्य भाग एक ओर रखना है।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री का अर्थ है कि "आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन" की प्रविष्टि के अन्तर्गत कोई कर विधान आ सकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वह आ सकता है, परन्तु उस पर कराधान प्रविष्टि अवश्य लागू होती हो, क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रविष्टियां हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि सूची १ में संघ का कराधान करने की शक्ति का उपबन्ध है और इसमें कराधान की अवशिष्ट शक्ति भी शामिल है। यह मामला ही भिन्न है। यदि यह कराधान सम्बन्धी विधान होता तो मैं उन प्रविष्टियों का सहारा लेता, परन्तु यह कराधान का मामला नहीं है। यह व्यक्ति को अपनी आय व्यय करने से रोकता है। अर्थात्, मेरी आय से, मुझे मनमाने ढंग से व्यय करने का अधिकार होना चाहिये। परन्तु यह व्यय करने के उस अधिकार पर प्रतिबन्ध है, ताकि मैं विधेयक के खण्ड ४ के अन्तर्गत अपनी आय का एक भाग विशेष अलग करके ही व्यय करूं।

अतः यह माना जाता है कि यह कराधान विधान नहीं है। अतः यह विधान आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन के होना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा था कि संविधान के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए उपबन्ध करने की पर्याप्त शक्ति है।

फिर आपका अपना निश्चय है और आपके पूर्णगामी का निश्चय है कि ऐसे मामलों पर दोनों ओर के तर्क सुनकर यह निश्चय करना सभा का काम है ताकि शक्ति का निश्चय किया जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसी कारण उनकी सलाह चाहता था ताकि अन्त में सभा इस बारे में अपना निश्चय कर सके।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० कु० सेन : आपने और आपके पूर्वगामी ने सदैव यही किया है ताकि यदि इस पर मतविभाजन हो तो सभा विधेयक की मान्यता पर मतदान कर सके जिस पर आपत्ति की जाती है। अध्यक्ष महोदय के निश्चय से पहिले, सभा की इस विधान की शक्ति पर जिस पर आपत्ति की गई हो, अध्यक्ष महोदय के निश्चय से पहिले सभा की सहायता की जाती है। अतः मेरा मत यही है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यदि विधि मंत्री यह तर्क देते कि संकट के कारण अनुच्छेद १९ निलम्बित कर दिया गया है तो मैं समझ सकता था। परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि सभी मूल अधिकार सुरक्षित हैं और कुछ विशेष कारणों को छोड़कर सरकार उन्हें समाप्त नहीं करेगी। मुझे तो यह सब एक षड़यंत्र ही लगता है। उन्होंने जो भी कहा उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ।

विधि मंत्री ने अनुच्छेद ३९ का उल्लेख किया है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का एक अंग है। परन्तु मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व में एक प्रकार का अन्तर है और यदि इन दोनों में विरोध भी हो तो भी मूल अधिकार पहिले आते हैं।

माननीय विधि मंत्री ने तर्क दिया है कि अभी हम उस अधिकार पर रोक लगा रहे हैं जिसकी गारन्टी संविधान के अनुच्छेद १९ में दी गई है। परन्तु यह बड़ी ही पक्की रोक है। यह एक ऐसी रोक है जिससे जनता से कहा जाता है कि वह एक विशेष ढंग से कार्यवाही करे, अर्थात्, अपनी आय का कुछ भाग अलग उठा कर रख दे और सरकार उसकी देखभाल करे। यह केवल एक रोक ही नहीं है, अपितु ऐसी बात है जो रचनात्मक है जिसे केवल "रोक" ही नहीं कहा जा सकता। यह बहुत ही महत्व की बात है। यद्यपि मैंने माननीय विधि मंत्री को आरम्भ से नहीं सुना, फिर भी स्पष्ट रूप में उनका तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आपका काम है तो आप इसे किस प्रकार निश्चय करें।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने निश्चय कर लिया है। पहिली आपत्ति यह की गई है कि यह सम्पत्ति का बिना प्रति कर के आवंटन करना है। दूसरी बात यह है कि कर प्रस्ताव नहीं है। शायद इसे सभी ने स्वीकार किया है। फिर, यह भी आपत्ति है कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा मूल अधिकारों में हस्तक्षेप है। मेरा ख्याल है कि विधि मंत्री ने पहिले निदेशकतत्वों का उल्लेख किया था। इन्हीं के आधार पर सरकार की नीतियां बनती हैं। परन्तु यदि कोई विधेयक पेश होता है तो उसकी जांच गुणों पर होगी कि क्या वह वास्तव में संविधान का उल्लंघन करता है। केवल यह उपबन्ध होने से कि राज्य अपनी नीति अमुक ढंग से बनायेगी, यदि विधेयक उस नीति के प्रति निर्दिष्ट होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह संविधान के विरुद्ध है।

†श्री अ० कु० सेन : श्रीमान्, मैंने यह नहीं कहा।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने निदेशकतत्वों तथा अनुसूची में प्रविष्टियों का उल्लेख किया। प्रविष्टयां तो केवल उन विषयों का विभाजनमात्र हैं जो केन्द्र के क्षेत्राधिकार में हैं या राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं या समवर्ती विषय हैं। यदि इन्हीं के बारे में या अवशिष्ट शक्तियों के बारे में विवाद है तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु जहां आपत्ति यह है कि यह संविधान के ही विरुद्ध है, तो सलाह यह होनी चाहिये कि क्या उन उपबन्धों का उल्लंघन करता है या नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि वह इस पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंडसौर) : इस विधेयक का खण्ड ९ इस अधिनियम की सनूची कार्यान्विति पर लागू होता है। इसमें उल्लेख है कि आपको सम्पत्ति से वंचित कर दिया जायेगा और इस पर संविधान का अनुच्छेद ३१ लागू होता है। यह प्रतिकर दिये बिना ही सम्पत्ति से वंचित करना है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस बात की भी जांच की जाये कि खण्ड ९ को रखना उचित है।

†**श्री त्यागी** : एक और बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये। प्रयोग पर प्रतिबन्ध से सरकार को अधिकार में लेने का प्राधिकार नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि वह प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं, वह उसे बेच नहीं सकते यदि वे इससे अपने पास रखते और दिखाते कि यह उनके अधिकार में है तो मैं समझ सकता था। इस समय अधिकार-रहित होना प्रयोग पर रोक लगाना नहीं है।

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं था कि मूल अधिकारों की केवल इस कारण उपेक्षा की जा सकती है कि निदेशक तत्व है। इनका उल्लेख करने का मेरा अभिप्राय केवल यह था कि जब हम यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि कोई रोक उचित है या नहीं तो यह दिखाने के लिए बार बार निदेशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है कि विशेष रोक उचित है क्योंकि यह निदेशक तत्वों को पूरा करती है और उन्हें लागू करती है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह पता लगाने के लिए निदेशक तत्वों का सहारा लिया है कि रोक-विशेष उचित थी या नहीं, क्योंकि निदेशक तत्व को लागू करने के लिए जो रोक लगाई जाती है वह निश्चय ही सामान्य भलाई के लिए होती है निश्चय ही उसे उचित माना जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है। इसी कारण मैं ने निदेशक तत्वों की तथा आर्थिक और सामाजिक-आयोजन आवश्यकता का उल्लेख किया था परन्तु इतने पर भी यदि मूल अधिकार लागू होते और निलम्बित होते, तो हमें अनुच्छेद १९ की आवश्यकता अवश्य पूरी करनी चाहिये, उसका विरोध नहीं करना चाहिये। परन्तु अनुच्छेद १९ का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करके निश्चय करना होगा कि अमुक प्रतिबन्ध उचित है या नहीं, क्योंकि अनुच्छेद १९ (५) यही है।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : क्या आपका मत यह है कि यह उचित है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : निश्चय ही, यह उचित है। यही कारण है कि मैंने आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन का और निदेशक तत्वों का उल्लेख किया। यह उचित है या नहीं और बात है, परन्तु निदेशक तत्वों तथा आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था यह सिद्ध करूं कि यह उचित है।

श्री त्यागी ने अनुच्छेद १९(५) का उल्लेख ठीक ही किया था क्योंकि उनके अनुसार यह रोक उचित न थी और पुन: उनके अनुसार यह उन अधिकारों पर प्रभाव डालती है जिनका आश्वासन सम्पत्ति अर्जन, रखने तथा बेचने के लिए अनुच्छेद १९ में दिया है। उन्होंने अनुच्छेद १९ के खण्ड ५ का उल्लेख करके कहा था कि यह प्रतिबन्ध उचित नहीं है और लोक हित के लिए नहीं है। उनका विधेयक का विरोध यह था। निदेशक तत्व दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि यह प्रतिबन्ध उचित है और लोक हित में है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्यागी** : प्रतिबन्ध का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को उसका प्रयोग करन से रोकना, परन्तु उससे लेना नहीं है।

†**श्री अ० कु० सेन** : श्री त्यागी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद १९ (५) में उल्लेखनुसार उचित प्रतिबन्ध लगाना सामान्य लोकहित में नहीं है। मैंने यह पहिले नहीं देखा था, परन्तु अब वे कहते हैं यह प्रतिबन्ध तो है ही नहीं। यदि यह प्रतिबन्ध नहीं है, तो अनुच्छेद १९ लागू ही नहीं होता। अनुच्छद १९ तो इसके प्रतिबन्धित होन पर ही लागू होता है। उनके अनुसार, यह हाथ में लेना है, यह किसी की सम्पत्ति का पूर्ण अर्जन है, क्योंकि यह कहता है कि उसे अपनी बचत अमुक स्थान पर रखनी है, अपने नियन्त्रण में नहीं रखनी है। यह पूर्ण अर्जन है या नहीं, ऐसा मामला है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने निश्चय कर दिया है कि सम्पत्ति का अर्जन या वंचन किससे होता है। अर्थात्, उच्चतम न्यायालय क अनुसार इसका अर्थ है सम्पत्ति में स्वामी के सभी अधिकारों तथा हितों का समाप्त होना। प्रतिबन्ध वहां होता है जहां अधिकार, स्वामित्व और हित मालिक का रहता है परन्तु वेचने व प्रयोग करने के अधिकार पर रोक होती है। अतः इस विधान विशेष की परीक्षा इस उद्देश्य से करनी होगी कि क्या यह स्वामी के स्वामित्व तथा हित के सभी अधिकार प्राप्त करने का उपवन्ध करता है या सम्पत्ति के उपभोक्ता पर रोक लगाता है।

मेरा विचार है कि उपबन्ध स्पष्ट है। व्यक्ति के स्वामी होने पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह मालिक की ही रहती है। यह एक विशेष अवधि बीतने पर मालिक को लौटा दी जाती है। केवल वात यह है कि उसे कोई व्याज नहीं मिलेगा। यह बात और है। उसे इस अवधि में इसे बेचने, और मनवांछित स्थान पर रखने का अधिकार न होगा। उसे यह अधिनियम के अनुसार रखनी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इफी प्रकार यह कहिये कि उसका प्रयोग अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए निलम्बित कर दिया जाता है।

†**श्री अ० कु० सेन** : हां, और इसके उपभोक्ता पर विशेष रूप में प्रतिबन्ध लग जाता है। अतः यह प्रश्न अर्जन का नहीं, अपितु मालिक पर प्रतिबन्ध लगान का प्रश्न है जो सम्पत्ति बेचने, या प्रयोग करने या उपभोग करने के लिए उसी प्रकार मालिक बना रहता है जैसे मालिक प्रतिबन्धों के होते हुए रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह मालिक के उन अधिकारों पर प्रतिबन्ध का मामला है जैसा कि अनुच्छेद १९ में उल्लेख है, जिनका संबंध सम्पत्ति का अर्जन, रखना तथा वेचने से है। वह उसे अवधि विशेष में बेच नहीं सकता, उसे मन चाहे ढंग से रख नहीं सकता। जिसमें उसे अपनी आय का एक भाग अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अतः मैंने ठीक कहा था कि यह चाहे उचित रोक है या नहीं। मेरा यह कहना है कि यह उचित रोक है और लोकहित में है, जो अधिक प्रभावी आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन के लिए है।

†**कुछ माननीय सदस्य उठे—**

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार मतभेद जारी रखना उचित नहीं है। माननीय सदस्य वे सारी बातें कह दें जो वे अपने भाषणों में कहना चाहते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय विधि मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यह करारोपण संबन्धी विधेयक नहीं है। मुझे उनसे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जब यह करारोपण विधेयक नहीं है तो क्या है क्योंकि एक व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति या तो करारोपण द्वारा ली जा सकती है अथवा अर्जित की जा सकती है। उन्होंने अनुच्छेद १९ के खण्ड ५ का उल्लेख इस संबंध में किया है। मैं उनका ध्यान 'निर्बन्धन' शब्द की ओर दिलाना चाहता हूं। 'निर्बन्धन' शब्द का अर्थ है यह न करो, वह न करो। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि वित्त मंत्री मुझे मेरा धन मेरी इच्छानुसार व्यय करने से रोक कर स्वयं उसको व्यय करे।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि किसानों से अनिवार्यतः जमा कराया गया धन राज्यों को दे दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री को राज्यों ने कर उगाह कर देने वाला एजेन्ट कब से नियुक्त किया। उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

यह भी उसी प्रकार है जिस प्रकार अनिवार्य भविष्य निधि अनिवार्य बीमा निधि आदि है। परन्तु वह निधियां तो व्यक्ति के लाभ के लिए थी। परन्तु यह व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात की ओर उनका ध्यान और दिलाऊंगा। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पर लगान अधिक हैं तथा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कम हैं। इस प्रकार जिन राज्यों में लगान की दरें ज्यादा हैं उनके किसानों को इसके अधीन अधिक देना पड़ेगा जबकि जिन राज्यों में लगान की दर कम हैं उनके किसानों को कम देना होगा। इस कानून में यह भी खराबी है।

वित्त मंत्री ने यह व्यवस्था की है कि ५ रुपये लगान देने वाले को छूट दे दी जाय परन्तु यदि वह नगर तथा ग्राम की दरों में तुलना करें तो उनको मालूम होगा कि इनमें बड़ा अन्तर है। नगर में ३००० रुपये वार्षिक की आय वाले व्यक्तियों को धन जमा नहीं कराना पड़ेगा परन्तु गांवों में उन व्यक्तियों जिनकी आय १०० रुपये मासिक है इस योजना में धन जमा कराना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस योजना को किसानों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु यदि वित्त मंत्री इसको लाना ही चाहते हैं तो कृपा करके हमें अटोरनी जनरल की राय को सभा में इसके संबंध में सुनने का अवसर दें।

†**श्री सचीन्द्र चौधरी** (घाटल) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। मैं इसको ठीक समझता हूं। मेरे मित्र श्री प्रभातकार ने बताया कि ४४ करोड़ व्यक्तियों में से केवल ८ लाख व्यक्ति आयकर देते हैं। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि देश के प्रशासन का भार केवल ८ लाख आयकर देने वाले व्यक्तियों पर ही पड़े। हमें तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि देश में सभी नागरिकों पर यह भार पड़े और सभी यह समझें कि देश के विकास में उनका भी सहयोग है। मैं इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड को स्वीकार करता हूं।

संविधानिक दृष्टि से आप बता चुके हैं कि यह विधेयक ठीक है तथा यह धन ऋण के रूप में लिया जा रहा है। यह भी कहा गया कि अनुच्छेद १९ का इससे उल्लंघन होता है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि धन जमा हो जाने पर सम्पत्ति समाप्त हो जाती है और

†मूल अंग्रेजी में

इसी कारण अनुच्छेद १९ के अधीन यह नहीं आता है। यह भी बताया गया कि अनुच्छेद ३१ के अधीन किसी व्यक्ति का धन का भी प्राधिकार से लिया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा यही अधिकार ले लिया जा रहा है।

मैं इस विधेयक को पूर्णतः संवैधानिक मानता हूं तथा इसको किसी व्यक्ति पर निर्बन्धन नहीं मानता हूं। यह तो देश का विकास करने के लिए व्यय होगा इसलिए यह निर्बन्धन युक्तियुक्त है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धरवाड़—उत्तर) : मैं आपका ध्यान शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। इसका प्रबन्ध संघ सरकार ने अपने हाथ में लिया और अंशधारियों ने मुकदमा दायर कर दिया। माननीय न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद १९ तथा ३१ का उल्लंघन नहीं होता है।

यह विधेयक देश की आपातकाल की प्रतिरक्षा तथा विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं समझती हूं कि जनता धन देने से इन्कार नहीं करती परन्तु वह यह तो अवश्य चाहती है कि उसके धन का उचित उपयोग हो। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वित्त मंत्रालय ने ११८ करोड़ रुपये का कम प्राक्कलन किया था। यद्यपि माननीय मंत्री इसके कारण बता चुके हैं परन्तु उनको यह कारण वर्ष के अन्त तक नहीं बताये गये थे।

लेखापरीक्षण का (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन देखिये। उसमें बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में ३० करोड़ रुपये की पूंजी की तथा ७० करोड़ रुपये के ऋण की १५ सरकारी निगमे हैं। परन्तु इतनी विनियोजन होने पर भी लाभ केवल २.७९ करोड़ रुपये का हुआ है। ४६ सरकारी समवायों में १५६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है परन्तु २५ समवायों ने केवल १.७९ करोड़ रुपये का लाभांश दिखाया है। हमें इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे नागरिकों को यह संतोष हो कि उनके धन का उचित प्रयोग हो रहा है।

अनिवार्य जमा योजना के द्वारा देश की सभी जनता को अपना धन इसमें जमा कराना होगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके वह ५ रुपये लगान देने वाले व्यक्तियों के स्थान पर १५ रुपये लगान देने वाले व्यक्तियों पर अनिवार्य जमा योजना लागू करें। मैं समझती हूं कि ऐसा करने से जनता में यह भावना नहीं रहेगी कि उनका उत्पीड़न हो रहा है।

पहली योजना में हमने ५३८ करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का। दूसरी योजना में ७११ करोड़ रुपये का तथा तीसरी योजना के १८ महीनों में २०० करोड़ रुपये का आयात किया था। मैं समझती हूं कि किसानों को उचित सुविधायें नहीं दी गई जिससे वह अपना उत्पादन बढ़ा सकें तथा यदि अब उनसे धन अनिवार्यतः लिया जायेगा तो उनको और अधिक कठिनाई होगी। मैं समझती हूं कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी जनता को इसमें धन जमा करना बड़ा कठिन पड़ेगा। इसी लिए माननीय मंत्री कृपा करके इन बातों पर विचार करें और जनता की ओर ध्यान दें।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो यह कम्पल्सरी डिपाजिट स्कीम आई है उस के सम्बन्ध में काश्तकारों के लिये यह प्राविजन है कि उन को लैंड रेवन्यू का ५० परसेन्ट डिपाजिट करना पड़े गा । सुपर प्राफिट टैक्स के बारे में काफी हल्ला हुआ । उस हल्ले के बाद जितने पूंजापति थे उन्होंने तो बहुत से मैं पैम्फलेट्स वगैरह निकाल कर शासन पर अपना प्रेशर डाला लेकिन किसान बेचारों के पास कोई आवाज नहीं थी, इस लिये वे लोग हमारे मंत्री महोदय पर कोई प्रेशर नहीं डाल सके । जब हाउस के अन्दर बहुत हल्ला हुआ सरकार ने यह कर दिया कि जो लोग ५ रु० से कम लैंड रेवेन्यू साल में देते हैं उन को एग्जम्शन दे दिया । एक बच्चा रो रहा था । तब उस की मां ने क्या किया कि उस का एक अंगूठा उस के मुंह में दे दिया । इस पर बच्चा रोते रोते चुप हो गया और सोचा कि शायद उसे कुछ खाने को मिलेगा और उस की भूख का समाधान हो जायगा । जिस प्रकार से उस माता ने बच्चे के मुंह में अंगूठा दे दिया था उसी प्रकार से हमारे मंत्री जी ने ५ परसेन्ट का एग्जेम्शन दे दिया है ।

वस्तुतः किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उस के सम्बन्ध में किसानों के अन्दर यह भावना है कि इस के बजाय तो जजिया कर लगा देना चाहिये । जिस प्रकार से औरंगजेब बादशाह ने जजिया कर लगाया था और हर एक हिन्दू को १ रु० देना पड़ता था, वह इतिहास के हर विद्यार्थी को पता है। एक रुपय की कीमत ५ रुपय हो गई है। ४५ करोड़ लोग इस देश में बसते हैं और हर एक के पीछे पांच, रुपया भी लगा देंगे तो २०० करोड़ रुपया आप को आसानी से मिल जायगा । इस प्रकार का टैक्स लगाने से किसानों में बड़ा असन्तोष है। दरअसल पूछा जाय तो यह जो ५ रुपये से ज्यादा लगान देने वालों पर यह टैक्स लगेगा अर्थात् ५ रुपय और ७५ नये पैसे जो लैंड रैवेन्यु देता है उस पर यह लागू होगा तो क्या वह गरीब काश्तकार इस से ओवर टैक्सेबुल नहीं हो जायेंगे ? उन के पास क्या वाकई इतनी इनकम आती है कि वह इस अतिरिक्त बोझ को बर्दाश्त कर सकें ? आज वास्तविकता तो यह है कि किसान पहले ही कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है । उसको पैसेंजर्स टैक्स देना पड़ता है, पंचायत टैक्स देना पड़ता है और फिर उसकी तकाबी रहती है । तकाबी के काफ़ी एरियर्स रहते हैं । तकाबी के बाद में लैंड रैवेन्यु का काफी एरियर्स पड़ा रहता है । उसके ऊपर काफ़ी कर्जा पहले से ही लदा होता है। शैड्यूल्ड एरियाज़ और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट में साफ़ तौर से कहा गया है कि किसानों की इनडेटेडनस काफ़ी बढ़ गयी हैं वे कर्जे के बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। उस में ऐसा लिखा हुआ है :—

> "समस्या बहुत बड़ी है प्रायः ऋण का भार बाप से बेटे तथा पोते पर पड़ता है आदिम जातियों का ऋण दाता ही सहारा होता है । वह उस पर इतना विश्वास करते हैं जिस को देख कर आश्चर्य होता है । इसका कारण यह मालूम होता है वह उनको आवश्यकता होने पर तुरंत ऋण देता है

किसान अथवा काश्तकार का कर्जा पिता से बेटे तक चलता है वह सभी जिन्दगी कर्ज में ही रहता है । ऐसी स्थिति होते हुए उस के पास इस कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत पैसा जमा करने के वास्ते कहां से आयेगा ? उसकी आमदनी ही कितनी है जिस में से कि वह डिपाज़िट में पैसा दे सकेगा ? सरकार आज जो गरीब किसानों पर यह बोझा डालने जा रही है तो इस सम्बन्ध में मुझे एक कहावत याद आ जाती है और वह यह है कि जब सियार की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है ठीक उस सियार वाली दशा इस कांग्रेस गवर्नमेंट की मालूम होती है। मालूम पड़ता है कि कांग्रेस शासन के पतन के दिन आ गये हैं यही कारण है कि उसने गांवों की तरफ अपने टैक्स बढ़ाये हैं क्योंकि कहावत मशहूर है कि सियार की जब मौत आने को होती है तो वह

गांव के पास आ कर चलता है । कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों पर जो यह एडीशनल टैक्स लगाया जा रहा है तो प्रतीत होता है कि शासन का अंत नज़दीक आ गया है शासन इस से अनपापुलर होगा यह बात बिल्कुल स्पष्ट है . . .

श्री मोरारजी देसाई : इस से तो आपको खुश होना चाहिए ।

श्री बड़े : हमको खुशी नहीं है । किसी भी शासन के पतन होने में हमें खुशी नहीं है । हम तो चाहते हैं कि जो भी शासन हो वह सुचारू रूप से चले और उसी ध्येय से हम शासन की आलोचना करते हैं हम नहीं चाहते कि किसी भी शासन का पतन हो जाय ।

दूसरी बात यह है कि इतने टैक्सेज़ होने के बाद भी अभी हमारे एक वकील साहब हैं जिन्होंने कहा कि और भी टैकसेज़ होने चाहियें टैक्सेज लगाने की वकालत करने वाले अपने उन वकील साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने गांवों में जाकर काश्तकारों की शोचनीय अवस्था देखी है ? अगर वे मेरे साथ चलने को तैयार हों तो मैं दिखा दूंगा कि वे कितनी पस्त हालत में रह रहे हैं । गांवों में किसान कर्जे के बोझ के नीचे दबे पड़े हैं । वकील साहब यह तो ज़रा देखें कि वे बचारे ग़रीब लोग कितनी मुश्किल से पैसा उनको लाकर देते हैं ? उचित तो यह होगा कि किसानों पर जो टैक्स लगाने का प्राविज़न है वह बिल्कुल निकाल दिया जाय तो कम से कम ग्रामीणों के शासन के बारे में इस इमरजेंसी पीरियड में जो असन्तोष हो रहा है, वह असन्तोष नहीं होगा ।

मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि अधिकांश कांग्रेसी सदस्य भी किसानों पर इस कर को लगाये जाने के विरुद्ध होंगें और वह भी मेरी तरह यह चाहते होंगे कि अगर यह बिलकुल नहीं हटाया जा सकता तो कम से कम किसानों के लिए यह कम्पलसरी डिपाज़िट कम कर दिया जाय और इस बारे में उनको और अधिक राहत दी जाय । वकील साहब सरीखे इक्के, दुक्के की तो मैं कह नहीं सकता जो कि पूंजीपति मैंटैलिटी के हों, बाकी करीब करीब सारे कांग्रसी सदस्य भी जो कि यह किसानों के नुमांयन्दे बन कर आये हैं, वे सब इस स्कीम के विरुद्ध ही जायेंगे ।

इस बिल के क्लाज़ २ (सी) में दिया हुआ है :—

> "कर निर्धारण के नगरीय क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पति धारी (चाहें उसको सम्पतिकर, आवासकर, अथवा कोई और कर कहा जाय)।"

मेरा कहना है कि इस तरह का ऐग्जम्प्शन नहीं दिया है कोई डैफ़नीशन नहीं दी है कि उस की रेंटल वैल्यू कितनी होगी तो उस को टैक्स लगेगा ? इस के बारे में यह डिफ़ाइन नहीं किया है कि कितनी रेंटल वैल्यू तक आप टैक्स लगाना चाहते हैं ? मैं ने देखा है कि बहुत दफ़े विडोज़ और अनाथ बच्चे मकानों से जो किराया आता है उसी पर अपनी जिंदगी गुज़र करते हैं । उसके अलावा उनके पास दूसरा आय का साधन नहीं होता है । मकान से जो उन्ह किराया मिलता है वही उनका ज़रिया होता है उसी पर उनका शिक्षण और परिवार की उदरपूर्ति का काम चलता है इसलिये इस में यह स्पैसिफ़ाई होना चाहिए था कि कितनी रेंटल वैल्यू के बाद यह टैक्स लगेगा और कितनी रेंटल वैल्यू तक आप इस टैक्स से उन लोगों को छूट देंगे ? अब ऐसे मालिक मकान जो कि प्राफ़िट मोटिव से रेंट वसूल करते हैं उन के ऊपर यदि टैक्स लगाया जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना पेट पालने और जीवन निर्वाह के ख़ातिर किराय का इस्तेमाल करते हैं उन के वास्ते कुछ राहत का प्राविज़न होना चाहिए था

इसी तरह से शौपकीपर्स के ऊपर यह टैक्स लगाने के बाबत मुझे यह कहना है कि बड़े शौपकीपर्स की बात जाने दीजिय लेकिन मँत्री महोदय को मालूम होगा कि गांवों में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं,

[श्री बड़े]

गाड़ी वाले हैं, हौकर्स हैं या ठेले वाले हैं उन का क्या बनेगा ? क्लाज २ (ई) में यह लिखा हुआ है :—

"(५०) उन दुकानदारों जिनकी वार्षिक आय वस्तुओं की बिक्री से पन्द्रह हजार रुपये अथवा अधिक हो तथा जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान न करते हों ।"

मैं ने सेल्स टैक्स की स्थिति देखी है। उन के पास एकांउँट्स रहता नहीं है। सेल्स टैक्स वाले आते हैं तो वह ग़ायब हो जाते हैं इस के अलावा गांवों में पार्टीबाजी रहती है और एक दूसरे के खिलाफ़ चुग़ली की जाती है कि उस के पास इतना सेल होता है अथवा इतना नहीं होता है। आप ने इस में उसका कोई स्टैन्डर्ड नहीं रक्खा है आप ने इस को देखा है कि क्या वाकई उसको १५०० रुपय सालाना आमदनी होती है ? मेरा विचार है कि छोट शौपकीपर्स में इसको लेकर बड़ा असन्तोष पैदा होगा और वह हार्डशिप अनुभव करेंगे । गांवों में यह टैक्स हो जाने से उनको एकाउन्ट्स देना पड़ेगा जो कि वह अभी रखना नहीं जानते हैं और रखते नहीं हैं। इस के अलावा सरकार को यह भी तो देखना चाहिये कि यह शौपकीपर्स और यह किसान इतने टैक्सेज़ देंगे कहां ? पोस्ट आफ़िसेज़ में देंगे या कहां देंग और इस एकाउन्ट्स को कौन रखेगा ? एकाउन्ट रखने के बाद उसको रिएलाइज़ कैसे किया जायगा कि मानो वह जमीन लगान का बकाया हो एरियर्स आफ़ लैंड रैवन्यु के बारे में मैं ने देखा है कि किसान उसे दे नहीं पाते हैं और वे उस कर्जे के नीचे दब रहते हैं और उसके वसूल करने में उनका सब कुछ नीलाम हो जाया करता है इसलिये जब उनकी यह हालत है और उन के पास कुछ सेविंग्स ही नहीं रहती है तो व यह टैक्स कहां से देंगे ? इस बारे में रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :—

"रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में बताया है कि ३००० रुपये प्रतिवर्ष पाने वाले व्यक्ति कोई बचत करते हैं इन व्यक्तियों की कोई कर देने की क्षमता नहीं होती है । तथा उनकी बचत की भी क्षमता नहीं होती है ।"

इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि उन्होंने जैसे कि सुपर प्राफिट टैक्स में रियायतें दी हैं उसी प्रकार से इस में भी काश्तकारों को राहत दें। इस में उन्होंने जो यह ५ रुपये तक लगान देने वाले किसानों को इस से छट दी है वह बिल्कुल अपर्याप्त है और वह केवल एक आंसू पोंछने वाली बात है। आप उनको दर असल कुछ अधिक रियायत दें। इसी तरह शौपकीपर्स की डैफ़िनीशन कर दें ताकि इसके कारण जो गांव के दुकानदारों को हार्डशिप होगी वह न हो। यह जो १५००० रुपये की फिगर उन्होंने रक्खी है यह किस कानून या किस स्टैन्डर्ड से रक्खी है, ठेले वाले छोटे छोटे दूकानदार तथा किसानों के पास जब सेविंग्स रहती ही नहीं है तो उन पर यह क्यों लागू किया जाय ? उनको इस से छट दी जाय। ऐसे मकान मालिक जो कि मकान के किराये से अपने व अपने परिवार की उदर-पूर्ति करते हैं उनको भी इस बारे में रिआयत मिलनी चाहिए २ (सी) में होल्डर्स आफ़ इम्मूवेबुल प्रापरटीज़ जो आपने लिखा है तो ओनर्स होना चाहिए कि होल्डर्स होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी शँका उत्पन्न होती है और इसको लेकर कितने ही लीगल् फ्लाज़ निकलेंगे ?

इसके अलावा जैसा कि मैं ने पहले भी कहा मैं पुन निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों पर यह टैक्स जो कि जज़िया कर के समान है, यह जज़िया कर कम से कम उन पर डालिये और उनको इस बारे में अधिक रियायतें दीजिए इसके अलावा १५००० रुपये की जो आपने फ़ीगर रक्खी है उस के बारे में एक स्टैन्डर्ड रखना चाहिए यही हमारी बिनती है ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आज सवेरे मैं ने घोषणा की थी कि विभिन्न मदों पर आवंटन बढ़ जाने के कारण लोक सभा का वर्तमान सत्र बढ़ाया जायेगा ।

मैं अब घोषणा करता हूं कि अत्यावश्यक कार्य पूरा करने के लिए लोक सभा का सत्र ७ मई, ६३ तक होगा । सभा का कार्य निम्न होगा :—

१. आज के आदेश पत्र से बचा हुआ कार्य ।

२. राजभाषायें विधेयक

३. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें —सामान्य

४. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें —रेलवे

५. अनुपूरक मांगें—रेलवे

६. बंगाल वित्त (बिक्री कर) दिल्ली संशोधन विधेयक ।

७. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक

८. संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक

९. संघराज्य क्षेत्र सरकार विधेयक ।

१०. निर्यात किस्म नियंत्रण विधेयक

११. विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन

१२. ढेबर आयोग का प्रतिवेदन

१३. योजना आयोग

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३ /३ वैशाख १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३

२ वैशाख, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४७८३—४८११
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६६	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड . . .	४७८३–८४
९६७	सैनिक अफसरों की कमी	४७८५—८९
९६८	आकाशवाणी के जरिये हिन्दी का प्रचार .	४७९०–९१
९७०	शस्त्रास्त्र कारखानों के लिए विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण .	४७९२–९३
९७१	ट्रैक्टरों तथा ट्रकों का उत्पादन . . .	४७९४—९६
९७२	उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल . . .	४७९६–९७
९७३	बर्मा में भारतीय	४७९७–९८
९७५	कलकत्ता गैस कम्पनी . . .	४७९८–९९
९७६	योजना आयोग के सलाहकार का आन्ध्र प्रदेश का दौरा	४७९९—४८०१
९७७	पश्चिम एशिया को आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण	४८०१–०२
९७९	बेकार जनशक्ति .	४८०२—०५
९८०	श्रमिक भरती डिपो, गोरखपुर . .	४८०५–०६
९८१	संयुक्त अरब गणराज्य को भारतीय शिष्ट मण्डल .	४८०६–०७
९८२	बलिहारी कोयला खान में दुर्घटना .	४८०७–०८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७.	अमेरिका और राष्ट्र भण्डार का संयुक्त वायु सैना शिष्टमंडल .	४८०८—१०
८	भारत में अमरीकी 'टास्क फोर्स' .	४८१०–११
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	४८११—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६९	अन्तरिक्ष भौतिकी संबंधी गोष्ठी . .	४८११
९७८	कांगो में भारतीय सैनिक	४८११–१२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या

६८३	नेफा में निष्क्रांत व्यक्तियों का पुनर्वास	४८१२
६८४	जमुना कोलियरी में दुर्घटना .	४८१२
६८५	संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य	४८१२–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या

२१२३	कनाडा से सैनिक सहायता .	४८१३
२१२४	बिहार के लिये तीसरी योजना के लक्ष्य	४८१३
२१२५	उड़ीसा में विकास योजनायें	४८१४
२१२६	नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय को सहायता	४८१४–१५
२१२७	उड़ीसा में विकास कार्य . . .	४८१५
२१२८	भारत का पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा तथा पाकिस्तान का भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा दौरा	४८१५
२१३०	आकाशवाणी में हिन्दी शब्दकोषों का प्रयोग	४८१५–१६
२१३१	प्रतिरक्षा संस्थापनों के लिये साप्ताहिक पत्र	४८१६
२१३२	आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापन .	४८१६–१७
२१३३	लिबिया को तकनीकी सहायता . .	४८१७
२१३४	डा० राजेन्द्र प्रसाद से संबंधित पुस्तकें .	४८१७
२१३५	चीन पाकिस्तान सीमा करार . . .	४८१८
२१३६	उत्तर प्रदेश में प्रवीण तथा अप्रीवीण व्यक्तियों का पंजीयन .	४८१८
२१३७	भर्ती केन्द्र . . .	४८१८–१९
२१३८	नेपाली पुलिस द्वारा अपहृत भारतीय	४८१९
२१३९	भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का दिया जाना	४८१९–२०
२१४०	मौसम सम्बन्धी राकेट . .	४८२०
२१४१	प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना .	४८२०
२१४२	त्रिपुरा में फैनी नदी पर बंद (स्पर) .	४८२१
२१४३	सैलम जिले में रेडियो मीट्रिक सर्वेक्षण .	४८२१–२२
२१४४	प्रतिरक्षा संबंधी सामान का निर्माण .	४८२२
२१४५	तीसरी योजना की प्रगति . .	४८२२
२१४६	पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण . . .	४८२२–२३
२१४७	कलकत्ता के समीप नमक की झीलों की सफाई .	४८२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१४८	नागालैंड के लिये पुलिस बल	४८२३–२४
२१४९	पूर्वी पाकिस्तान से संथालों का प्रव्रजन	४८२४
२१५०	पंजगांव गोदी	४८२४–२५
२१५१	उड़ीसा के मुख्य मंत्री का नवीन कार्य	४८२५
२१५२	बारूद में धूप का प्रयोग	४८२५
२१५३	भूतपूर्व सैनिक	४८२५–२६
२१५४	वायु प्रतिरक्षा शिष्टमंडल	४८२६
२१५५	काफिलों के मार्गों को चालू करने के संबंध में चीन पाक समझौता	४८२६
२१५६	संकट काल के बारे में आकाशवाणी पर विशेष वार्ता	४८२६–२६
२१५७	इजराइल जाने के लिये पार पत्र	४८२७
२१५८	देहाती क्षेत्रों का उद्योगीकरण	४८२७
२१६०	लक्कद्वीव द्वीपों के लिये आकाशवाणी प्रसारण	४८२८
२१६१	भूतपूर्व सैनिक	४८२८
२१६२	नकद पुरस्कार	४८२९
२१६३	सेना में भरती	४८२९
२१६४	एमरजेंसी कमीशन	४८२९–३०
२१६५	आयात प्रतिस्थान के लिये प्रविधिक तालिका	४८३०
२१६६	एमरजेंसी कमीशन	४८३०–३१
२१६७	नेफा में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	४८३१
२१६८	उड़ीसा केन्द्रीय परियोजनाएं	४८३१
२१६९	गोआ, दमन और दीव स्मारक	४८३१–३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		४८३२

(१) रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना अधिनियम, १९५९ की धारा १० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५० में प्रकाशित रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) संशोधन नियम १९६३ की एक प्रति।

(२) अप्रैल, १९६३—मार्च १९६४ की आयात नीति की एक प्रति।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का एक विवरण उपस्थापित किया।

विषय　　पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति .　　४८३२

सचिव ने वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और ८ अप्रैल, १९६३ को सभा को दिये गये अंतिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त समुद्री बीमा विधेयक, १९६३ सभा पटल पर रखा ।

प्राक्कलन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया　　४८३३

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . .　　४८३३—३५

(१) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने २३ मार्च, १९६३ को श्री मनीराम बागड़ी द्वारा सभा में उनके विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) विधि उपमंत्री ने राजभाषा (विधि सम्बन्धी) आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ पर श्री भक्त दर्शन द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के २९ मार्च, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

समिति के लिए निर्वाचन .　　४८३५

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) ने राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिये लोक सभा के सदस्यों में से २ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत　　४८३५—३८

सोलहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पारित . . . .　　४८३८—८०

२० अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत किये गये अधिलाभकर विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

नियम का निलम्बन　　४८८१—८२

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम, ६६ के परन्तुक को अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित किये जाने के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक विचाराधीन	४८८२—४६००

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । श्री स० मो० बनर्जी ने विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किये जाने के हेतु एक संशोधन प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २३ अप्रैल, १९६३/३ वैशाख, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि

अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर अग्रेत्तर चर्चा और उसका पारित किया जाना और राज भाषायें विधेयक पर चर्चा और उसे पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—515 (ai) LSD—13-6-63—160